****

उत्तराखण्ड वक़्फ बोर्ड

****

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) ख के
अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर बोर्ड के मैनुअल
भाग–1
मैनुअल संख्या– 1 से 16 तक

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी
देहरादून।

****

अनुक्रमणिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4 (1)ख (मैनुअल 1–17 तक)

क.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोर्ड की विशिष्ठया कृत्य और कर्तव्य	
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य एवं अधिकार	
3.	विनिश्चय करनें की प्रकिया में पालन की जानें वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षक उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	
4.	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापमान	
5.	अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्शित और अभिलेख।	
6.	एसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का नियंत्रण।	
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्ठयां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परमर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	
8.	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया जाता है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।	
9.	अधिकारी और कर्मचारियों की निर्देशिका।	
10.	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं।	
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिर्पोटों की विशिष्टयां उपदर्शित करते हुए अपनें प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	
12.	सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायेदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टया।	
14.	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।	
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां	
17.	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए।	

प्रस्तावना

मुस्लिम लॉ में औकाफ का सिलसिला जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैय वसल्लम के जमाने से जारी है और आरजूए तवारिख की शरए इस्लाम से मालूम होती है। सही बुखारी में में यह हदीस लिखी है कि हजरत उमर बिन खिताब रजिअल्लाहेा अनः रसूल मकबूल सल्लल्लाहो अलैय वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि अपनी जायदाद गरीब गूर्बा व मसाकिन ने हमेशा के लिए वक्फ कर दूँ बस आप मुझको हिदायत फरमाए कि किस तौर से मैं इस जायदाद को अब्रालन बाद तक गैर काबिल इन्तकाल कर सकता हूँ। ऑ हजरत ने फरमाया कि जिस जायदाद को अलैहदा करके इस की आमदनी इसकी आमदनी को वक्फ कर दूँ। इस इरशाद फैज बुनियाद से एक अजिमुश्शान सिलसिला कवानिन मुतालिका औकाफ व अमानत पैदा हुआ।

<u>वक्फ की तारिफः–</u> वक्फ के मायने किसी शै को रोक रखना या मुकिद करना है लेकिन इस्लाह में इससे मुराद किसी शै का किसी नेक काम के लिए या मुसलसल नेक कामों के वास्ते वक्फ किया जाना है। जो शै फी सबीलिल्लाह दी जाए वह वक्फ समझी जाती है। किसी कीमती शै की जात को खुदा की मिल्क में मुकिद कर देना और उसकी मुनफैत को दूसरों पर बे अगराज मजहबी व खैराती नेक नियती के साथ दाएमन सदका कर देने को इसाफ और सरीह इजहार वक्फ कहलाता है।

जब कोई शै वक्फ की जाती है तो उसकी मिलकियत वाकिफ से निकल कर खुदा ऐ कादरों तवाना को मुन्तकिल हो जाती है और जिस वक्त से इसको वक्फ करते है इस वक्त से इस शै का मानवी तौर पर कादिर मुतालिक मालिक समझा जाता है। लेकिन जो मुनाफा और आमदनी शै मॉकूफा से होती है सिर्फ वही बन्दगाने खुदा के फायद के लिए इस्तेमाल की जाती है और वक्फ हो जाने के सबब से मौकूफ नाकाबले इन्तेकाल और नाकाबले विरासत हमेशा के लिए हो जाता है यानि शै मौकूफा न बै न रहन और न किसी और तरह से किसी शख्स को मुन्तकिल हो सकती है जो शख्स अपनी शै को किसी मुकद्दस काम की अन्जाम दही के वास्ते राहे खुदा में देता है इसको वक्फ कहते है और जो इसकी निगरानी करता है इसको मुतवल्ली कहते है।

दरअसल वक्फ एक किस्म का अतिया है जो किसी अमूर दिनी या कार खैर के लिए होता है जिससे वाकिफ को माले वक्फ से फौरन दस्त बरदा हो कर इस कार खैर के लिए दे देना पडता है जिस काम के लिए वह वक्फ किया गया है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 की दफा 3(11) के मुताबिक वक्फ की तारिफ हस्बे जैल है।

वक्फ का मतलब किसी माल को मन्कूल व गैर मन्कूला दोनों शामिल है। किसी ऐसे मकसल के लिए मुस्तकिल और हमेशा के लिए वास्ते दे देना है। जो मुस्लिम लॉ और रिवाज के मुताबिक मजहबी कारे खैर और सवाब माना जाता है।

इस तरह सैन्ट्रल वक्फ एक्ट 1954 की दफा 3(एल) में वक्फ की तारिफ हस्बे जैल की गई है।

वक्फ के मायने यह है कि कोई शख्स जो इस्लाम धर्म में यकीन रखता हो और अपने किसी माल को जिसमें मन्कूला व गैर मन्कूला दोनों शामिल है किसी ऐसे मकसद के लिए जो मुस्लिम लॉ के मुताबिक अमूर मजहबी कारे खैर और सवाब माना जाता हो मुस्तकिल तौर पर उपर दिये गये मकसद के लिए वक्फ कर दे।

इमाम आजम अबू हनफिया रह0 अलैय के नजदीक वक्फ की तारिफ यह है कि किसी खास चीज का वाकिफ के कब्जा व मुल्क में रहना इसकी मुनफैत का बतौर आरियत के गुर्बा व मसाकिन में मुसरिफ में लाना और कार हाए खैर में लगाना।

साहबैन यानि इमाम आजम अबू हनफिया के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रह0 और इमाम मौ0 रह0 के कौल के मवाफिक वक्फ की तारिफ यह है कि किसी जायदाद मसल आराजी व मकानात वगैरह के हक मिलकियत से दस्त बरदार होकर राहे खुदा में इसको इस तरह दे देना कि बन्दगाने खुदा को इससे फायदा हो बशर्ते कि माले मौकूफ वक्फ करने के वक्फ वाकिफ का माल हो और जब एक मर्तबा वक्फ कर दिया जाए तो वह फिर मतलिक और कतई हो जाता है यानि शै मौकूफ फरोख्त नहीं हो सकती और न ही हिबे हो सकती है।

इमाम मौहम्मद के नजदीक वाकिफ का हक इस वक्त तक नहीं जाता जब तक कोई मुतवल्ली न मुकर्रर किया जाए और वह माल उसके सुपुर्द न किया जाए। इमाम युसुफ के नजदीक वाकिफ को खुद अपने तीन मुतवल्ली मुकर्रर करने और माले मौकूफ के मुबादले का इखतियार अपने लिए बाकी रखना जायज है। इमाम मौ0 रह0 ने इस मसले में भी इन से इख्तलाफ किया है। मगर इमाम अबू युसूफ का कौल हुक्म शरई करार दिया गया है और मुल्क की सभी अदालतों ने इसी रवायत की रोशनी में मुकदमों के फेसले सुनाए है।

वक्फ का चाहिए कि कतई और गैर मुशरदत को मन्सूख करना किसी के इख्तियार में न हो और यह भी जरूरी है कि वक्फ किसी ऐसे मकसद के लिए किया गया हो जिसमें कोई कसूर व फतवा वाके न हो। मजहबी शिया में वक्फ वह फल है जिसका असर यह होता है कि किसी चीज का ऐन महबूस हो जाता है और इसकी मुनफत बेकदीर रहती है। जवाहर कलाम में ववक्फ का मकसद यह लिखा है कि किसी कारे खैर का खुदा की राह में दवामन जारी रखना जिस लफज से भी हो सकता है जिससे

वक्फ का मन्शा जाहिर हो जाए मसलन वक्फ लफज हरमत तसद्दुक से भी हो सकता है।

शरई इस्लाम में वक्फ की यह तारिफ लिखी है कि वक्फ एक मामला या मोहायदा है जिस का असर या नतीजा यह है कि ऐनुलमाल महबूस हो जाता है और इसकी मुनफत बेकदीर रहती है।

उत्तराखण्ड राज्य में वक्फ बोर्ड का उदय

पर्वत राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखएड राज्य दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। भारत सरकार के आदेश दिनॉक 5.8.2003 को पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से वक्फ बोर्ड को प्रथक कर निम्न आदेश जारी किये।

आदेश दिनांक 5 अगस्त 2003

केन्द्र सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 102 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों सरकारों द्वारा उसकी उपधारा (1) के अतर्गत उसे अग्रेषित, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्य वक्फ बोर्डो के विभाजन की स्कीम को अनुमोदित करती है तथा निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करती है, अर्थात :—

(क) वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड विघटित कर दिये जाऐगें और दोनों उत्तर पद्रेश और उत्तरांचल दोनो राज्य सरकार वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वंय अपने राज्य वक्फ बोर्ड गठित करेंगी तथा पुनर्गठित बोर्डो का संबधित उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारित होगी।

(ख) उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तरांचल राज्य के भीतर आने वाली 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आने वाली वक्फ सम्पत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डो की अस्तियॉ, धन और दायित्व संबधित राज्य वक्फ बोर्डो की अस्तियॉ, धन तथा दायित्व मानी जाएगी जिसमें वह उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन की तारीख को विधमान थी।

(ग) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और बिजनौर जिलों में आने वाली उन सुन्नी वक्फों के संबन्ध में जहॉ एक ही मुतवल्ली हो किन्तु संपत्तियॉ दोनों राज्यों में हों वहॉ स्थानीय वक्फ बोर्ड का अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाली संपत्तियों पर नियंत्रण होगा। संबधित मुतवल्ली अपनी

संबधित अधिकारिता में आने वाली संपत्तियों के संबध में दोनों वक्फ बोर्डो के प्रथक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें तथा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के अधीन 7 प्रतिशत अंशदान एकत्र करेगें और संबधित राज्य वक्फ बोर्ड में प्रथक रूप से जमा करेगें। यदि ऐसे वक्फों की बाबत उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के पश्चात नए मुतवल्लियों की नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है तो अपने संबधित अधिकारिता में स्थित ऐसी वक्फ संपत्तियों के लिए संबधित वक्फ बोर्डो द्वारा प्रथक मुतवल्लियों की नियुक्ति की जाएगी।

(घ) उत्तरांचल के 13 जिलों के अधीन उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डो में सभी पद और कर्मचारी जो उत्तरांचल के 13 जिलों और 2 मंडलों (कुमाउ और गढवाल) से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं थे, उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड के पद और कर्मचारी माने जाएगें। अन्य सभी कर्मचारियों के संबध में जो पूरे तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरणीय थे, दोनों राज्यों द्वारा पारस्परिक करार से नितिगत विनिश्चय किया जाएगा।

(ड) उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्डो के उत्तरांचल औकाफ के पुराने अतिशोध्यों सहित सभी शोध्यों की उनसे वसूली की जाएगी तथा उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा संबधित उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्डो को इस आदेश की तारिख से तीन मास के भीतर भुगतान किया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर उत्तराचंल राज्य सरकार तीन मासे की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात एक मास के भीतर अपने संसाधनों से ऐसा भुगतान करेगी।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डो द्वारा उत्तराचल राज्य में आने वाली शिया और सुन्नी वक्फ संपत्तियों से संबधित सभी फाईलें और दस्तावेज उत्तराचंल राज्य वक्फ बोर्ड को अंतरित किये जाएगें तथा उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वाद और कार्यवाही के संबध में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्थान पर उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(छ) उत्तरांचल राज्य में आने वाली वक्फ संम्पत्तियों के मुतवल्लियों के विरूद्व कार्यवाही से संबधित सभी फाईलें उत्तरांचल वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएगीं और यदि कोई ऐसा मुतवल्ली दोनों राज्यों में आने वाली वक्फ सम्पत्तियों की देखभाल कर रहा है तो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 64 के अधीन ऐसे मुतवल्ली के विरूद्व कार्यवाही उस वक्फ बोर्ड द्वारा की जाएगी जिनके अधिकारिता में वह संपत्ति जिसके संबध में कार्यवाही लंबित है, स्थित है :

(ज) इस आदेश के अंतर्गत न आने वाले सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार–विमर्श द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और किसी विवाधक पर असहमति की दशा में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा मामलें को केन्द्रीय सरकार को निदेशित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सुन्नी वक्फ सम्पत्तियों का जनपदवार विवरण विवरण निम्नवत है।

1.	अल्मोडा	44
2.	बागेश्वर	08
3.	चमोली	02
4.	चम्पावत	11
5.	देहरादून	420
6.	हरिद्वार	854
7.	नैनीताल	176
8.	पौडी	26
9.	पिथौरागढ	09
10.	रूद्रप्रयाग	02
11.	टिहरी	17
12.	उत्तरकाशी	2
12	उधसिंहनगर	485

कुल योग 2056

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत शिया वक्फ सम्पत्तियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :–

1.	अल्मोडा	–	00
2.	बागेश्वर	–	00
3.	चमोली	–	00
4.	चम्पावत	–	00
5.	देहरादून	–	06
6.	हरिद्वार	–	08
7.	नैनीताल	–	02
8.	पौडी	–	00
9.	पिथौरागढ	–	01
10.	रूद्रप्रयाग	–	00
11.	टिहरी	–	00
12.	उत्तरकाशी	–	00
13	उधसिंहनगर	–	01

कुल योग 18

(6

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–1

संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य
(The particulars of its organization, functions and duties)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी
देहरादून।

****

(7)

मैनुअल संख्या–1

(संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य)
(The particulars of its organization, functions and duties

उत्तराखएड सरकार राज्य के तेरह जनपदों में विभिन्न धर्मो एवं समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसी कम में राज्य के मुस्लिम वर्गों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने फरवरी 2004 उत्तराखएड वक्फ बोर्ड का गठन किया। वर्तमाान में तृतीय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के रूप में उत्तराखएड वक्फ बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में शासन द्वारा निम्नलिखित महानुभवों को नामित किया गया है :–

क0सं0	नाम	पदनाम	भर्ती का श्रोत
1.	हाजी मौ0 अकरम	अध्यक्ष	वक्फ अधिनियम की धारा 14
2.	श्रीमति नजमा खान	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
3.	श्रीमति नाजमा शेख	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
4.	श्री अयाज अहमद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
5.	श्री सैयद आसिफ मियॉ	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
6.	श्री सै0 अली हैदर जैदी	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
7.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
8.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
9.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
10.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14

1. <u>उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कृत्य–</u> वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के तहत उत्तराखण्ड वक्फ की शक्ति एंव कृत्य निम्नवत है।

धारा 32(1) ऐसी किसी नियम के अध्यधीन रहते हुए जिसका निर्माण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा, एक राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण, सीपित किये गये बोर्ड या राज्य में निहित होगा, और यह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करना बोर्ड का कर्तव्य होगा जिससे यह सुनिश्चित करे कि इसके अधीक्षण के अधीन वक्फों को समुचित तौर पर कायम, नियन्त्रित और प्रशासित किया जाता है और इसकी आय का उपयोजन भली–भॉति ढंग से उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाता है, जिनके लिए ऐसे वक्फों का सृजन किया गया था या आशय रखा गया था।

परन्तु किसी भी वक्फ के बाबत इस अधिनियम के अधीप इसकी शक्तियों को प्रयोग करने में, बोर्ड,, उस मुस्लिम विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी की गई किसी भी प्रथा या रूढि और वक्फ के प्रयोजनों एंवम वक्फ के निर्देशों की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसका वक्फ होता है।

स्पष्टीकरणः– संदेह को दूर करने के लिए यह एतद् घोषित किया जाता है कि इस उप–धारा में 'वक्फ' के अन्तर्गत एक ऐसा वक्फ आता है जिसके सम्बन्ध में कोई योजना विधि के किसी भी न्यायालय द्वारा बनाई गई है, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या पश्चात।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रतिकूल हुए बिना ही, बोर्ड के कृत्य होगें–
(क) प्रत्येक वक्फ की उत्पत्ति, आय, उद्देश्य और हितग्राहियों से संबधित सूचना को धारण करने वाले एक अभिलेख को बनाए रखना।
(ख) यह सुनिश्चित करना कि वक्फ की आय और अन्य सम्पत्ति उन उद्देश्यों एंव प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती ह, जिसके लिए वक्फ का आशय रखा गया या सृजन किया गया थाः
(ग) वक्फों के प्रशासन् के लिए निर्देश देगाः
(घ) एक वक्फ के लिए प्रबन्ध की योजना की व्यवस्थापना करनाः

परन्तु इस प्रकार का कोई भी व्यवस्थापन सुने जाने का एक अवसर व्यथित पक्षकारों को दिये बिना ही नहीं किया जाएगा।
(ड) निर्देश देना

वक्फ के उद्देश्यों के संगत वक्फ की अधिशेष आय का उपयोगः

एक वक्फ की आय का जिसके उद्देश्य किसी भी लिखत से सुस्पष्ट नहीं होते, किसी तरीके से, उपयोग किया जाएगाः

ऐसे किसी भी मामले में जहॉ वक्फ का कोई भी उद्देश्य अस्तित्वशील रहने से विरत हो गया है या कामयाबी प्राप्त करने में असमर्थ हो गया है, वहॉ वक्फ की आय का इतना अधिक, जितना उस उद्देश्य के प्रति पहले उपयोजित किया था, वह किसी दूसरे उद्देश्य के प्रति भी उपयोजित किया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय में ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए या गरीबों की प्रसुविधा के लिए या मौलिक उद्देश्य के प्रति एक समान या लगभग एक समान होगाः

परन्तु प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिये बिना इस खण्ड के अन्तर्गत कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा।
स्पष्टीकरणः– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा –

सुन्नी वक्फ के मामले में मात्र बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा, और
शिया वक्फ के मामले में मात्र बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा

परन्तु बोर्ड में शिया या सुन्नी सदस्यों की संख्या तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहॉ बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि केवल ऐसे सदस्यों द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह ऐसे अन्य मुस्लिमों जो शिया या सुन्नी, यथास्थिति हो, जैसा यह उचित समझे, इस खण्ड के अन्तर्गत इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकता है।

(च) मुतवल्ली द्वारा प्रेषित किये गये बजट की संवीक्षा करना और अनुमोदन करना और वक्फ के खातों का लेखा परिक्षण करने के लिए प्रबन्ध करना,

(छ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के अनुसार मुतवल्ली की नियुक्ति करना और हटाना,

(ज) किसी भी वक्फ की खोई हुए सम्पत्तियों की वसूली के लिए उपाय करना,

(झ) वक्फ से सम्बन्धित वादों और कार्यवाहियों को संस्थापित और बचाव करना,

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वक्फ की अचल सम्पत्ति का विकय, हिबा, बन्धक, विनिमय या पट्टा द्वारा किसी अन्तरण को अनुमोदित करना,

परन्तु जब तक कि कम से कम दो–तिहाई सदस्य ऐसे संव्यवहार के पक्ष में मतदान नहीं करते ऐसा अनुमोदन नहीं दिया जाएगा,

(ट) वक्फ कोष का प्रबन्ध करना,

(ठ) मुतवल्ली से वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरणी, ऑकडे, लेखे और अन्य सूचना जिनकी बोर्ड को समय–2 पर आवश्यकता है उन्हें मॉगना,

(ढ) वक्फ और वक्फ सम्पत्ति का अन्वेषण, और प्रकति का अवधारण और विस्तार करना और जब कभी भी आवश्यकता हो, ऐसी वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण करवाना,

(ण) सामान्य रूप से ऐसे सभी कार्य करना जो वक्फ के नियन्त्रण, रखरखाव एंव प्रबन्धन के लिए आवश्यक हो।

(3) जहॉ पर बोर्ड ने उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रबन्ध योजना तय की है अथवा खण्ड (ड) के अधीन कोई निर्देश दिया है कोई व्यक्ति जो वक्फ में हित रखता है या ऐसे निर्देश या योजना से प्रभावित होता है तो ऐसी योजना या निर्देश को अपास्त करने हेतु अधिकरण में वाद संस्थित कर सकता है और उस पर अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(4) जहॉ बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि कोई वक्फ भूमि जो वक्फ की सम्पत्ति है, शॉपिंग सैन्टर, बाजार, आवासीय ग्रहों और ऐसे अन्य मदों के विकास के लिए उपयुक्त सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, यह सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को अपना

विनिश्चक सुनिश्चित करने के लिए एक नोटिस दे सकेगा, जिस की अवधि नोटिस में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु साठ दिनो से कम नहीं, कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट विकास कार्यो के निष्पादन करने का इच्छुक है या नही।

(5) उप धारा (4) के अधीन जारी की गई नोटिस के उत्तर, यदि कोई है, की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा उत्तर के उपर विचारण करने पर, यदि यह निर्दिष्ट किया जाता है कि मुतवल्ली इच्छा नहीं कर रहा है या नोटिस की शर्तो में निष्पादित किये जाने वाले आपेक्षित कार्यो का सम्पादन करने में समर्थ नहीं होता है। यह सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ सम्पत्ति को कब्जे में ले सकेगा, उस पर किसी भी इमारत या निर्माण को विनपट कर सकेगा, जो बोर्ड की राय में कार्या के निष्पादन के लिए आवश्यक होता है। और वक्फ निधि या वक्फ कोषों से ऐसे कार्य का निष्पादन करेगा, जो सम्बन्धित वक्फ की सम्पत्तियों की प्रतिभू पर विचाराणार्थ प्रस्तुत की जा सकती है, और ऐसे समय तक सम्पत्तियों पर नियंत्रण और उनका प्रबन्ध कर सकेगा जो सम्पत्ति पर उपगत किये गये विधिक अन्य परिवर्तनों एंव ऐसे कार्यो के पोषण पर खर्च के साथ इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत किये गये सभी खर्चे उस पर ब्याज को सम्पत्ति को व्युत्पन्न हुई आय से वसूला जाएगाः

परन्तु बोर्ड, बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को कब्जे में लिए जाने के बाद तत्काल अग्रेसित तीन वर्षो के दौरान सम्पत्ति से प्राप्त किये गये औसतन वार्षिक विशुद्व आय के विस्तार तक सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को वार्षिक तौर पर क्षतिपूर्ति करेगा।

(6) उन सभी व्ययों के पश्चात जो उपधारा (5) में प्रगणित है, को विकसित सम्पत्तियों की आय से बलात ग्रहण किया गया है, वे विकसित सम्पत्तियॉ सम्बन्धित वक्फ के मुतवल्ली को सौप दी जाएगी।

(11)

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड की सांविधिक स्थिति

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 102 की उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में दिनॉक 6 सितम्बर 2003 की अधिसूचना संख्या 2416/स0क0 /2003–36(समाज कल्याण)/2002 के तहत उत्तरांचल वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। तत्पश्चात उत्तराखएड वक्फ बोर्ड ने अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। तृतीय वक्फ बोर्ड के रूप में वर्तमान में उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं सात सदस्य हैं। तीन पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के कियाकलापों के सफल संचालन हेतु एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की गयी है।

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड का संघटनः–

क0सं0	नाम	पदनाम	भर्ती का श्रोत
1.	हाजी मौ0 अकरम	अध्यक्ष	वक्फ अधिनियम की धारा14
2.	श्रीमति नजमा खान	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
3.	श्रीमति नाजमा शेख	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
4.	श्री अयाज अहमद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
5.	श्री सैयद ... मियॉ	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
6.	श्री सै0 अली हैदर जैदी	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
7.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
8.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
9.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
10.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14(1)(बी)(III) के तहत
11.	श्री मु0 अब्दलु अलीम अंसारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	

मैनुअल संख्या–1

(संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य)
(The particulars of its organization, functions and duties

उत्तराखएड सरकार राज्य के तेरह जनपदों में विभिन्न धर्मो एवं समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसी कम में राज्य के मुस्लिम वर्गों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने फरवरी 2004 उत्तराखएड वक्फ बोर्ड का गठन किया। वर्तमाान में तृतीय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के रूप में उत्तराखएड वक्फ बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है।

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में शासन द्वारा निम्नलिखित महानुभवों को नामित किया गया है :–

क0सं0	नाम	पदनाम	भर्ती का श्रोत
1.	हाजी मौ0 अकरम	अध्यक्ष	वक्फ अधिनियम की धारा 14
2.	श्रीमति नजमा खान	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
3.	श्रीमति नाजमा शेख	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
4.	श्री अयाज अहमद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
5.	श्री सैयद आसिफ मियॉ	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
6.	श्री सै0 अली हैदर जैदी	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
7.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
8.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
9.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
10.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2003/श्रावण 15, 1925
No. 709]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2003/SRAVANA 15, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 908(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 102 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा सम्यक रूप से तैयार और अनुमोदित, तथा अनुमोदन हेतु उक्त राज्य सरकारों द्वारा उसकी उप-धारा (1) के अंतर्गत उसे अग्रेषित, उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्य वक्फ बोर्डों के विभाजन की स्कीम को अनुमोदित करती है तथा निम्नलिखित आदेश करते हुए इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी करती है, अर्थात् :-

(क) वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड विघटित कर दिए जाएंगे और दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दोनों राज्य सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वयं अपने राज्य वक्फ बोर्ड गठित करेंगी तथा पुनर्गठित बोर्डों का संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में आने वाले क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी,

(ख) उत्तरांचल राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तरांचल राज्य के भीतर आने वाली 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा । इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अधिकारिता और नियंत्रण होगा । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वक्फ बोर्डों की आस्तियां, धन और दायित्व संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों की [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन की तारीख को विद्यमान थी,

(छ) उत्तरांचल राज्य में आनेवाली वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित सभी फाईलें उत्तरांचल वक्फ बोर्ड को अंतरित की जाएंगी और यदि कोइ ऐसा मुतवल्ली दोनों राज्यों में आने वाली वक्फ संपत्तियों की देखभाल कर रहा है तो वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 64 के अधीन ऐसे मुतवल्ली के विरुद्ध कार्रवाई उस वक्फ बोर्ड द्वारा की जाएगी जिनके अधिकारिता में वह संपत्ति जिसके संबंध में कार्यवाही लंबित है, स्थित है ;

(ज) इस आदेश के अंतर्गत न आनेवाले सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार-विमर्श द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और किसी विवाद्यक पर असहमति की दशा में, उक्त राज्य सरकारों द्वारा मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय बाध्यकारी होगा ।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 4(32)/2000 वक्फ]

सपना राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2003

S.O. 908(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 102 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby approves the scheme of division of the existing State Wakf Boards in Uttar Pradesh, duly framed and approved by the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal and forwaided to it under sub-section (1) thereof, by the said State Governments for approval, and gives effect to the scheme so approved by making the following Order, namely:-

(a) The existing Uttar Pradesh State Shia and Sunni Wakf Boards shall be dissolved and both the State Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal shall constitute their own State Wakf Boards as per the provisions contained in sections 13 and 14 of the Wakf Act, 1995 and the re-constituted Boards shall have jurisdiction over the areas falling in the respective States of Uttar Pradesh and Uttaranchal;

15

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्याः 1810/स.क.–02–36(कल्याण)/2002
देहरादूनः दिनांकः 3 अगस्त 2002

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43/1995) की धारा–13 की उपधारा–1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल वक्फ बोर्ड स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्याः1810(1)/स.क.–02–36(कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की(हरिद्वार) उत्तरांचल को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 2500 प्रतियाँ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

[illegible] शासन
समाज कल्याण विभाग
संख्या [illegible] /अ.क./2003-36(समाज कल्याण)/2003
देहरादून, दिनांक 06 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995(अधिनियम संख्या 43, 1995) की धारा-102 की उपधारा-2 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में तथा दिनांक 31 अगस्त 2002 की अधिसूचना संख्या 1810/स.क.-02-36(कल्याण)/2002 का अतिक्रमण करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल उक्त अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

एस. के. मुट्टू
सचिव

संख्या [illegible] (1)/स.क./2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर गजट की 500 प्रतियाँ समाज कल्याण अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
अनु. सचिव

संख्या 2416 (2)/स.क./2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यापाल उत्तरांचल
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल
3. निजी सचिव [illegible] उत्तरांचल

(17)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या : /XVII-3/2016–04(06)/2016
देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा–4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में विद्यमान आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन को राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किए जाने के उद्देश्य से पदेन 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' एवं अपने–अपने जनपदों की अधिकारिता के साथ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड को पदेन 'अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल एवं प्रदेश के शेष जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पदेन 'सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त' नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारी 'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त' के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पादित करेंगे।

3. राज्यपाल अग्रेतर यह भी निर्देश देते हैं कि नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा उपधारा (3) से (5) के अधीन यथाप्रक्रिया राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सर्वेक्षण आख्या एक माह से अनधिक अवधि में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जाएगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या : 384 (1)/XVI(3)/2016 तद्दिनांक। 04(6)2016

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः...

(18)

संख्या : 384 (1)/XVII(3)/2016 तद्दिनांक। 04(6)2016

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन/'वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त', उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी/अतिरिक्त सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रदेश के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों की अद्यतन जनपदवार सूचियां उपरोक्तानुसार नियुक्त प्राधिकारियों एवं शासन को अधिसूचना निर्गत होने के 02दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कर लें।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंह नगर/देहरादून/हरिद्वार/सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड/सहायक सर्वेक्षण वक्फ आयुक्त (उपरोक्त 04जनपदों को छोड़कर)।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव।

(19)

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
संख्या : /XVII-3/2018–07(27)/2014 T
देहरादूनः दिनांकः 14 जून, 2018

शासन की अधिसूचना संख्या–1569/XVII-3/2018–07(27)/2014, दिनांक 27.10.2016 द्वारा कुमायूं मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रथम सदस्य के पद पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल एवं अधिसूचना संख्या–760/XVII-3/2018–07(27)/2014, दिनांक 06.04.2018 द्वारा द्वितीय सदस्य के पद पर श्रीमती मेहनाज जहां, एडवोकेट, पत्नी श्री मजहर नईम नवाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) की नियुक्ति की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–75/नि.स.–स./ब.अधिकरण/2018 दिनांक 17.05.2018 द्वारा उक्तानुसार त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में नियुक्त प्रथम सदस्य को वक्फ से सम्बन्धित वादों की सुनवाई हेतु प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। वक्फ ट्रिब्यूनल की दिनांक 18 व 19 मई, 2018 एवं दिनांक 25 व 26 मई, 2018 को निर्धारित सुनवाई तिथि में प्रथम एवं द्वितीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण वक्फ से सम्बन्धित विभिन्न वादों पर सुनवाई नहीं हो पायी है।

3– तत्क्रम में शासन को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित अध्यक्ष, वक्फ अधिकरण, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र संख्या–07/वक्फ बोर्ड कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी, दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सदस्य को वक्फ से सम्बन्धित विभिन्न लम्बित वादों की सुनवाई हेतु प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को उपस्थित रहने हेतु पुनः निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अतएव् इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कुमायूं मण्डल के जनपदों के अन्तर्गत वक्फ वादों की सुनवाई एवं निराकरण हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रथम सदस्य के पद पर नियुक्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल एवं द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त श्रीमती मेहनाज जहां, एडवोकेट, पत्नी श्री मजहर नईम नवाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) को प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को ट्रिब्यूनल में अवश्य उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)

श्री विनोद कुमार सुमन,
जिलाधिकारी, नैनीताल।

(20)

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
संख्या : /XVII-3/2018–07(27)/2014 T
देहरादूनः दिनांकः 14 जून, 2018

271
18/06/18

शासन की अधिसूचना संख्या–1569/XVII-3/2018–07(27)/2014, दिनांक 27.10.2016 द्वारा कुमायूं मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रथम सदस्य के पद पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल एवं अधिसूचना संख्या–760/XVII-3/2018–07(27)/2014, दिनांक 06.04.2018 द्वारा द्वितीय सदस्य के पद पर श्रीमती मेहनाज जहां, एडवोकेट, पत्नी श्री मजहर नईम नवाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) की नियुक्ति की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–75/नि.स.–स./व.अधिकरण/2018 दिनांक 17.05.2018 द्वारा उक्तानुसार त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में नियुक्त प्रथम सदस्य को वक्फ से सम्बन्धित वादों की सुनवाई हेतु प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। वक्फ ट्रिब्यूनल की दिनांक 18 व 19 मई, 2018 एवं दिनांक 25 व 26 मई, 2018 को निर्धारित सुनवाई तिथि में प्रथम एवं द्वितीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण वक्फ से सम्बन्धित विभिन्न वादों पर सुनवाई नहीं हो पायी है।

3– तत्क्रम में शासन को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित अध्यक्ष, वक्फ अधिकरण, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र संख्या–07/वक्फ बोर्ड कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी, दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सदस्य को वक्फ से सम्बन्धित विभिन्न लम्बित वादों की सुनवाई हेतु प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को उपस्थित रहने हेतु पुनः निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अतएव् इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कुमायूं मण्डल के जनपदों के अन्तर्गत वक्फ वादों की सुनवाई एवं निराकरण हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रथम सदस्य के पद पर नियुक्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल एवं द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त श्रीमती मेहनाज़ जहां, एडवोकेट, पत्नी श्री मजहर नईम नवाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) को प्रत्येक शुक्रवार व शनिवार को ट्रिब्यूनल में अवश्य उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

20-6-18

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)

श्री विनोद कुमार सुमन,
जिलाधिकारी, नैनीताल।

पृष्ठांकन संख्याः 1286 / XVII-3 / 2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, वक्फ अधिकरण, कुमायूं मण्डल / द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, हल्द्वानी, नैनीताल को उनके पत्र संख्या–07 / वक्फ बोर्ड कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी, दिनांक 05.06.2018 के क्रम में ।

2– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

4– श्रीमती मेहनाज जहां, एडवोकेट, पत्नी श्री मजहर नईम नवाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) को वक्फ वादों की सुनवाई को उपस्थित रहने के अनुरोध सहित।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।

(22)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः /XVII–3/18–07(27)/2014टी.सी.
देहरादून : दिनांक :25 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43, सन् 1995) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 83 की उपधारा (4) (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 1897) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुमायूं मण्डल के जिलों की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद पर अधिसूचना संख्या–1569/XVII–3/16–07(27)/2014, दिनांक 27.10.2016 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुए श्री मौ. सुल्तान, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हल्द्वानी (नैनीताल) को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(जी. एस. भाकुनी)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII–3/2018 तददिनांक।
प्रतिलिपि–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी. एस. भाकुनी)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 819 (2)/XVII–3/2018 तददिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
8. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त जिलाधिकारी, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
12. महानिदेशक, सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजुला खर्कवाल)
अनु सचिव।

(23)

क्रम संख्या–42 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 मई, 2017 ई0

बैशाख 21, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या 885/XVII–3/17–07(27)/2014

देहरादून, 11 मई, 2017

अधिसूचना

एतद्द्वारा, शासन की अधिसूचना संख्या–1183/XVII–3/16–07(27)/2014, दिनांक 31.08.2016 द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43, सन् 1995) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 83 की उपधारा (4 क) के प्राविधानानुसार राज्य के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल की अधिकारिता हेतु देहरादून में गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री शमशेर अली, तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, देहरादून के स्थान पर श्री एन.एस. धानिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 मात्र उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 अ0सं0क0अ0/290–2017–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

75117 (24)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः 160 /XVII–3/18–07(27)/2014
देहरादून : दिनांक : 06 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा 83 की उपधारा 4 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या–1569/XVII–3/16–07(27)/2014, दिनांक 27.10.2016 द्वारा कुमायूं मण्डल की अधिकारिता हेतु हल्द्वानी (नैनीताल) में एक त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन करते हुए अधिनियम की उक्त धारा 83 की उपधारा 4 के खण्ड (क), (ख) व (ग) के अधीन त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में कमशः 'अध्यक्ष', 'प्रथम सदस्य' व 'द्वितीय सदस्य' के पदों पर तैनाती/नियुक्ति की गयी है।

2– चूंकि कुमायूं मण्डल की अधिकारिता हेतु उक्तानुसार गठित त्रिस्तरीय वक्फ ट्रिब्यूनल में द्वितीय सदस्य के पद पर नामित श्री परवेज सिद्दीकी, पुत्र स्व0 श्री मौहम्मद उमर सिद्दीकी, रॉयल होटल भवन, चौघानपाटा, अल्मोड़ा द्वारा स्वयं की अस्वस्थता के दृष्टिगत उक्त पद से दिनांक 27.06.2017 को त्यागपत्र दिया गया है।

3– अतएव एतदद्वारा श्री परवेज सिद्दीकी के त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए रिक्त हुए द्वितीय सदस्य के पद पर श्रीमती मेहनाज जहां, एडवोकेट, पत्नी श्री मजहर नईम नबाब, जवाहर नगर, टनकपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 27.10.2016 मात्र इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

(कै. आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1)/XVII–3/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 50 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।

कमशः.................

UO letters 2018-19 A. ramola

(25)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या: [illegible] /XVII–3/16–07(27)/2014
देहरादून: दिनांक: [illegible] अगस्त, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 सपठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43 सन् 1995) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–83 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदेश के गढ़वाल मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु वक्फ अधिकरण, देहरादून गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार वक्फ अधिकरण, देहरादून के गठन के फलस्वरूप उक्त अधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र, अधिकरण की संरचना एवं अधिकरण में अध्यक्ष/सदस्यों की तैनाती का विवरण निम्नवत अनुसूची के अनुसार करने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क. सं.	अधिकारिता का क्षेत्र	अधिकरण की संरचना	अधिकरण हेतु तैनाती/नियुक्ति
1	2	3	4
1	चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार।	उक्त अधिकरण में निम्नलिखित होंगे:– 1. ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा। 2. ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा। 3. ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।	1. **अध्यक्ष** श्री शमशेर अली, तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, देहरादून। **(अतिरिक्त प्रभार के रूप में)** 2. **प्रथम सदस्य** अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून। **(पदेन)** 3. **द्वितीय सदस्य** श्री जैद रफी अंसारी, देहरादून।

3– उक्तानुसार गठित किये गये वक्फ अधिकरण में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये श्री अंसारी की पदावधि के निर्धारण के सम्बन्ध वक्फ अधिनियम, 2013 की धारा 83 की उपधारा (4 क) के अनुसार शासन द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4– वक्फ अधिकरण के संबंध में शासन की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1439/स.क./02–226/2002, दिनांक 24 जुलाई, 2002 को मात्र गढ़वाल मण्डल के सन्दर्भ में ही एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

(26)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः 1569 / XVII–3 / 16–07(27) / 2014
देहरादूनः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 सपठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43 सन् 1995) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–83 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदेश के कुमायूं मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु वक्फ अधिकरण, हल्द्वानी (नैनीताल) गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार वक्फ अधिकरण, हल्द्वानी (नैनीताल) के गठन के फलस्वरूप उक्त अधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र, अधिकरण की संरचना एवं अधिकरण में अध्यक्ष / सदस्यों की तैनाती का विवरण निम्नवत अनुसूची के अनुसार करने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र. सं.	अधिकारिता का क्षेत्र	अधिकरण की संरचना	अधिकरण हेतु तैनाती / नियुक्ति
1	2	3	4
1	नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़	उक्त अधिकरण में निम्नलिखित होंगे:– 1. ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा। 2. ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा। 3. ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।	1. **अध्यक्ष** श्रीमती प्रीतू शर्मा, FTC/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, POCSO, हल्द्वानी, नैनीताल। **(अतिरिक्त प्रभार के रूप में)** 2. **प्रथम सदस्य** अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल **(पदेन)** **3.द्वितीय सदस्य** श्री परवेश सिद्दकी, पुत्र स्व0 उमर सिद्दकी, रॉयल होटल, चौधानपाटा, अल्मोड़ा

3– उक्तानुसार गठित किये गये वक्फ अधिकरण में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये श्री सिद्दकी की पदावधि के निर्धारण के सम्बन्ध वक्फ अधिनियम, 2013 की धारा 83 की उपधारा (4 क) के अनुसार शासन द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4– वक्फ अधिकरण के संबंध में शासन की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1439 / स.क. / 02–226 / 2002, दिनांक 24 जुलाई, 2002 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

(27)

उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः ——— /XVII–3/17–07(31)/2004
देहरादूनः दिनांकः 18 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री अब्दुल अलीम अंसारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला, भगवानपुर (हरिद्वार) वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 8000/– को पूर्णकालिक नियुक्ति प्रकिया पूर्ण होने तक अथवा शासन के अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हों, तक के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का पदभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में तत्काल प्रभाव से हस्तगत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री अंसारी को किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते का भुगतान देय नहीं होगा एवं उनके वेतन/भत्तों आदि का भुगतान पूर्ववत उनके वर्तमान तैनाती स्थान से आहरित किया जाता रहेगा।

3– श्री अंसारी को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के पद का अतिरिक्त पदभार तत्काल ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(कै. आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1587 (1)/XVII(3)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2 निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मंत्री जी के अनुमोदन के क्रम में।
3 निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संज्ञानार्थ।
4 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5 आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7 निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8 निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को उनके स्तर से प्रदत्त विभागीय अनापत्ति सम्बन्धी कार्यालय आदेश संख्या–डिग्री सेवा–1/अनापत्ति/5599/2017–18, दिनांक 12.07.2017 के क्रम में।
9 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला, भगवानपुर (हरिद्वार)।
10 सम्बन्धित अधिकारी।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजुला खर्कवाल)
अनु सचिव।

(28)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
(powers and duties of its Officers and employees)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी
देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–2

(अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)
(powers and duties of its Officers and employees)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी– बोर्ड का सर्वोच्च प्रशानिक अधिकारी होने के कारण समस्त उत्तरदायित्व इस पद में निहित हैं। वक्फ अधिनियम की धारा 25 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्य एंव शक्तियॉ निम्नवत हैः–

धारा 25(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा बोर्ड के निर्देशों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों के अन्तर्गत आयेगें।

(क) वक्फ की प्रकति एंव विस्तार और वक्फ सम्पत्ति का अन्वेषण तथा जब कभी आवश्यक हो मुतवल्लियों से समय–2 पर वक्फ सम्पत्ति की सूची, खातों, विवरण और सूचना की मॉग करना,

(ख) वकफ सम्पत्तियों और उनसे सम्बन्धित खातों, अभिलेखों, विलेखों या इस्तावेजों का निरिक्षण करना या कराना,

(ग) साधारण तौर पर ऐसे कार्यो को करना जो, वक्फ के नियन्त्रण, पोषण और अधीक्षण के लिए आवश्यक है।

(2) किसी भी वक्फ के बाबत उप धारा (1) के अधीन निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करने में बोर्ड, वक्फ के विलेख में वाकिफ द्वारा निर्देशों, वक्फ के प्रयोजन और ऐसे रूढि और प्रथा की संपुष्टि में कार्य करेगा जिसे कि उस मुस्लिम–विधि के स्कूल द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है, जिसके वक्फ का संबंध होता है।

(3) जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त तौर पर विहित है, के सिवाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित या प्रत्योजित किये जाएं।

<u>वक्फ अधिनियम की धारा 26 के तहत बोर्ड के आदेशों या संकल्प के सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियॉः–</u>

जहॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह समझता है कि बोर्ड द्वारा पारित किया गया आदेश या संकल्प–

(क) विधि के अनुसार नहीं पारित किया गया है, या

(ख) उसके आधिक्य में है या बोर्ड द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या किसी दूसरी विधि द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का दुरूपयोग होता है, या

(ग) यदि संचालित किया जाए, तो–

बोर्ड या सम्बन्धित वक्फ या सामान्य रूप से वकफ वित्तीय हानिकारिता करने वाला है,

एक बलवा या शांति भंग करने वाला है, या

मानव जीवन, स्वास्थय या सुरक्षा, को खतरा पहूँचाने वाला है, या

(घ) साधारण तौर पर बोर्ड या किसी वक्फ या वक्फों के लिए हितग्राही नहीं है,

वह ऐसे आदेश या संकल्प को कार्यान्वित करने के पूर्व मामले को इस पर पुनर्विचार के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और यदि, ऐसे आदेश या संकल्प की पुष्टि और वर्तमान सदस्यों के मत के बहुमत द्वारा और इस प्रकार के पुनर्विचार के पश्चात मतदान को राज्य सरकार के लिए निर्देशित कर सकेगा, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 29 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस बाबत सम्यक् रूप से प्राधिकत बोर्ड का अन्य अधिकारी ऐसी शर्तो एंव निबन्धनों, जो उल्लेखित की जावे, के विषयाधीन रहते हुए एंव ऐसा शुल्क जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अन्तर्गत वसूलही योग्य हो के भुगतान के विषयाधीन रहते हुए सभी जो युक्तियुक्त समय पर, वक्फ अथवा चल अथवा अचल सम्पत्ति जो वक्फ सम्पत्ति है, वक्फ सम्पत्ति होना दायित्व की जाती है, से सम्बन्धित किसी लोक कार्यालय में किन्ही अभिलेखों, रजिस्टरों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरिक्षण कर सकता है।

वकफ अधिनियम की धारा 30(1) के तहत बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अभिरक्षा में रखे गये अन्य अभिलेखों के निरिक्षण की अनुमति दे सकता है एंव शुल्क भुगतान किये जाने पर एंव उल्लेखित शर्तो के विषयाधीन रहते हुए इसकी प्रतिलिपि जारी कर सकता है।

धारा 30 (2) के अन्तर्गत जारी सभी प्रतिलिपियॉ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 में प्रावधानित तरीके से प्रमाणित की जावेगी।

धारा 30 (3) उप धारा (2) के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियॉ ऐसे बोर्ड के अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा भी उपयोग में

लाई जा सकती है यदि बोर्ड द्वारा इस बाबत सामान्यतः अथवा विशिष्टतः प्राधिकत किया गया हो।

<u>वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 33 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकत व्यक्ति के निरिक्षण की शक्ति :–</u>

(1) इस दृष्टिकोण के साथ परिक्षण करना क्या, उसके कार्यपालकीय या प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुपालन में मुतवल्ली की ओर से कोई असफलता या उपेक्षा होने के कारण कोई हानि या क्षति किसी वक्फ की या वक्फ सम्पत्ति की, कारित की गई, तो बोर्ड की पूर्व अनुमोदन के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो स्वंयमेव या इसकी ओर से लिखित तौर पर उसके द्वारा प्राधिकत किया गया कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी चल व अचल सम्पत्तियॉ जो वक्फ सम्पत्तियॉ है और सभी अभिलेखों, संवाहो, योजनाओं, खातों और उनसे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज का निरिक्षण कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) में जब कभी भी यथानिर्देशित ऐसा कोई निरिक्षण किया जाता है तो सम्बन्धित मुतवल्ली और सभी अधिकारीगण तथा उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारीगण और वक्फ के प्रशासन से जुडा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का निरिक्षण करने वाले व्यक्ति एक विस्तारित, इस प्रकार की सभी सहायता एंव प्रसुविधायें जैसा कि आवश्यक हो या ऐसे निरिक्षण को चालू रखने के लिए उसके द्वारा संचित तौर पर आवश्यक समझा गया हो, और वक्फ से सम्बन्धित किसी चल सम्पत्ति या दस्तावेजों को निरिक्षण के लिए पेश करेगा, जिन्हें निरिक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा मंगाया जाए और वक्फ से सम्बन्धित ऐसी सूचना की उसे आपूर्ति करेगा जो उसके द्वारा अपेक्षित हो।

(3) जहॉ इस प्रकार के किसी निरिक्षण के पश्चात यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित मुतवल्ली या कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो उसके अधीन काम कर रहा था या कर रहा हो उसने वक्फ के धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया, दुरूपयोग किया या कपटपूण ढंग से प्रतिधारित किया या वक्फ की निधि से अनियमित, अप्राधिकत या अनुचित खर्च को उपगत किया, वहॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह कारण दर्शित करने का एक युक्तियुक्त अवसर मुतवल्ली या सम्बन्धित व्यक्ति को प्रदान करने के बाद क्यों न उसके विरूद्व रकम या सम्पत्ति की वसूली के लिए एक आदेश पारित किया जाना चाहिए और इस प्रकार के स्पष्टीकरण यदि कोई है, पर विचार करने पश्चात उस रकम या सम्पत्ति के आपूर्ति का निर्धारण कर सकेगा जिसका दुर्विनियोग और दुरूपयोग किया गया है या कपटपूर्ण ढंग से प्रतिधारित किया गया है या ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत किये गये अनियमित रकम अनाधिकत अवधारित की गई रकम या भुगतान करने की ऐसी कालावधि के भीतर जिसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, वकफ की कथित सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने के लिए इस प्रकार के एक व्यक्ति को निर्देशित करते हुए एक आदेश पारित कर सकेगा।

(4) ऐसे आदेश से व्यथित मुतवल्ली या दूसरा व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अधिकरण में अपील कर सकेगा।

परन्तु कोई भी ऐसी अपील तब तक अधिकरण द्वारा विचाराणार्थ ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपीलकर्ता कार्यपालक अधिकारी के साथ ऐसी रकम जो अपीलकर्ता द्वारा देय है तथा उप–धारा (3) के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जमा नहीं कर देता और अधिकरण धारा (3) के अधीन कार्यपालक अधिकारी द्वारा द किये गये आदेश के प्रवर्तन, अपील के निस्तारण के लम्बित रहते हुए निस्तारण को स्थगित करने वाले किसी भी आदेश को पारित करने की शक्ति नहीं रखेगा।

(5) अधिकरण, ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने के पश्चात जिसे यह उचित समझता हो, उप धारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक द्वारा पारित किये गये आदेश की पुष्टि कर सकेगा या ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रकम, को या तो पूर्णतया या ऑशिक तौर पर भेज सकेगा और खर्च के सम्बन्ध में, ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे यह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझता हो।

(6) उप धारा (5) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

बोर्ड द्वारा कार्यालय कर्मचारियों को निम्नवत कार्यभार सौंपा गया है।

<u>01 श्री मौहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक के कर्तव्य</u>

लोकन सूचना अधिकारी, वक्फ सम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करना, वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–54 एवं मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की पैरवी एवं मा0 बोर्ड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौपे गये कार्यो का निर्वहन करना।

<u>02 श्री वाजिद हुसैन, वक्फ निरीक्षक के कर्तव्य</u>

वक्फ सम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करना, वक्फ सम्पत्तियों को धारा–37 के रजिस्टर में अंकित करना एवं मा0 बोर्ड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौपे गये कार्यो का निर्वहन करना।

<u>02 सोहन सिंह रावत वैयक्तिक सहायक के कर्तव्य</u>
बोर्ड के अभिलेखों का रख–रखाव एवं दैनिक डाक पत्रों का सम्पादन तथा मा0 बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना।

<u>03 आलिम खॉ कनिष्ठ लिपिक</u>
सहायक लोक सूचना अधिकारी के साथ साथ अपने पदीय कर्तव्यों का निवर्हन तथा मा0 बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौपे गए कार्यो का निर्वहन।

<u>04 श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त कनिष्ठ लिपिक</u>

दैनिक डाक पत्रों को रजिस्टर में अंकित करना तथा पत्र डिस्पैच का कार्य एवं मा0 बोर्ड एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्यो का निर्वहन।

अधिकार –

क. प्रशासनिक अधिकार –

1. बोर्ड में कार्मिको की नियुक्ति करना।
से सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र करना।
2. अधीनस्थ कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि का अधिकार।
3. अवकाश वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार– यदि सरकारी कर्मचारी उस प्राधिकारी के नियन्त्रण में न रह गया हो जिसनें अवकाश स्वीकृत किया था तो इस अधिकार का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. बोर्ड के समस्त कार्यों का सम्पादन एवं मार्ग दर्शनः–
5. शासन के अपेक्षानुसार विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करनाः–
6. कर्मचारियों के स्थायीकरण/वेतन निर्धारण/वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रकरणों का निस्तारण करना।
7. कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी विधि प्रकरणों का निस्तारण करना।
8. चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर अधिनस्थ सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन तक का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना।
9. अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में आख्या प्रदान करना।
10. शासन द्वारा आवंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करना।

ख वित्तीय अधिकार–

1. कार्यालय प्रयोग के लिये पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिका नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदना।
2. कार्यालय प्रयोग हेतु राजकीय मुद्रण आदि का कय करना।
3. निर्धारित सीमा तक अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति करना।
4. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का निर्धारित सीमा के अन्दर मानदेय प्रदान करने का अधिकार।
5. अनिनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।
6. कार्यालय प्रयोगार्थ आवश्यकतानुसार पोस्टेज स्टैम्प आदि स्वीकृत करना।
7. निर्धारित सीमा के अन्तर्गत कार्यालय संचालन हेतु लेखन सामग्री, रबर स्टैम्पस के स्थानीय रूप से खरीद स्वीकार करना।
8. वित्तीय नियमों संग्रहों के अनुसार निर्धारित सीमान्तर्गत अन्य समस्त देयकों का आहरण वितरण का अधिकार।

ग– कर्तव्यः–

1. बोर्ड द्वारा सम्पादित समस्त कार्यों का मार्गदर्शन करना।
2. बोर्ड को प्राप्त शिकायतों का अध्यावधिक अध्ययन एवं उचित कार्यवाही करना।
3. बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को शासन/सरकार को प्रभावी कार्यों हेतु प्रेषित करना।
4. राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में शासन के निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड द्वारा कार्यों का सम्पादन समय सारणी के अनुसार किया जाता है तथा गुणात्मक दृष्टि से उनका स्तर अच्छा रहता है।
6. विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक आंकडों के रख–रखाव की समुचित तथा ऐसी व्यवस्था करना जिसे आवश्यकता पडने पर सुगमता से उपलब्ध कराया जा सके।
7. बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना।
8. बोर्ड में नियुक्त मा0 अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की समस्याओं/सुझाव आदि को शासन/सरकार को अग्रसारित करना।
9. बोर्ड को प्राप्त शिकायती वादों पर बोर्ड के अनुमोदन पर स्थलीय निरीक्षण करना।

(35)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–3

विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

(Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी देहरादून।

****

वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 एवं वक्फ रूल्स 2017 अन्तर्गत
धारा 109 वक्फ अधिनियम 1995

मैनुअल संख्या–3

विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

(Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability

वक्फ सम्पत्तियों/तौलियर के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति बयान हलफी के साथ शिकायती पत्र बोर्ड के समक्ष प्रेषित कर सकता है। बोर्ड द्वारा, प्राप्त शिकायती पत्र पर जॉच हेतु जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वक्फ निरिक्षक/ या किसी बोर्ड के सदस्य को भेजा जा सकता है। और शिकायती प्रकरण पर जॉच आख्या बोर्ड को प्रेषित की जाती है। वाद की सुनवाई की जाती है और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तत्पश्चात बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएगा।

बोर्ड द्वारा वर्ष में चार समान्य बैठकें की जाएगी तथा बैठकों का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाएगा यदि बोर्ड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से नहीं हो पाता है तो बहुमत के आधार पर जो निर्णय होगा वह बोर्ड को निर्णय माना जाएगा, यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जाएगा। यदि बोर्ड का प्रस्ताव वक्फ के हित में न हो तो वह प्रस्ताव पुनः बोर्ड में विचार हेतु भेजा जाएगा और यदि पुनः यह प्रस्ताव वक्फ के हित में नही प्रतीत होता तो वह शासन में भेज दिया जाएगा।

(37)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं स्थापित मापमान
(Norms set by it for the discharge of its functions)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी
देहरादून।

****

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–5

अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपनें कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिता और अभिलेख (Rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions) (A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी देहरादून।

क्रम संख्या–129 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 28 नवम्बर, 2017 ई0
अग्रहायण 07, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या 834/XVII–3/17–04(12)/2016
देहरादून, 28 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

सा0प0नि0–11

राज्यपाल, केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड नियम, 2017

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः–**
   (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वक्फ नियम, 2017 है।
   (2) यह नियम उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाः–**
   (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (क) **"अधिनियम"**से वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) अभिप्रेत है;
   (ख)"अधिकृत प्रतिनिधि"से विधिवत एक वकालतनामा के निष्पादन के द्वारा अधिवक्ता के विधिवत निष्पादित शक्ति से या एक कानूनी व्यवसायी के मामले में और उनके अधिवक्ता के रूप में एक व्यक्ति की ओर से कार्यवाही करने के लिये अधिकृत एक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) **"मतपेटी"**से ऐसा कोई बॉक्स, बैग या अन्य कन्टेनर, जिसे मतदाताओं द्वारा मतपत्र की प्रविष्टि के लिये प्रयोग किया ज़ायेगा अभिप्रेत है;

(घ) **"अध्यक्ष"**से वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–14 की उपधारा–8 के तहत निर्वाचित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) **"गिनती"** से सभी उम्मीदवारों के लिये दर्ज मतों की गिनती में शामिल संचालन प्रकिया से अभिप्रेत है;

(च) **"निर्वाचक"** से बोर्ड के सदस्य के किसी भी वर्ग के चुनाव के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा, जब तक किसी व्यक्ति को अयोग्य करार नहीं कर देता है, मतदाता सूची में निर्दिष्ट किया जाने से अभिप्रेत है;

(छ) **"मतदाता सूची"**से नियम–9 के तहत प्राप्त मतदाताओं की सूची अभिप्रेत है;

(ज) **"अतिक्रमण"** से किसी भी वक्फ सम्पत्ति में इस तरह के कब्जे के लिये प्राधिकरण के बिना वक्फ सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कब्जा और वक्फ सम्पत्ति में किसी व्यक्ति द्वारा पट्टा या हस्तांतरण में इस तरह के कब्जे प्राधिकृत करने के बाद वक्फ सम्पत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जे में बने रहने को शामिल किया गया है, या किसी भी कारण से समाप्त, से अभिप्रेत है;

(झ) **"प्रपत्र"** से इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ञ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ट) **"कानूनी व्यवसायी"** से अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का संख्या–25) के अन्तर्गत विहित व्यवस्था से अभिप्रेत है;

(ठ) **"प्रबन्ध समिति"** से वक्फ अधिनियम की धारा–18 के तहत नियुक्त/स्थापित बोर्ड की समितियां अभिप्रेत है;

(ड) **"परिसर/सम्पत्ति"** से किसी भूमि पर बनी इमारत अथवा उसका भाग अभिप्रेत है:–

(1) यदि कोई बगीचा, जल निकायों, मैदान ऐसे भवन या इमारत के हिस्से के लिए;

(2) किसी भी फिटिंग ऐसे भवन या उससे अधिक फायदेमन्द आनन्द के लिय इमारत का हिस्से से चिपका; और

(3) दरगाह, कब्रिस्तान, खानकाह, पीरखाना, कर्बला, मकबरा, मस्जिद मकबरे और आंगन

(ढ) **"रजिस्ट्रार"** से ट्रिब्यनूल का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है, और सहायक रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति भी शामिल है जिसे रजिस्ट्रार न्यायाधिकरण के अनुमोदन से किसी भी समारोह में रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग करके सौपा जा सकता है;

(ण) **"रिटर्निंग अधिकारी"** से एक अधिकृत अधिकारी या चुनाव प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी भी कार्य करने के लिये या इन नियमों के तहत चुनाव के संचालन के सम्बन्ध में किसी भी समारोह में प्रर्दशन अभिप्रेत है;

(त) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) **"ट्रिब्यूनल"** से वक्फ अधिनियम–1995 की धारा 83(1) अभिप्रेत है;

(द) **"वक्फ परिसर" से अभिप्रेत है:–**

(1)किसी भी मौखिक रूप से या चल या अचल सम्पत्ति के एक व्यक्ति के द्वारा समर्पित लेखन में एक साधन के द्वारा और धार्मिक रूप से पवित्र या धमार्थ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिये इस्तमाल किया गया हो

(2) सरकारी राजपत्र में वक्फ सम्पत्ति के रूप में अधिसूचित परिसर, या

(3) बोर्ड द्वारा बनाये गये ऑकाफ के रजिस्टर मे वक्फ के रूप में पंजीकृत परिसर, या

(4) सम्पत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में व्यवहार किया गया

(ध) **"वक्फ सम्पत्ति"**से किसी चल या अचल सम्पत्ति में अधिनियम की धारा 3 के खंड (द) के लिये भेजना अभिप्रेत है, और उसके परिसर भी शामिल है;

(2) अधिनियम में परिभाषित एक ही अर्थ क्रमशः इन नियमों में परिभाषित किया गया है सभी शब्द और भाव का इस्तेमाल किया और न लेकिन अधिनियम में उन्हें सौंपा जायगा।

3. मुतवल्ली की योग्यताऐं:–

(1) मुतवल्ली भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) एक वक्फ की एक मुतवल्ली की योग्यता ऐसी होगी जैसा कि वाकिफ के द्वारा वक्फ विलेख में निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) जहां मुतवल्ली की योग्यता वाकिफ के द्वारा निर्दिष्ट की गई है, वहां मुतवल्ली को:–

(अ) हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी के अतिरिक्त जहां पर वक्फ सम्पत्ति स्थित है की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

(ब) वक्फ अधिनियम का ज्ञान होना चाहिए।

(स) शरीयत का कार्यकारी ज्ञान, और

(द) शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ,

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई योग्यता उप–नियम (2) के तहत एक वाकिफ द्वारा निर्दिष्ट की गई है या इस उप–नियम के तहत योग्य कोई व्यक्ति उपलब्ध है, बोर्ड किसी भी वंशानुगत योग्य मुतवल्ली जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, को किसी वक्फ के लिये मुतवल्ली नियुक्त कर सकेगा।

4. सर्वेक्षण आयुक्त की सूचना एवं अन्य विवरण को शामिल करना:–अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) के अर्न्तगत सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना प्रपत्र–1 के पर निर्दिष्ट किया जायेगा।

5. सर्वेक्षण आयुक्त की जांच की अन्य शक्तियां:–अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अर्न्तगत निर्दिष्ट करने के अलावा अर्थात निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण आयुक्त को अधिकार है:–

1. **अस्थाई निषेधाज्ञा एवं वादकालीन आदेशों का अनुदान, तथा**
2. **रिसीवर की नियुक्ति।**

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के विरूद्ध तब तक कोई जांच नही की जाएगी जब तक बोर्ड के कार्यालय में नोटिस देने की तिथि से दो माह की अवधि न बीत गई हो जिसके कारण, वर्णन, वादी का स्थान या प्रार्थी तथा अनुतोष का उल्लेख किया जायेगा।

6. उप–धारा के अर्न्तगत प्रकाशित ऑकाफ की सूची अन्य ब्यौरे के साथ शामिल करना:–प्रकाशित ऑकाफ की एक सूची अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अर्न्तगत प्रपत्र–2 में निर्दिष्ट किया जायेगा।

7. राजस्व अभिलेखों में ऑकाफ का पंजीकरण:–

(1) सरकार, ऑकाफ की सूची बोर्ड से प्राप्त करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अर्न्तगत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करते हुए राजस्व अधिकारियों को एक माह के भीतर भेजेगा।

(2) सरकार से उपनियम (1) के तहत सूची प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा रिकार्ड का अध्यतन करने ओर भूमि रिकार्ड में उत्परिर्वतन तय करने के बाद उसकी एक प्रति दिनांक की प्राप्ति से छः माह के भीतर बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे।

(3) यदि कोई सूचना राजस्व अधिकारी द्वारा छः माह के भीतर बोर्ड को नही भेजी जाती है तो उत्परिवर्तन में भूमि रिकार्ड में प्रविष्टि समझी जायेगी।

8. चुनाव का आचरण:–

(1) सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के प्रयोजनों के लिये धारा 14 के खण्ड (ख) की उपधारा (1) के अर्न्तगत चुनाव प्राधिकारी होगा और उनके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में इन नियमों के तहत चुनाव का अधिकार होगा।

(2) सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव इन नियमों के तहत चुनाव कराने के प्रायोजनों के लिये उप–निर्वाचन प्राधिकरी होंगे।

(3) उप चुनाव प्राधिकारी सभी या चुनाव प्राधिकारी के किसी कार्यों में किसी भी निर्वाचन प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन प्रदर्शन करेगा।

(4) चुनाव प्राधिकारी का एक अधिकारी जो इन नियमों के तहत चुनाव के सुचारू संचालन के लिये जिम्मेदार होंगे पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा। बशर्ते कि इस तरह केनिर्वाचन अधिकारी सरकार में एक राजपत्रित पद धारण व्यक्तियों के बीच से नियुक्त किया जायेगा।

(5) चुनाव प्राधिकरी, सरकार के अधिकारियों के बीच से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त करेगा।

(6) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी सभी या निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के लिये निर्वाचन अधिकारी विषय के कार्यों के किसी भी प्रदर्शन के लिये सक्षम होगा। परन्तु सहायक निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी के किसी भी समारोह में कोई प्रदर्शन नही करेगा जब तक निर्वाचन अधिकारी नामांकन की जांच के लिये उसे ऐसा प्रदर्शन करने लिये निर्दश नही दे देता है।

(7) इन नियमों के अन्य प्राविधानों के अधीन, चुनाव प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी, अर्थात

(क) चुनाव का समय, स्थान एवं नियत तिथि,

(ख) सूचना, नामांकन, सूचना का पत्र, घोषणा पत्र, मतपत्र को कवर करने और चुनाव के लिये लिफाफे के रूप में सूचित करने के लिये, किसी भी अन्य अभिलेख तैयार कराने या एक चुनाव और चुनाव के संचालन के लिये जारी निर्देश चुनाव के संचालन के लिये अधिसूचना में समाहित करने हेतु,

(ग) संदेह दूर करने हेतु वैधता या उस पर दर्ज की गई प्रत्येक वोट के प्रत्येक मतपत्र की आमन्यता के मामले में फैसला करना,

(घ) प्रत्येक चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिये, तथा

(ड.) नियत करने के लिये

1–चुनाव की तिथि,
2–नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि,
3–उम्मीदवारों के नामांकन की जांच तिथि और निर्वाचित उम्मीदवार की प्रकाशन सूची,
4–नामांकन वापस लेने के लिये अंतिम तारीख व घण्टे,
5–अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख,
6–तिथि और चुनाव के लिये घण्टे,
7–मतो की गिनती और जांच के घंटे और तारीख,

(8) इन नियमों के तहत चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

9. निवार्चन सूची:–

(1) चुनाव प्राधिकरी उपखण्ड (1) में उल्लिखित श्रेणियों में मतदान करने के पात्र व्यक्तियों की सूची प्राप्त करेगा, जो (2)(3) और (4) खण्ड–(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों उप नियम (2) और ऐसे व्यक्तियों की सूची में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 14 के उस वर्ग के लिए निर्वाचक मण्डल और व्यक्तियों जिनके नाम सूची में होंगे, के सदस्यों की उस वर्ग के लिए मतदाताओं को चयन किया जाएगा।

(2) श्रेणी वार सूची निम्न प्रकार के रूप में प्राप्त की जाएगी:–

(क) राज्य से या जैसा भी मामला हो सकता है संसद के मुस्लिम सदस्य, अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(1) के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चुनाव से महासचिव, लोक सभा के लिए/राज्य सभा से,

(ख) राज्य विधान मण्डल में मुस्लिम सदस्य के चुनाव के लिए अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(2) सचिव, विधान सभा/परिषद से,

(ग) अधिनियम की धारा 14 (1)(ख)(3) के तहत सम्बन्धित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों के चुनाव के लिये, राज्य बार काउंसिल के सचिव से,

(घ) अधिनियम की धारा 14(1)(ख)(4) के तहत मुतवल्ली के चुनाव के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी से

10. मुतवल्लियों द्वारा चुनाव:–निर्वाचन चुनावी नियम 9 के उप नियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन मुतवल्ली द्वारा चुनाव की तैयारी के प्रायोजनों के लिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मुतवल्लियों को एक सप्ताह का समय देना होगा या जैसा भी मामला हो, प्रबन्ध समितियों को चयन करने के लिए:–

(क) एक से अधिक मुतवल्ली होने की दशा में वक्फ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे वरिष्ठ मुतवल्ली,

और

(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा वक्फ संस्था प्रशासित होने के मामले में इस तरह के वक्फ संस्था के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में,

परन्तु यदि वक्फ संस्था वरिष्ठ मुतवल्ली और प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के नाम से संवाद करने में विफल रहता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वरिष्ठ मुतवल्ली और प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष चयनित किया गया है समझा जाएगा और उनके नाम निर्वाचन मण्डल का गठन करने के प्रयोजन के लिए मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा,

परन्तु यह है कि केवल उन मुतवल्लियों या प्रबन्ध समितियों के प्रतिनिधियों को मतदान करने के लिए जो बोर्ड में पंजीकृत है और एक लाख रूपये की वार्षिक आय होने के पूर्ववर्ती वर्ष में वक्फ अधिनियम की धारा–72 के तहत वार्षिक योगदान बोर्ड को देय भुगतान कर दिया है, पात्र होंगे जो पिछले साल तक काम करते है।

11. संसद के पूर्व मुस्लिम सदस्य, राज्य विधान मण्डल के पूर्व मुस्लिम सदस्य और बार काउंसिल के पूर्व मुस्लिम सदस्यों की मतदाता सूची:–

मामले में उप–खंड (1) में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी में कोई मुस्लिम सदस्य नही है तो उपधारा (3) के खंड (ख) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के, संसद के पूर्व मुस्लिम सदस्य, राज्य विधायिका या राज्य बार काउंसिल के पूर्व सदस्य, जैसा भी मामला हो सकता है, निर्वाचक मण्डल का गठन करेगा और एक अलग मतदाता सूची में इस तरह प्रत्येक श्रेणी के लिए रखा जाएगा।

12. सूची का प्रदर्शन:–चुनावी नियम–9 के तहत प्राप्त सूचियों, चुनाव की तिथि से चौदह दिन से कम नही हों चुनाव प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर और बोर्ड के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी/स्थानीय भाषा के सामाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

13. आपत्तियां दाखिल करना:–

(1) नियम–12 के तहत चुनावी सूचियों के प्रकाशन से व्यथित कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाम हटाने या सम्मिलित करने या संशोधन के लिए इस तरह के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर चुनाव प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति याचिका दायर कर सकता है,

(2) चुनाव प्राधिकरण, आपत्ति याचिका के माध्यम से जानने के बाद, और, किसी भी श्रोत से किसी भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद यह उचित समझे और आपत्तिकर्ता या याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद यदि यह आवश्यक लगता है, आपत्ति याचिका पर आदेश पारित करेगा।

(3) **उप–नियम (2) के तहत पारित आदेश के प्रकाश में यदि मतदाता सूची में किसी भी संशोधन की आवश्यकता है, चुनाव प्राधिकरण, इस तरह के संशोधन को शामिल करने के बाद, अंतिम मतदाता सूची कम से कम चुनाव की तारीख से सात दिन पहले प्रकाशित करेगा और ऐसे मतदाता सूची के चुनाव के लिए मतदाताओं के अंतिम और निर्णायक सूची होगी।**

14. चुनाव के प्रयोजन हेतु सार्वजनिक नोटिस:–

(1) चुनाव प्राधिकरण, बोर्ड के सदस्य का चुनाव करने के लिए इस तरह के निर्देशों के रूप में प्रपत्र 3 में, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने के विषय में ऐसी तारीख या तारीखों का आह्वान करेगा, और नियमों और अधिनियम के प्राविधानों के रूप में उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) उप–नियम (1) तहत जारी अधिसूचना नामांकन की अंतिम तिथि, नामांकन की जांच के लिए तिथि, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि, स्थान और तारीख और समय निर्दिष्ट करेगा जो चुनाव के दौरान होगा, यदि आवश्यक हो, आयोजित किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के तहत अधिसूचना के मुद्दे पर निर्वाचन अधिकारी बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव के प्रयोजतन हेतु सार्वजनिक नोटिस प्रपत्र 4 में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी।

15. विशेष चुनाव कार्यक्रम:–इन नियमों में, जहां प्रक्रिया बाधित है या चुनाव कार्यक्रम किसी भी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्य किसी वैध कारण के लिए बदल सकता है, लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, यह या तो आम तौर पर या सदस्यों की निर्दिष्ट श्रेणी चुनाव तय समय इन नियमों के तहत करने के लिए अधिसूचित को रद्द करने के सम्बन्ध में निर्वाचन प्राधिकरण के लिए सक्षम हो जाएगा चुनाव कार्यक्रम फिर से सूचित करने के रूप में यह मामले की परिस्थितियों में यदि उचित समझे,

बशर्ते कि इस नियम के तहत जहां तय समय चुनाव फिर से अधिसूचित है, पहले से बनाया नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा।

16. उम्मीदवारों का नामांकन:–

(1) एक व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के कार्यालय के प्रपत्र–5 को भरने के लिए वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामित किया जा सकेगा यदि उम्मीदवार के रूप में नामित किये जाने योग्य है।

(2) नामांकन नियत तारीख से पहले उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और उम्मीदवार द्वारा या एक विधिवत इस सम्बन्ध में उसके द्वारा हस्ताक्षरित अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट घंटे निर्दिष्ट स्थान पर, निर्दिष्ट रिटर्निंग अधिकारी को देगा।

(3) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) की उप–धारा (1) के तहत एक व्यक्ति जिसका नाम उस वर्ग के मतदाता सूची में पंजीकृत है, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के लिए एक उम्मीदवार के लिये किया जाएगा।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार एक अलग नामांकन पत्र पर नामित किया जायेगा।

(5) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) निर्दिष्ट श्रेणियों में से एक से अधिक के लिए एक उम्मीदवार नामांकित किया जा सकता है।

17. नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन की आवश्यकता:–

(1) नामांकन की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी झट से नामांकन पत्र के क्रमानुसार जिसमें यह प्रस्तुत किया है, और क्रम में गिन ले और प्रपत्र 6 में एक रसीद दे दें।

(2) रिटर्निंग अधिकारी या इस तरह के अन्य प्राधिकृत व्यक्ति खुद को संतुष्ट करेगा कि नाम और उम्मीदवार की संख्या, नामांकन पत्र में प्रविष्ट किये गये के रूप में मतदाता सूची में दर्ज किया गया है और जहां आवश्यक हो, वह प्रत्यक्ष नामांकन प्रपत्र होने के रूप में मतदाता सूची के अनुसार होना करने के लिए संशोधन किया।

(3) रिटर्निंग अधिकारी, मतदाता सूची में महज लिपिक या मुद्रण त्रूटियों के कारणों के साथ एक साथ व्याख्या उसके द्वारा अपनाया रिकार्ड अनदेखी करेगा, जबकि प्रवेश की व्याख्या है, लेकिन औपचारिक स्वीकृति या अस्वीकृति या एक नामांकन की जांच कर ली हो।

18. नामांकन के प्रकाशन की प्राप्ति:–समय तिथियों उस उद्देश्य के लिए तय पर नामांकन पत्र की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट की समाप्ति के तुरन्त बाद, रिटर्निंग अधिकारी या इस तरह के अन्य अधिकृत व्यक्ति हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में उनके कार्यालय में प्रकाशित करेगा। सभी नामांकन प्रपत्र 7 में एक सूची प्राप्त है के साथ **एक सूचना नामांकन पत्र निर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर जांच के लिए रिटर्निंग अधिकारी** द्वारा लिया जाएगा।

19. प्रतिज्ञान की शपथ:–प्रत्येक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते समय अपने नामांकन की जांच किसी अधिकृत रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र 8 में प्रतिज्ञान के प्रति शपथ गृहण करेगा।

20. नामांकन पत्रों की जांच:–

(1) नामांकन की जांच, हेतु उम्मीदवार, और एक अन्य प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में विधिवत अधिकृत किए गए व्यक्ति नियत तारीख पर, ऐसे समय और स्थान पर भाग लेने के रूप में नियम 18 के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) निर्वाचन अधिकारी के रूप में ऐसे अन्य व्यक्तियों को स्वीकार कर सकते है, वह उसे सहायता करने के लिए जो उचित समझता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देना होगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र और सभी आपत्तियों जो किसी भी नामांकन के समय किया जा सकता है और हो सकता है, या तो इस तरह की आपत्ति पर या वह आवश्यक सोचता है कि जैसे सारांश जांच के बाद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर जांच करेगी, किसी पर कोई नामांकन अस्वीकार निम्नलिखित आधार, अर्थात:–

(क) यह कि उम्मीदवार बोर्ड की उस विशेष श्रेणी के एक सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अयोग्य है,

(ख) यह कि उम्मीदवार को किसी निरर्हताओं अधिनियम या इन नियमों की धारा 16 में निर्दिष्ट किये गये है,

(ग) यह कि उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है,

(घ) यह कि उम्मीदवार इन नियमों के प्रावधानों से किसी का पालन करने में विफल रह गया हो, या

(ड.) यह कि नामांकन पत्र में उम्मीदवार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान वास्तविक नही है,

बशर्ते कि एक उम्मीदवार का नामांकन उसके नाम का या, मतदाता सूची में दर्ज किया गया है जैसे कि उम्मीदवार की पहचान अन्यथा उचित संदेह से परे स्थापित है उम्मीदवार से सम्बन्धित किसी भी अन्य विवरण की एक गलत विवरण के आधार पर महज अस्वीकार नही किया जाएगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक नामांकन कागज स्वीकार करने, खारिज और नामांकन पत्र खारिज कर दिया है, तो वह करेगा, ऐसी अस्वीकृति के लिए उसके कारणों की एक संक्षिप्त बयान लिखित में अपने फैसले के समर्थन में रिकार्ड में रखेगा।

(5) नामांकन पत्र की जांच, जहां तक साध्य के रूप में, इस सम्बन्ध में और कार्यवाही का कोई स्थगन में नियत तारीख पर पूरा किया जाएगा आमतौर पर, निर्वाचन अधिकारी के विवेक के, करने के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए एक उम्मीदवार किसी भी विवाद पर उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ उठाया गलत साबित करने के लिए अनुमत किया जाएगा।

(6) इस नियम के प्रायोजनों के लिए बोर्ड के सदस्य की श्रेणी में से किसी समय या तत्समय प्रवृत्त मतदाता सूची में एक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है कि वह व्यक्ति जब तक यह साबित कर दिया है कि वह अधिनियम में या इन नियमों में वर्णित किसी भी अयोग्यता के अधीन है प्रविष्टि, बोर्ड के सदस्य के उस वर्ग के लिए एक निर्वाचक है, में करने के लिए भेजा जाएगा।

(7) के तुरन्त बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई है और निर्णय, स्वीकार करने या खारिज ही दर्ज किया गया है, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक श्रेणी के तहत नामांकन की एक सूची तैयार करेगा वैध पाए गठन के रूप में अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रपत्र 9 में प्रदर्शित करेगा।

21. नांमाकन की वापसी:—कोई भी उम्मीदवार, प्रपत्र 10 में लिखित रूप में अपना नामांकन वापस ले सकते हैं उसके द्वारा हस्ताक्षर किए है और पिछले नियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा या तो नही बाद में की तुलना में पांच बजे शाम लौटाने वाले अधिकारी के लिए दिया गया।

22. चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन:—

(1) नामांकन वापस लेने के बाद अगले दिन, निर्वाचन अधिकारी हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा/स्थानीय भाषा में एक सूची प्रपत्र 11 के अनुसार तैयार कर वैध पाये गये व्यक्तियों की नामांकन सूची तैयार कर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वक्फ बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित करेगा।

(2) उप नियम (1) के तहत तैयार सूची हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा/व्यवस्थित स्थानीय भाषा में अपने नामांकन पत्र में विधिवत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वर्णित के रूप में उम्मीदवारों के नामों को शामिल करेगा।

23. निर्विरोध उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा:—

(1) चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की संख्या एक विशेष श्रेणी में बराबर या रिक्ति की संख्या से कम है, तो निर्वाचन अधिकारी झट से इस तरह के उम्मीदवार के रूप में विधिवत प्रपत्र 12 में निर्वाचित घोषित करने और चुनाव प्राधिकरण को एक ही भेजेगा।

(2) चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की संख्या यदि एक विशेष श्रेणी में रिक्ति या रिक्त पदों की संख्या से अधिक है, तो चुनाव आयोजित किया जाएगा।

24. चुनाव से पूर्व उम्मदवार की मृत्यु:—एक चुनाव लड रहे उम्मीदवार मर जाता है और उसकी मौत की रिपोर्ट चुनाव के प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त होती है, तो निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवार की मौत के तथ्य के संतुष्ट होने पर, इस सर्वेक्षण काउन्टरमाइन्ड करेगा और चुनाव कार्यवाही सभी सम्बन्ध में नए सिरे से एक नया चुनाव के लिए शुरू कर दी जाएगी।

बशर्ते कि एक उम्मीदवार जो सप्रमाण चुनाव के काउन्टरमाईडिंग के समय नामित करने के मामले में कोई नया नामांकन आवश्यक नही होगा।

25. मतदान:—

(1) एक चुनाव आयोजित किया जा रहा है, तो निर्वाचन अधिकारी चुनाव के संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे और देखेंगे कि काफी मतदान चुनाव केन्द्र पर आयोजित किया जाता है, और विनियमित मतदाताओं की संख्या एक समय में भर्ती होने के लिए, और निम्नलिखित के अलावा अन्य सभी व्यक्ति बाहर होंगे।

(क) उम्मीदवार,
(ख) पुलिस अधिकारी या कार्य पर तैनात अन्य लोक सेवकों,
(ग) निर्वाचन अधिकारी के रूप में इस तरह के व्यक्तियों को समय–समय पर मतदाताओं की पहचान करने के प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकते है,
(घ) सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति,
(ङ) निर्वाचक के साथ में एक बच्चे व शस्त्र, तथा
(च) एक अंध या कमजोर निर्वाचक के साथ एक व्यक्ति जो मदद के बिना स्थानांतरित नही कर सकते

(2) जहां के एक महिला मतदाता पर्दे के कारण उसे देख निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी पहचान नही की जा सकती, वह निर्वाचन अधिकारी की संतुष्टि के लिए किसी भी ढंग से पहचाने जा सकने की आवश्यकता हो सकती है।

26. मतदान का अधिकारः–

(1) मतदान व्यक्ति में होना है,

(2) एक चुनाव में मतदान व्यक्ति के सभी मतदाता इन नियमों के तहत उनके लिए प्रदान मतदान केन्द्र पर ऐसा करेगा,

(3) गिनती के सदस्यों में से प्रत्येक श्रेणी के खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के अर्न्तगत चुनाव के लिए मतदान के अंत में व्यवस्था की जाएगी।

(4) निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची और मतदान करने के हकदार मतदाताओं के ऐसे अन्य 'लेख और पत्र आवश्यक के नामों वाले की प्रतियां के साथ एक साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र, मतपेटियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराएगा, मतदाताओं मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए, स्टेशनरी और रूपों, के रूप में आवश्यक हो सकता है।

(5) चुनाव के प्रारम्भ होने से तुरन्त पहले, निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंन्टों मतपेटी खाली है को प्रर्दशित करेगा।

27. मतपत्र का प्रपत्रः–

(1) प्रत्येक मतपत्र हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा विधिवत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में चुनाव लड रहे उम्मीदवारों की सूची की क्रम संख्या व्यवस्थित होगी।

(2) प्रत्येक मतदान कागज एक निर्वाचन करने के मुद्दे से पहले, होने वाली

(क) मुहर लगी या उसकी पीठ पर लिखे जाऐंगे

1. नाम और सदस्य की श्रेणी,

2. चुनाव की जगह,

(ख) निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी पीठ पर पूर्ण हस्ताक्षर

28. मतपत्र जारी करनाः–एक निर्वाचन करने के लिए जारी किये गए एक मतपत्र के तुरन्त बाद, निर्वाचन अधिकारी मतपत्र प्राप्त करने के बाद मतदाता सूची के कार्यालय की नकल पर, के उपलक्ष्य में रिकार्ड के लिए निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

29. मतदाता और मतदान कार्यवाही की गोपनीयता का रख रखावः–

(1) एक मतपत्र जिसे हर निर्वाचक नियम 28 के तहत जारी किया गया है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस उद्देश्य के लिए मतदान प्रक्रिया बाद में निर्धारित निरीक्षण करते है।

(2) मतपत्र प्राप्त करने पर निर्वाचक तुरन्त करेगा।

(क) मतदाम कम्पार्टमेंन्ट के लिए आगे बढना,

(ख) पहले, दूसरे, तीसरे और प्रतियोगियों के नामों के खिलाफ संख्यात्मक 1, 2, और 3 और इतने पर लिख कर अपनी पंसद पर, वह वरीयता देने के लिए रिकार्ड करना चाहता है, तथा

(ग) निर्दिष्ट मत पेटी में तह मतपत्र डालें।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी देरी के मतदान करेंगे।

30. दृष्टिहीन और कमजोर मतदाताः–

(1) अंधापन या अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण, एक निर्वाचक मतपत्र पर प्रतियोगियों के नामों की पहचान करने के लिए या वरीयता उस पर लिखने में असमर्थ है, निर्वाचन अधिकारी उसकी इच्छा के अनुसार कर दिया गया है संकेत नही करेगा।

(2) इस नियम के तहत काम कर रहे है, रिटर्निंग अधिकारी गोपनीयता का पालन करेगा और प्रत्येक ऐसे उदाहरण का एक संक्षिप्त रिकार्ड रखेगा। लेकिन जिस तरह की से किसी का भी मतदान कर दिया गया है, संकेत नही करेगा।

31. पहचान करने के लिये अभियोग करनाः–

(1) कोई उम्मीदवार एक व्यक्ति को एक विशेष निर्वाचक के दावे की पहचान को एक ऐसे प्रत्येक चुनौती के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास नगद में सौ रूपये पहले जमा की राशि होने की चुनौती दे सकता है।

(2) ऐसी जमा राशि पर, निर्वाचन अधिकारी करेगाः–

(क) जिस व्यक्ति को चुनौती दी है, प्रतिरूपण के लिए दण्ड की चेतावनी दी है, और

(ख) मतदाता सूची में प्रासंगिक प्रविष्टि पूर्ण पढ सकते है, और उससे पूछें कि क्या वह व्यक्ति प्रविष्टि में निर्दिष्ट है या नही।

(3) तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी चुनौती में एक संक्षिप्त जांच करेगा, और उस प्रयोजन के लिए हो सकता है:–

(क) दावेदार, दावा किये गये व्यक्ति को उसकी पहचान का सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तथा जिस व्यक्ति के पहचान का दावा किया गया है, को सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है,

(ख) उस व्यक्ति को किसी भी सवाल की स्थापना के उद्देश्य के लिए आवश्यक रूप से विकलांग उसकी पहचान करने और उसे शपथ पर उन्हें जवाब देने के लिए आवश्यकता होती है, तथा

(ग) दावेदार, और किसी भी अन्य व्यक्ति को सबूत देने की पेशकश करने के लिए एक शपथ दिलाएंगे।

(4) तो जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी यदि समझता है कि चुनौती स्थापित नही की गई है, वह व्यक्ति जिसको चुनौती दी वोट करने के लिए अनुमति होगी और अगर वह समझता है कि चुनौती स्थापित है, वह मतदान से निषिध व्यक्ति होगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी की राय है कि चुनौती तुच्छ है या अच्छे विश्वास में नही किया गया है, तो वह निर्देशित करेगा कि उप–नियम (1) के तहत जमा किया धन सरकार के लिए जब्त होगा, वह जांच के समापन पर और किसी भी अन्य मामले में दावेदार को वापस करेगा।

32. बिगडा हुआ और लौट आया मतपत्रः–

(1) एक निर्वाचक जो अनजाने में अपने मतपत्र के साथ पेश किया गया है, निर्वाचन अधिकारी को यह देने से और उसे असावधानी के संतोषजनक पर, एक और मतपत्र और मतपत्र इसलिए लौटाए और इस तरह के मतपत्र के प्रतिपर्ण दिया जा सकता है, के रूप में चिन्हित निर्वाचन अधिकारी द्वारा रद्द किया जाएगा।

(2) एक मतदाता, मतपत्र प्राप्त करने के बाद इसका इस्तेमाल करने का फैसला नही लेता, वह इसको निर्वाचन अधिकारी को वापस करेगा, और मतपत्र इसलिए लौटाए तो इस तरह के मतपत्र पर **"लौटा रद्द"** तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा चिन्हित किया जाएगा।

(3) सभी रद्द मतपत्र उप नियम (1) और (2) के तहत एक अलग पैकेट में रखा जाएगा।

33. वोटों का उद्घाटनः–

(1) मतों की गिनती एक ही जगह पर, जहां मतदान हुआ है मतदान के तुरन्त बाद शुरू होगी।

(2) उसी जगह पर चुनाव के तुरन्त बाद निर्वाचन अधिकारीः–

(क) मतपेटी खोलने पर मतपत्रों की गिनती और यह सुनिश्चित करें कि बॉक्स में पायी मतपत्रों की संख्या प्रति मतदाता सूची की प्रतिलिपि कार्यालय के रूप में जारी मतपत्रों की संख्या के रूप में ही है,

(ख) मतपत्र जो वह उन जो वह बाद के शब्द "अस्वीकृत" और अस्वीकृति की आधार पर अलग करके पुष्टि खारिज कर दिया था से मान्य समझे गए।

34. मतपत्रों की अमान्यताः–एक मतपत्र किसी एक या निम्नलिखित मामलों की अधिकता में अमान्य हो जाएगाः–

(क) एक ही वरीयता एक से अधिक नाम के खिलाफ दर्ज की गई है,

(ख) संख्यात्मक वरीयता इसलिए प्रस्तुत करने के लिए, के रूप में रखा गया है यह शक हो कि उम्मीदवार का इसे लागू करने का इरादा है,

(ग) संख्यात्मक या इस तरह के अन्य आंकडे इस तरीके में नामों के विपरीत लिखा जाता है कि यह संभव निर्वाचक का इरादा पंसद का पता लगाने के लिए नही है,

(घ) कोई निशान या लेखन, जिसके द्वारा निर्वाचक पहचाना जा सकता है।

35. वोटों की गिनतीः–

(1) मतपत्र जो अमान्य है, को खारिज करने के बाद निर्वाचन अधिकारी करेगाः–

(क) एक उम्मीदवार द्वारा सर्वेक्षण में शामिल प्रथम वरीयता के वोटों की अधिकतम संख्या की गिनती तो दूसरी वरीयता एक उम्मीदवार द्वारा सर्वेक्षण में शामिल वोट की अधिकतम संख्या की गिनती और इतने पर और इसी क्रम में उम्मीदवारों के नाम की व्यवस्था,

(ख) यह रिक्ति की संख्या एक है पहली वरीयता के वोटों की ऐसे मतगणना के बाद, प्राप्त होने से अधिकतम संख्या उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जाएगा और रिक्तियों दो होने के मामले में, उम्मीदवारों की पहली और दूसरी वरीयता के वोट की अधिकतम संख्या प्राप्त होने हेतु दूसरी रिक्ति के लिए चुने गए।

(2) उनकी गिनती के अंत में, चुनाव लड रहे उम्मीदवारों में से प्रत्येक वोट का एक मूल्य है और कोई अधिशेष हस्तांतरण करने में सक्षम रहता है, निर्वाचन अधिकारी बहुमत द्वारा फैसला करेगा उनमें से जो बाहर रखा जाएगा, और अन्य उम्मीदवारों, ड्राइंग द्वारा बहुत सारे, उम्मीदवारों में से घोषित निर्वाचित किया जाएगा,

बशर्ते के विस्तृत प्रक्रिया निर्वाचन नियम 1961 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), के प्रतिनिधित्व के तहत फंसाया के अधार भाग 7 में इस उद्देश्य के संकेत लिए अनुपालन किया जाएगा।

36. फिर से गिनती का प्राविधानः–

(1) किसी भी उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके अधिकृत एजेंट, वोटों की गिनती के दौरान किसी भी समय, या तो पहले या वोटों की गिनती पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी फिर से गिनती का अनुरोध फिर से हो सकता है। जांच करने और सभी या किसी भी उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकारी के वोट फिर से जांच और तदनुसार फिर से गिनती कर सकता है।

(2) निर्वाचन अधिकारी हो सकता है, अपने विवेक, वोट या तो एक या एक से अधिक बार किसी भी मामले में जो वह किसी भी पिछले गिनती की सटीकता के रूप में संतुष्ट नहीं है में फिर से गिनती करा सकता है।

परन्तु इस उप–नियम में कुछ भी नही है यह निर्वाचन अधिकारी को ही वोट एक बार से अधिक फिर से गिनती पर अनिवार्य करेगा।

37. निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा और वापसीः–

(1) मतगणना के पूरा होने पर, निर्वाचन अधिकारी, पूर्वगामी उपबंधों के अधीन, चुनाव के परिणाम के प्रपत्र 12 में, की घोषणा के रूप में उपयुक्त हो सकता है और हस्ताक्षर किये प्रतियां उसके भेजने के लिए, निर्वाचन प्राधिकरण को करेगा।

(2) उसके बाद निर्वाचन अधिकारी करेगाः–

(क) एक पैकेट में मान्य मतपत्र और एक अन्य जगह में खारिज मतपत्र रखेगा,

(ख) निर्वाचन अधिकारी की मुहर के साथ और उम्मीदवारों के इस तरह के पैकेट खंड (क) में निर्दिष्ट में से प्रत्येक पर अपने जवानों प्रत्यय करने के लिए इच्छा हो सकती है, उनके चुनाव एजेंट या गिनती एजेंटों को सील, तथा

(ग) सील पैकेट पर इसकी सामग्री और चुनाव की तारीख से प्रत्येक पर रिकार्ड है, का विवरण।

38. उम्मीदवार को चुनाव प्रमाण पत्र का अनुदानः–जैसे ही, उम्मीदवार के चुने गए घोषित होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी इस तरह के उम्मीदवार को प्रपत्र 13 चुनाव का प्रमाण पत्र दे देगा और उम्मीदवार से उसकी रसीद की स्वीकृति जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

39. चुनाव के बाद प्रस्तुत की जाने वाली सामग्रीः–

(1) चुनाव के पूरा होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा रहा रिकार्ड के लिए चुनाव प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्तुत करेगाः–

(क) मतपत्र का पैकेट,

(ख) मतदाता सूची और मतदाता के हस्ताक्षर मतपत्र प्राप्त होने के साथ जारी मतपत्रों की काउन्टरफाईल के कार्यालय की कॉपी,

(ग) सर्वेक्षण का उल्लेख महत्वपूर्ण घटनाओं की निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आचरण, यदि कोई हो, चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता की पहचान और अधिकारी उस पर लौटाने का निर्णय के बारे में की गई चुनौतियों सहित के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट,

(घ) निर्वाचित उम्मीदवारों और उसी की पावती प्राप्तियों के लिए जारी चुनाव के प्रमाण पत्र के कार्यालय कॉपी, तथा

(ङ) किसी भी अन्य प्रासंगिक कागज।

(2) चुनाव प्राधिकरण को प्रस्तुत रिकार्ड एक वर्ष की अवधि के लिए या चुनाव से सम्बन्धित याचिका के अंतिम निपटान, यदि कोई हो, जो भी बाद तक संरक्षित किया जाएगा।

40. आवश्यक नामांकन करनाः–सरकार अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (3) कर श्रेणियों (क) (ख) और (ग) के तहत रिक्तियों को भरने के लिए **आवश्यक नामांकन करेगी।**

41. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तिः–

(1) उप धारा के खंड (ख) के तहत चुने गए सदस्यों के नामों की प्राप्ति के बाद और उप धारा (3) के खंड(ग)(घ) और (ङ) के तहत मनोनीत सदस्यों, अधिनियम की धारा 14 के तहत, सरकार धारा 14 की उपधारा (9) के तहत बोर्ड की अधिसूचना जारी करेगा।
बशर्ते कि तिथि, स्थान और अध्यक्ष के चुनाव के समय भी इस उप–नियम के तहत जारी अधिसूचना में सदस्यों को, एक सप्ताह के नोटिस दे रही है, में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के तहत जारी अधिसूचना राजपत्र में और हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के क्षेत्र/क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) कम से कम दो महिला सदस्यों के बोर्ड पर नियुक्त होंगी।

42. आकस्मिक रिक्ति का भरनाः–

(1) किसी भी आकस्मिक रिक्ति अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट इस्तीफे या मृत्यू या किसी सदस्य की अन्यथा के आधार पर श्रेणियों में से किसी में होती है, तो एक नए सदस्य इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी से चुनाव के परिणाम प्राप्त होने पर, सरकार राजपत्र में अधिसूचना अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (9) के तहत बोर्ड के सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जारी करेगा।

43. अध्यक्ष का चुनावः–

(1) नियम 41 के अर्न्तगत बोर्ड के लिए सदस्यों की नियुक्ति पर, बोर्ड के सदस्यों में से अध्यक्ष के चुनाव के लिए बोर्ड की पहली बैठक हेतु सरकार को सूचित करेगा।

(2) बोर्ड की बैठक में सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यवाही का संचालन करेगा, की अध्यक्षता में किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के नाम का एक सदस्य है, जो अन्य एक सदस्य द्वारा अनुमोदित तथा अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(4) एक सदस्य का केवल एक वोट होगा और उम्मीदवार हाशिल वोटों की सबसे बडी संख्या में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, को घोषित किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाई गई बैठक चुनाव की कार्यवाही सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी और इसे बैठक के मिनट का रूप लेंगे।

(6) एक टाई के मामले में, उम्मीदवारों के नामों बहुत डाला जाएगा और अध्यक्ष बहुत से चयनित किया जाएगा।

(7) **(क) जहां एक विवाद अध्यक्ष या बोर्ड के किसी भी सदस्य, किसी भी व्यक्ति को चुनाव की वैधता के रूप में उठता है तो चुनाव के परिणाम की घोषणा के तीस दिनों के भीतर और इससे पहले एक आवेदन ट्रिब्यूनल के समक्ष और इससे पहले एक आवेदन सूचिबद्ध व्यक्ति दायर कर सकता है, ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा।**

(ख) कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही किसी भी विवाद/प्रश्न या अध्यक्ष के चुनाव या बोर्ड के सदस्य से सम्बन्धित अन्य मामले के सम्बन्ध में किसी भी नागरिक अदालत में की गई अपील नही की जा सकेगी।

(8) ट्रिब्यूनल, अपनी फाइलिंग के एक वर्ष के भीतर आवेदन का निपटान करेगा।

(9) बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

44. बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियम और सेवा की शर्तेः–

(1) अधिनियम की धारा 23 के अर्न्तगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति व्यक्ति, एक अधिकारी, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गया है, वह इस शर्त के साथ साथ मंजूर वेतनमान में वेतन तथा पैंशन आकर्षित करेगा कि वेतन और पैंशन की कुल आहरित (उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी ग्रेच्यूटी को पैंशन बराबर सहित) सेवानिवृत्ति के समय पर वेतन और सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित नियमों प्रतिनियुक्ति पर व्रत परिवर्तनों सहित प्रतिनियुक्ति लागू होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अन्य सरकार के अधीन पिछले रोजगार में उसे करने के लिए स्वीकार्य भत्ते के साथ–साथ अपने ही वेतनमान में वेतन आकर्षित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय, जैसा भी मामला हो सकता है, प्लस प्रतिनियुक्ति भत्ता सरकार के नियमों के तहत के तौर पर बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नही होगी स्वीकार्य होगी।

इसके अतिरिक्त सरकार को प्रतिनियुक्ति की अवधि को सार्वजनिक हित में पद में बढाने या कम करने के लिए या, तो बोर्ड की सिफारिश पर या अपनी खुद की गति का अधिकार होगा।

(3) मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पर की उनकी स्वदेश वापसी/हटाने के कारण रिक्ति पैदा होती है, सरकार कार्यवाही मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में बोर्ड के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए जब तक रिक्ति भरी जाती है, अधिकार होगा।

(4) **मुख्य कार्यपालक अधिकारी के काम और संचालन पर गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा लिखी जाएगी और वक्फ मामलों के प्रभारी सरकार के संयुक्त सचिव को एक समीक्षा के लिए भेज दी जाएगी।**

(5) अगर बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो वह ऐसी दर पर बोर्ड को किराये पर भुगतान करेगा, जो कि समय समय पर अपने मासिक भुगतानों या मानक किराए के आधार पर निर्दिष्ट किये जा सकते है बोर्ड द्वारा, जो भी कम हों, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट फर्नीचर के लिए अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई भी फर्नीचर प्रदान किया गया हो।

(6) सरकार में समकक्ष रैंक के अधिकारी के लिए लागू होने वाले समय के लिए यात्रा भत्ता मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लागू होगा।

(7) बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भुगतान के समय के स्तर में आवधिक वेतन वृद्धि को मंजूरी दी जाएगी।

(8) सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नियम और बोर्ड कर्मचारियों के लिए लागू आकस्मिक अवकाश से सम्बन्धित नियमों को छोड दें, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लागू होंगे।

(9) आकस्मिक अवकाश बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा और सरकार द्वारा आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य स्वीकृत की जाएगी।

(10) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के धारक की सेवानिवृत्ति की तारीख, महीने के अंतिम दिन होगी, जिस पर वह 60 वर्ष की आयु को पूर्ण करेंगे।

(11) सरकार में समकक्ष रैंक के अधिकारियों पर लागू अनुशासनात्मक मामलों से सम्बन्धित सभी अन्य नियम और शर्तों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लागू करना होगा।

45. शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी भी सार्वजनिक कार्यालय रिकार्ड और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकते है:–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड के किसी भी अन्य अधिकारी, जो विधिवत रूप से लिखित रूप में अधिकृत है, अधिनियम की धारा 29 के अर्न्तगत निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए, अपने इरादे व्यक्त करने वाले कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में आवेदन करें।

(2) प्रभारी अधिकारी उप नियम (1) के अर्न्तगत आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर निरीक्षण की अनुमति देगा

(3) मुतवल्ली या वक्फ की सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज की हिरासत में रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिखित रूप में ऐसा करने के लिए कहा जाने के 10 दिन पहले ही उत्पादन करना होगा और अगर ऐसा चाहें तो दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करेगा।

(4) (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध पर, सरकार या किसी अन्य संगठन की एक एजेंसी दस कार्य दिवसों के भीतर, रिकार्ड की प्रतियां, गुणों के रजिस्टर या वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों या वक्फ सम्पत्तियों का दावा करने के लिए

(ख) अगर किसी भी कारण से आवश्यक दस्तावेज दस कार्य दिवसों के भीतर नही दिये जा सकते है, तो सरकार या संगठन की सम्बन्धित एजेंसी को जानकारी/दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए दस कार्यदिवस से अधिक समय नही मिलेगा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की आपूर्ति निःशुल्क होगी।
बशर्ते कि उप नियम (3) और (4) के तहत जानकारी/दस्तावेजों की मांग करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करेगा।

46. दस्तावेजों की प्रतिलिपि का निरीक्षण और जारी करना:–

(1) बोर्ड के रिकार्ड के निरीक्षण के लिए सभी आवेदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उप–नियम (2) के अर्न्तगत निर्दिष्ट राशि के प्रपत्र 14 में बनाया जाएगा।

परन्तु इस उप नियम अनुप्रयोगों के लिए बुलाए गये नोटिस के जवाब में प्रस्तुत आवेदन करने के लिए लागू नही होगा जब तक अन्यथा नोटिस में या छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के लिए किये गये आवेदन करने के लिए न कहा गया है।

(2) रिकार्ड या बोर्ड या किसी समिति की कार्यवाही के निरीक्षण के लिए आवेदन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुमति प्रति घंटे या उसके अंश 200–00 रूपये है, कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में अग्रिम आवेदक द्वारा जमा किये जाने के, भुगतान पर दिया जा सकता है।

(3) प्रमाणित प्रतिलिपि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), रिकार्ड या बोर्ड, या किसी भी समिति की कार्यवाही की धारा 76 में उपबन्धित रीति से फार्म में एक आवेदन पर 15 और सौ शब्दों या उसके अंश प्रति 75.00 के भुगतान पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

(4) निम्न व्यक्ति इस नियम के तहहत अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए, अर्थात हकदार होंगेः–

(क) किसी भी वक्फ अलल–औलाद के अलावा अन्य वक्फ के लिए, व्यक्ति को इस तरह वक्फ में रूचि,

(ख) एक वक्फ अलल–औलाद, वाकिफ, उसके वंशज, मुतवल्ली और वक्फ के लाभार्थियों के लिए।

(5) आवेदकों को आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर लागू के रूप में प्रासंगिक प्रतियां उपलब्ध कराई जाऐंगी।

47. कार्यपालक अधिकारी की नियुक्तिः–

(1) बोर्ड, अधिनियम अर्थात धारा 38 की उप धारा (1) के तहत कार्यपालक अधिकारी होने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगाः–

(क) राज्य/केन्द्र सरकार के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो समूह बी के रैंक से नीचे नही है और उसकी उम्र साठ वर्ष में पांच साल से अधिक नही है, और

(ख) राज्य/केन्द्रीय सिविल सेवा में से किसी से समकक्ष ग्रेड में एक अधिकारी, या

(ग) संकाय के संविधान/प्रबन्धक के समकक्ष कैडर के बोर्ड के किसी भी अधिकारी जोः–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, और

2. सेवा के दस साल की एक न्यूनतम है।

(2) उप नियम (1) के तहत एक सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर होगी और कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए स्वीकृत वेतन और अन्य भत्ते बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) यदि नियुक्ति एक अंशकालिक नियुक्ति है, तो बोर्ड द्वारा एक उचित मानदण्ड तय की जा सकती है।

(4) अगर नियुक्ति एक सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति से होती है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि, सेवा की शर्तों और वेतन और भत्तों को सिविल सेवा नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) यदि सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त है, तो वह इस तरह के पारिश्रमिक को आकर्षित करने का हकदार होगा जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

(6) यदि नियुक्ति एक अधीक्षक/प्रबन्धक के पदोन्नति से होती है, तो बोर्ड को बोर्ड द्वारा तय किये गये वेतन के पैमाने को ले जाना चाहिए।

(7) एक कार्यपालक अधिकारी को मानद अधार पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जा सकता है।

(8) कम से कम पांच लाख रूपये की सकल वार्षिक आय वाले किसी भी वक्फ के लिए, कार्यपालक अधिकारी के रूप में आवश्यक है, अर्थात निम्नलिखित सहायक स्टाफ के साथ उपलब्ध कराया जा सकता हैः–

(क) किराया वसूलने वाला/प्रबन्धक/शिरस्तादार, (एक)

(ख) क्लर्क–कम–टाइपिस्ट, (एक)

(ग) राजस्व क्लर्क/पटवारी/विधेयक कलेक्टर, (एक)

48. जो सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति बनने के लिए नहीं रह गया है मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जांचः–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (1) के तहत एक जांच से बाहर ले जाने के लिए एक जांच अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी उन्हें किसी भी वक्फ जिसका वस्तु या उसके किसी भाग का अस्तित्व समाप्त है, के सम्बन्ध में एक जांच के आयोजन के लिए सूचित करने की तारीख, समय और स्थान इच्छुक पार्टियों के लिए प्रपत्र 16 में एक जांच का नोटिस जारी करेगा।

(3) सभी लोगों को, जो उप नियम (2) के तहत जारी नोटिस के जवाब में दिखाई देते है समय की सुनवाई और लिखित बयान आपत्तियों और सुझाव युक्त दाखिल करने के लिए तय हो गई है, सुना जाएगा यदि कोई जांच अधिकारी समय–समय पर स्थगन प्रदान कर सकते है।

(4) कार्यवाही करने के लिए किसी भी पक्ष को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से प्रकट करने के लिए और गवाहों या दस्तावेजों को बुलाने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) जांच अधिकारी गवाहों के मौखिक साक्ष्य रिकार्ड करेगा और अधिवक्ता की उपस्थिति, हलफनामों के दाखिल, दस्तावेजों के उत्पादन, परीक्षा गवाहों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की संहिता (1908 का 5) में निर्धारित प्रक्रिया के मौखिक साक्ष्य, कमीशन और दस्तावेजों की वापसी के मुद्दे की रिकार्डिंग और अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पालन करेगा।

(6) जांच अधिकारी छह महीने के भीतर जांच पूरी करने और तारीख, जिस पर जांच निष्कर्ष निकाला है, से तीस दिनों के भीतर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

49. मुतवल्ली द्वारा बजट तैयार करने का समय और तरीका:–

(1) वक्फ के प्रत्येक मुतवल्ली को निर्धारित प्रपत्र–17 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय वित्तीय वर्ष की शुरूआत से कम से कम तीस दिन पहले बोर्ड को प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते की ऐसा बजट तैयार होगा और घाटे वाले बजट से बचा जा सकता है।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अनुदान सहायता के रूप में बोर्ड की स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दे सकता है।

(3) बोर्ड बजट प्रस्ताव की छानबीन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) में उल्लिखित अनिवार्य खर्च के लिए उस प्राविधान का प्रावधान किया गया है और उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जो विशेष रूप से वक्फ पर अनुमोदित कर सकता है।

(4) बोर्ड बजट के मामले में किसी भी आइटम वक्फ की वस्तुओं या अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत माना जाता है, को संशोधित करने के लिए इस तरह का निर्देश दे सकता है।

(5) यदि बोर्ड संतुष्ट है कि सम्बन्धित मुतवल्ली कुछ वस्तुओं के लिए पर्याप्त प्रावधान बजट में नही किया गया है, तो इसे ऐसे तरीके से संशोधित करने की शक्ति होगी, जो इस तरह के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।

(6) प्रत्येक मुतवल्ली सुझावों पर विचार करेगा और बजट तें बोर्ड द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल करेगा और वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पहले बजट को पारित करेगा जिसमें यह सम्बन्धित है।

(7) इन नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, बोर्ड, मुताबिक अपने अनुमान को संशोधित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और वक्फनामे को ध्यान में रख कर निर्देश दे सकता है और ऐसे मुतवल्ली बोर्ड के निर्देशों का पालन करेंगे।

(8) जैसे ही बजट पारित किया जाता है, प्रत्येक मुतवल्ली तुरन्त उसकी प्रतियां बोर्ड को जमा कर देगा।

(9) कोई बजट के योग द्वारा या वक्फ की ओर से खर्च किया जाएगा जब तक इस तरह के योग व्यय के समय में अधिनियम की धारा 44 के अर्न्तगत और बल में स्वीकृत बजट अनुमान में शामिल किया गया है।

(10) वर्ष के पाठ्यक्रम में, एक मुतवल्ली यह आवश्यक आंकडे प्राप्तियों के सम्बन्ध में या मात्रा के विवरण के साथ बजट में दिखाया गया वक्फ की ओर से उनके द्वारा किये गये विभिन्न सेवाओं पर खर्च किया जाना है, को बदलने के लिए पाता है, एक अनुपूरक या संशोधित बजट बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

50. बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के तहत ऑकाफ का बजट:–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रपत्र 18 अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के सभी विवरण युक्त में चालू वित्तीय वर्ष के जनवरी से अगले वित्त वर्ष के लिए आगामी बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत सभी ऑकाफ के लिए बजट तैयार करेगा।

(2) (क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत सभी ऑकाफ की अगले वित्त वर्ष के लिए आगामी जो बजट के लिए दिसम्बर के महीने से उप नियम (1) के अर्न्तगत तैयार किया जा रहा है, **प्रपत्र 19** में चालू वित्त वर्ष की सूची तैयार करेगा।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, **प्रपत्र 20** में अगले वित्त वर्ष के आगामी बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत ऑकाफ के अधिकारियों को निर्देशित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अगले आधिक्य वित्तीय वर्ष के लिए **प्रपत्र 20** में बजट प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा सीधे प्रबन्धन के तहत अधिकारियों के प्रत्येक अधिकारी को निर्देशित करेगा।

(4) बोर्ड संतुष्ट है कि बजट में पर्याप्त प्रावधान नही किया गया है, तो यह इसे ऐसे तरीके से संशोधित करने की शक्ति होगी जो इस तरह के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो और वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पहले जिस बजट से सम्बन्धित है।

(5) अगर वर्ष के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को वक्फ की और से बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न सेवाओं पर रसीदों या रकम के वितरण के सम्बन्ध में बजट में दिखाए गए आंकडों को बदलना आवश्यक है, तो एक पूरक या संशोधित बजट तैयार किया जा सकता है और बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

51. ऑकाफ के खातों के अन्तराल पर ऑडिट हो सकता है:–

(1) शुद्ध वार्षिक बीस हजार रूपये से अधिक आय वाले ऑकाफ के खाते मुतवल्ली या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर लेखा परीक्षा के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा

(2) उप नियम (1) के तहत जमा खातों को अधिनियम की धारा 47 की उप धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट एक लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के एक वर्ष की अवधि के भीतर लेखापरिक्षित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस तरह के खाते लिखित में दर्ज होने के कारणों के लिए अध्यक्ष की अनुमति के साथ खाते को दो वर्ष के भीतर लेखापरीक्षित किया जा सकता है।

52. अधिनियम के उल्लंघन में स्थानांतरित सम्पत्ति की वसूली:–

(1) उस स्थान में रहते हुए किसी भी व्यक्ति से रिपोर्ट प्राप्त करने पर, जहां वक्फ सम्पत्ति स्थित है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करने पर, वक्फ की सम्पत्ति धारा 51 या धारा 56 के प्राविधानों के उल्लंघन में हस्तांतरित की गई है, बोर्ड, से संतुष्ट होने पर ऑकाफ का रजिस्टर, अधिनियम की धारा 37 के तहत रखी गई है, जो कि सम्पत्ति का अरोप लगाया गया है वक्फ सम्पत्ति है, सम्बन्धित पंजीकरण कार्यालय से हस्तांतरण के दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक रिपोर्ट उसमें पूरी तरह से वक्फ सम्पत्ति को निर्दिष्ट करने के लिए हस्तांतरण विलेख सम्पत्ति, नाम और कर्म या अन्य दस्तावेज और साथ नाम क्रियान्वित व्यक्ति के ऐसे ब्यौरे के सम्बन्ध में निष्पादित का ब्यौरा व्यक्ति के ब्यौरे या व्यक्तियों जिसे करने के लिए सम्पत्ति का तबादला कर दिया गया है आकर्षित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और दस्तावेजों के इस तरह के निरीक्षण के लिए आवश्यक के रूप में प्रकट हो सकता है और/या ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है के रूप में उचित माना जाता है। आदेश पारित करने के लिए ऊपर डाला जाए प्राप्त है और बोर्ड को सम्पत्ति का अधिकार देने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना भेजने के लिए बोर्ड के आदेश के बाद रिपोर्ट भेजेगा।

(4) जिलाधिकारी की मांग मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा **प्रपत्र 22** में दी जाएगी और विशेष दूत के माध्यम से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी या भेजे गए रसीद के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (2) के अर्न्तगत जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश, **प्रपत्र 23** किया जाएगा।

(6) यदि व्यक्ति जिसके विरूद्ध अधिनिमय की धारा 52 की उपधारा (2) के तहत एक आदेश जारी किया गया है, तो उस खंड के उप–धारा (4) के तहत अधिकरण को अपील पंसद करता है, तो वह एक ज्ञापन की प्रति अपील दाखिल करने के दिन तत्काल जिलाधिकारी को अपील

करता है और जिलाधिकारी अपने बचाव का इन्तजाम करेगा और बोर्ड को इस तरह की अपील की सूचना भी देगा।

(7) अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (5) के तहत सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करते समयः–

(क) जिलाधिकारी के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए कोई व्यक्ति, रिहायशी घर के रहने वालों को अडतालीस घंटे की नोटिस देने के बिना किसी भी रिहायशी घर में प्रवेश नही करेगा,

(ख) किसी भी घर के बाहरी दरवाजे को तोडा नही जाएगा, जब तक कि इस तरह के आवास घर के रहने वालों ने मना कर दिया या किसी भी तरह से उनसे सम्पर्क नही किया जा सकता,

(ग) जिलाधिकारी के आदेश को निष्पादित करने वाला कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्य के उदय से पहले किसी आवासीय घर में प्रवेश नही करेगा।

(8) सम्पत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के बाद, जिलाधिकारी या उसके द्वारा उचित रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति को प्रश्नगत को बोर्ड को या उचित स्वीकृति पर बोर्ड द्वारा उचित रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति को सौंप देगा।

53. अतिक्रमण हटाने की सूचनाः–

(1) अधिनियम की धारा 54 की उप धारा (1) के तहत अतिक्रमण को हटाने के लिए एक नोटिस इसलिये जिस व्यक्ति के लिए यह इरादा है या करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियुक्त सेवारत अधिकारी/विशेष वाहक के माध्यम से प्रपत्र 25 में कार्य किया जाएगा उनके परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य के लिए, या एक पत्र में पंजीकृत डाक द्वारा भेज कर घर या व्यापार के अपने सामान्य या अंतिम ज्ञात जगह पर है कि व्यक्ति को सम्बोधित किया है, भेजेगा।

(2) जहां उप नियम (1) के तहत नोटिस दिया या प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसे प्रतिलिपि दिया या प्रस्तुत है के उपलक्ष्य में सेवा की पावती प्राप्त की जाएगी।

(3) व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के परिवार के व्यस्क सदस्य कहां रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया, या ऐसे व्यक्ति सब की वजह से और उचित परिश्रम उपयोग करने के बाद पाया नही जा सकता है, जहां और वहां इस तरह के व्यक्ति, एक परिवार के व्यस्क सदस्य है नोटिस की प्रतिलिपि बाहरी दरवाजे पर या साधारण निवास या ऐसे व्यक्ति के व्यापार के समान्य स्थान के कुछ अन्य विशिष्ट हिस्से पर चस्पा दिया जाएगा और जहां कोई निर्माण बना और परिसर में कृषि या गैर कृषि भूमि है, सूचना पर चस्पा दी जाएगा सम्पत्ति और अन्य सूचना का कुछ हिस्सा एक रिपोर्ट का समर्थन किया उसके साथ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिन्होंने नोटिस जारी करने के लिए वापस आ जाएगा या वहां पर कब्जा करते हुए कहा कि एक प्रति इतनी चिपका दिया गया है, जो परिस्थितियों के तहत ऐसा किया गया था और व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जो साधारण घर या व्यापार के सामान्य स्थान और जिनकी उपस्थिति में प्रतिलिपि चिपका था की पहचान की।

(4) यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट तरीके से सेवा जारी नही की जा सकती है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि वह उचित सोचते है, तो यह निर्देश देते है कि इस तरह की सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र में परिचालित होने वाली एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाएगी और वह किसी भी विषय की सामाग्री का प्रचार भी कर सकती है। ढोल की थाप या किसी अन्य तरीके से इलाके में नोटिस, जिसमें वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त लगता है।

54. वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण पर जांच का आयोजन करनाः–

(1) वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमण से सम्बन्धित मामलों में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित होने हेतु अपने–अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए विवाद में सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्ति में प्रकट करने के लिए कॉल कर सकता है।

(2) जहां, किसी भी व्यक्ति को नियम 53 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुनना चाहती है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित रूप में इस तरह के मामले की सुनवाई प्राधिकृत नही करेगी और पार्टी सबूत है जो वह उसमें उत्पादन करने का इरादा उत्पादन करने के लिउ अधिकृत किया जा सकता है, कारण के

समर्थन दिखाया गया है और साक्ष्य के रूप में वह प्रत्येक मामले में उचित समझता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई और सबूत की जांच के लिए एक तारीख तय करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी पार्टियों को सुन सकता है, ऐसे सभी सबूत प्राप्त कर सकते है, जो उनके द्वारा उत्पादित किये जा सकते है, ऐसे अतिरिक्त सबूत लेते है, यदि कोई भी, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जरूरी सोचता है, उसके सामने पेश किये गए सबूतों का रिकार्ड सारांश और इस तरह के साक्ष्यों का सारांश और उसके समक्ष दाखिल किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज, कार्यवाही के के रिकार्ड के हिस्से का हिस्सा होंगे।

(4) प्रत्येक जांच के मामले में रिकार्ड शामिल होगाः–

(क) कार्यवाही का एक मिनट,

(ख) पूछताछ पर प्राप्त आपत्तियों और आपत्तियों के लिए बुलावा नोटिस,

(ग) जांच में प्राप्त सबूत, और

(घ) कारणों और निर्णय का एक संक्षिप्त रिकार्ड।

(5) किसी भी पक्ष को सुनने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कुछ भी नही रोकना चाहिए या विवाद में विषय के विषय में बयान देने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना होगा।

(6) पक्षों की सुनवाई के बाद, आपत्तियों को देखते हुए और सबूतों के माध्यम से जाने पर, यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी संतुष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है और ऐसी किसी वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण हुआ है, तो **प्रपत्र 25** में आदेश द्वारा आवश्यक हो सकता है इस तरह के अतिक्रमण को हटाने और भूमि, भवन, अंतरिक्ष या अन्य सम्पत्ति का कब्जा बोर्ड या बोर्ड के एक मुतवल्ली को अतिक्रमण का कब्जा देने की आवश्यकता होती है।

(7) जब किसी भी तरह की कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को कार्यवाही करने के लिए एक पक्षकार बना सकता है और जांच जारी रखेगा और यदि कोई सवाल उठता है कि कौन–कौन से कानूनी प्रतिनिधि होगा ऐसी कार्यवाही के उद्देश्य क लिए मृतक पक्ष, फिर मृत पक्ष क प्रतिनिधियों का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को बनाया जाएगा।

(8) यदि वक्फ की सम्पत्ति उप–नियम (6) के तहत आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर खाली नही है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी खंड के उप–धारा (3) के तहत निष्कासन के आदेश के अनुदान के लिए न्यायाधिकरण से पहले आवेदन कर सकता है। इस तरह के अतिक्रमण को निकालने और वक्फ सम्पत्ति को बोर्ड या मुतवल्ली के पास रखने के लिए अधिनियम की धारा–54 की कार्यवाही कर सकता है।

(9) ट्रिब्यूनल, जिस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन किया गया है सुनवाई का अवसर देने के बाद, बेदखली का आदेश पारित करने के लिए और कारण बेदखली के आदेश की एक प्रति वक्फ सम्पत्ति पर चस्पा किया जा सकता है।

(10) किसी भी व्यक्ति को, क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, **प्रपत्र 26** में आदेश, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस मामले में उल्लेख होगा कि सेवा के पैंतालीस दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बेदखली के आदेश का पालन करने में विफल रहता है।

55. नुकसान का आंकलनः–किसी भी वक्फ परिसर के अनाधिकृत उपयोग और अतिक्रमण के लिए क्षतिपूर्ति का आंकलन करने में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित मामलों में ध्यान में रखेगा, अर्थातः–

(क) उद्देश्य और जिस अवधि के लिए वक्फ परिसर अनाधिकृत उपयोग में बने रहे,

(ख) प्रकृति, आकार और आवास इस तरह के परिसर में उपलब्ध मानक,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति को अतिक्रमण की अवधि के लिए किराये पर, अगर किराया छोड दिया गया हो तो किराया देना होगा,

(घ) कोई भी नुकसान अतिक्रमण की अवधि के दौरान परिसर में किया,

(ङ) नुकसान का आंकलन करने के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कोई भी अन्य विषय।

56. मुतवल्ली को हटाने के सम्बन्ध में प्रक्रियाः–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुतवल्ली को जिनके खिलाफ हटाने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जांच के आयोजन के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 64 के तहत विचार किया जाता है, के लिए **प्रपत्र 27** में एक नोटिस जारी करेगा।

(2) बोर्ड नियम 48 के तहत निर्दिष्ट तरीके से संक्षिप्त जांच करेगा।

(3) उप नियम (2) के तहत जांच का संचालन करने पर, और अधिनियम की धारा 64 की उप धारा (5) के तहत बोर्ड द्वारा मुतवल्ली के निलंबन के आदेश पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी निलंबन का नोटिस जारी करेगा। मुतवल्ली को प्रपत्र 28 के तहत क्यों ना निलंबन के आदेश जारी कर दिया जाए, जारी किया जाएगा।

57. बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत वक्फ से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट:—अधिनियम की धारा 65 की उप धारा (3) के तहत राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा भेजे जाने वाले रिपोर्ट में प्रस्तुत अन्य विवरण **प्रपत्र 29** में होंगे।

58. वक्फ प्रबन्ध समितियों के अधिग्रहण के आदेश:—

(1) किसी भी समिति को पर्यवेक्षण या वक्फ के प्रबन्धन के साथ सौंपा गया है, जब तक समिति लांघी या यह वक्फनामें के उल्लंघन में है या अनुमोदित वक्फ के प्रबन्धन की योजना है, तीन साल की अधिकतम अवधि की नही होगी बोर्ड द्वारा अतिष्ठित नही होगी।

(2) बोर्ड करेगा, एक समिति जिनके खिलाफ निलंबन के लिए एक्शन कमेटी के भीतर पर बुला अधिनियम की धारा 67 की उप धारा (2) के तहत विचार किया जाता है, के लिए प्रपत्र 30 में निलंबन, इस मुद्दे को एक कारण बताओ नोटिस के किसी भी आदेश को जारी करने से पहले ऐसे समय, कम से कम एक महीने के नही होने की इस तरह की कार्यवाही क्यों नही की जाएगी के रूप में नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) अधिनियम की धारा 67 की उप धारा (2) के प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा पारित निलंबन के आदेश सम्बन्धित वक्फ, जिला वक्फ सलाहकार समिति के कार्यालय और उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) धारा 67 के उप धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा पारित आदेश की एक प्रति को बिना प्रतिकूल रूपसे प्रभावित व्यक्ति को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी और उसी की एक प्रति हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी, स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। इस क्षेत्र में और इस तरह के प्रकाशन पर परिसंचरण होने पर, आदेश वक्फ में कोई रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(5) बोर्ड, अधिनियम की धारा 62 की उप धारा (6) के तहत प्रबन्ध समिति की सदस्यता से समिति के एक सदस्य को हटाने के लिए एक आदेश जारी करने से पहले, एक कारण बताओ नोटिस **प्रपत्र 31** में करने के लिए जारी करेगा ऐसे सदस्य उसको बुलाने के लिए वह क्यों समिति की सदस्यता से हटाया नही किया जायगा।

59. वक्फ के प्रशासन के लिए योजना से सम्बन्धित परामर्श:—

(1) बोर्ड जहां अधिनियम की धारा 69 की उप धारा (2) के तहत एक वक्फ के प्रशासन के लिए एक योजना फ्रेम करने के लिए एक निर्णय लेता है, तो सम्बन्धित मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या आवदेक को **प्रपत्र 32** में एक नोटिस जारी करेगा।

(2) प्रस्तावित योजना निम्नलिखित विवरण, अर्थात होनी चाहिए:—

(क) वक्फ का नाम,
(ख) पता,
(ग) वक्फ के मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत,
(घ) योजना/प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है,
(ङ) व्यय शामिल,
(च) आय उत्पन्न करने के लिए।

(3) मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति या आवेदक के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, क्योंकि यह उचित समझे और मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति या आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर ही बातचीत करेगा जो इस तरह के संशोधनों के साथ इस योजना को अनुमोदन करेगा।

(4) उप—नियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा तैयार किए हर योजना उर्दू/स्थानीय भाषा क्षेत्र में संचालन होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

60. अधिनियम की धारा 71 के तहत जांच आयोजन करने के तरीके:—

(1) बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, या तो प्राप्त एक आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, अधिनियम की धारा 71 के तहत एक जांच कर सकता है।

(2) बोर्ड, वक्फ के प्रबन्धन के लिए वक्फ के खिलाफ लगाए गए आरोपों की एक प्रति भेजने के लिए और इन आरापों में से प्रत्येक पर अपने स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

(3) वक्फ के प्रशासन से सम्बन्धित जांच तरीके से नियम 48 के तहत निर्दिष्ट में आयोजित किया जाएगा।

61. अधिनियम की धारा 72 के तहत बोर्ड को वक्फ के मुतवल्ली द्वारा देय वार्षिक अंशदानः–

(1) प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली, जिसमें से शुद्ध वार्षिक आय पांच हजार रूपये से कम नही है, बोर्ड को 7% वार्षिक अंशदान के रूप में इस तरह के वार्षिक आय के प्रतिशत के लिए सालाना भुगतान करेगा।

(2) एक वक्फ के मुतवल्ली द्वारा, हर वर्ष 15 जून से पहले, वक्फ और योगदान देय का शुद्ध वार्षिक आय की वापसी, **प्रपत्र 33** में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को जमा करेंगे।

(3) उप–नियम (2) के तहत वापसी प्राप्त होने पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी वापसी को मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत सत्यापित करेगा और अगर वह बदले की शुद्धता के रूप में संतुष्ट हो जाता है, इस तरह के अनुसार वार्षिक योगदान को ठीक कर सकते है लौटा सकते है और यदि कोई वापसी निर्दिष्ट समय के भीतर दायर की है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोटो वार्षिक योगदान मुतवल्ली द्वारा भुगतान किया जाना ठीक स्वतः समझा जाएगा।

(4) मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय है कि उप–नियम (2) के अर्न्तगत प्रस्तुत वापसी की है। गलत या किसी भी सामाग्री विशेष रूप से गलत है, या इस तरह वापसी की सामाग्री अधिनियम के प्रावधानों या नियमों का पालन नही करते बनाया या बोर्ड द्वारा जारी किये गये किसी भी आदेश, वह मुतवल्ली पर कॉल करने के लिए समय क्यों वापसी की इस तरह के मूल्यांकन संशोधित नही किया जा सकेगा नोटिस में निर्दिष्ट के भीतर कारण बताने के लिए कर सकता है।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अगर मुतवल्ली से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद यदि कोई हो, तो वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का आंकलन कर सकता है कि उसका सर्वोत्तम निर्णय है या शुद्ध वार्षिक आय को संशोधित करता है जैसा कि मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत वापसी में दिखाया गया है और मूल्यांकन या संशोधित के रूप में शुद्ध वार्षिक आय वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय मानी जाएगी।

(6) नियम के तहत मुतवल्ली द्वारा देय कोई अंशदान बोर्ड की पूर्व मंजूरी को छोडकर, प्रेषित या कम किया जाएगा।

(7) बोर्ड द्वारा स्वीकृत कमी या छूट केवल उस वर्ष के लिए अनुपूरक होगी, जिसके लिए इस मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि इसके बाद के वर्षों में जारी रखने के लिए आवश्यक हो, बोर्ड को नए स्वीकृति दी जाएगी।

(8) बोर्ड, एक मुतवल्ली से एक आवेदन पर आदेश देकर मंजूरी छूट या योगदान की कमी मुतवल्ली द्वारा निम्नलिखित मामलों में भुगतान कर सकते है करने के लिए किया जाएगा, अर्थातः–

(क) वक्फ के लेखों के भण्डारों के धन की हानि, वक्फ के मुतवल्ली या अन्य कर्मचारियों की लापरवाही के कारण,

(ख) आय के नुकसान सूखे या बाढ की तरह अन्य अप्रत्याशित कारणों के कारण फसल की विफलता के कारण,

(ग) पिछले मुतवल्ली के कुप्रबन्धन के कारण धन की कमी,

(घ) ऋण, प्रगति और ऋण के गैर वसूली के कारण धन की कमी,

(ङ) जहां वक्फ एक अनाथालय जिसका संसाधनों इसकी वजह से प्रबन्धन के लिए अपर्याप्त है समर्थन करता है, तथा

(च) अन्य कारणों, तीन–चौथाई बहुमत के साथ बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

(9) इससे पहले एक कमी या योगदान की छूट मंजूर की है, बोर्ड के प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की पूरी जांच करने के लिए और खुद को संतुष्ट है कि इस तरह की कमी या छूट आवश्यक है की जाएगी।

62. वक्फ फण्ड में धन का भुगतान और अधिनियम की धारा 77 के तहत इस तरह के धन के निवेशः–

(1) बोर्ड, अपने अधिकारियों को वक्फ कोष के लिए सभी भुगतान प्राप्त करने के लिए (बाद में "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में करने के लिए कहा गया है) में से एक रसीदें जारी करने के लिए और बोर्ड की ओर से भुगतान करने के लिए प्राधिकृत नही करेगा।

(2) (क) प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो जाएगा, बोर्ड के रूप में प्रतिभूतियों या ऐसी राशि के लिए जमानत है, के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कर सकता है।

(ख) जमानत की शोधन क्षमता क्षेत्र के उप संभागीय मजिस्ट्रेट जहां सरकारी प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में रह रहा है द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी वक्फ फण्ड और प्रतिपर्ण रसीद असर मुद्रित रसीद संख्या के ऋण के लिए उसके प्राप्त सभी धन के लिए प्राप्तियों प्रयोजन के लिए रखा जाएगा, अनुदान करेगा।

(4) ऐसे समस्त धनराशि तुरन्त आय जमा किया जाएगाः–

(क) एक अनुसूचित बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में परिभाषित अधिनियम 1934 (1934 का 2), या

(ख) एक डाकघर बचत बैंक खाता में,

(5) (क) सभी जमा बोर्ड के नाम पर किया जाएगा।

(ख) बोर्ड द्वारा इस ओर से अधिकृत बोर्ड के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को इस तरह की जमा या उसके किसी भी हिस्से को वापस लेने और बैंक खाते पर काम करने की शक्ति होगी, ऐसी शर्तों के अनुसार जो बोर्ड उचित समझें।

(6) बैंक से कोई पैसा वापस नही लिया जाएगा जब तक कि बोर्ड के प्रयोजन के लिए तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता न हो।

(7) व्यय करने के लिए प्राप्तियों का विनियोग से परहेज यिा जाएगा।

(8) (क) वक्फ कोष से भुगतान नकद या चैक द्वारा किया जाएगा।

(ख) चैक पांच सौ रूपये से कम रकम के लिए जारी नही किया जाएगा।

(9) निर्विवाद रूप से देय धन मुहैया नही छोडे जायेंगे और भुगतान किए गए धन खाते से बिल्कुल अनिवार्य रूप से एक दिन तक नही रखा जाएगा।

(10) (क) बोर्ड के विरूद्ध कोई दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति वाउचर को विधिवत सत्यापित और मुद्रांकित करेगा।

(ख) सभी वाउचर भरा है और स्याही से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(ग) आंकडों के साथ ही शब्दों में लिखा जाएगा।

(घ) वाउचर में सभी सुधार और परिर्वतन वाउचर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के दिनांकित हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(11) नकद या चैक द्वारा पांच हजार रूपये से अधिक रकम के लिए सभी प्राप्तियां अपेक्षित मूल्य की रसीदी टिकट वहन करेगा।

(12) चोरी करने वाली धोखाधडी, आग या किसी अन्य कारण से किसी भी नुकसान के मामले में, वक्फ फण्ड क धन को संभालने के लिए अधिकृत एक अधिकारी अपनी हिरासत के लिए जिम्मेदार होगा और बोर्ड को प्रतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।

बशर्ते कि यदि किसी भी मामले में, बोर्ड के रूप में ऐसी जांच के बाद, बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि नुकसान अपरिहार्य था और राशि की उचित हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारी के किसी भी लापरवाही के कारण नही था, बोर्ड सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नुकसान की राशि की प्रतिपूर्ति पर जोर न दें, लेकिन इसे लिख सकते है।

(13) वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि बोर्ड द्वारा निवेशित नही की जाएगीः–

(क) निम्न में से एक या अन्य प्रतिभूतियों मेंः–

1. **केन्द्रीय सरकार के बचन पत्र, डिबेंचर, स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां,**
2. **शयरों या डिबेचरों, यष कंपनियों में शेयर, ब्याज जिसमें राज्य सरकार या केन्द सरकार द्वारा गांरटी दी गई है।**
3. **डिबचेर या द्वारा या किसी भी कार्य के अधिकार के तहत किसी भी नगर शरीर की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए अन्य प्रतिभूतियां, या**

(ख) तीन वर्षो से अधिक की अवधि के लिए सावधि जमा मेंः–

1. **एक अनुसूचित बैंक के रूप में भारत अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के रिजर्व बैंक परिभाषित, या**
2. **खरीद के लिए या सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ अचल सम्पत्ति के पहले बंधक के लिए।**

(14) उप नियम (13) के तहत निवेश को बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, भर्त्सना या वापस नही लिया जाएगा।

(15) (क) बोर्ड, द्वारा इस तरह के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस तरह के तरीके में अपने खातों के सम्बन्ध में खाते और अन्य पुस्तकों की ऐसी किताबें बनाए रखा जाने के लिए प्रेरित करेगा।

(ख) खाते किताबें, रजिस्टर, रसीदें, आदि में पृष्ठों, क्रमानुसार गिने जाऐंगे और प्रत्येक पृष्ठ के बोर्ड की मुहर के साथ चिपका दी जाएगी।

(ग) प्रत्येक पुस्तक या रजिस्टर वाले पृष्ठों की संख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वास्तविक सत्यापन के बाद प्रथम पृष्ठ पर ध्यान दिया जाएगा।

(16) यह सुनिश्चित करने के लिए के योगदान, फीस, किराए और अन्य मात्रा में बोर्ड के कारण तुरन्त मांग कर रहे हैं, जारी की है और वक्फ निधि में जमा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

(17) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के वित्त, बजट और खातों से सम्बन्धित कार्य का प्रभारी होगा।

(18) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बजट, खाते और बोर्ड की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में:–

(क) सुनिश्चित करना है कि बोर्ड के बजट अनुमान ठीक तरह से ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में बोर्ड और सरकार द्वारा जारी किए गए और समय सीमा के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत निर्देश तैयार कर रहे है के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

(ख) अच्छी तरह से मुतवल्लियों द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की जांच और बजट प्रस्तावों की छानबीन में बोर्ड की सहायता,

(ग) जांच करने और नई व्यय जिसके लिए वह बजट में कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव है, की सभी योजना पर सलाह देने के लिए,

(घ) सुनिश्चित करें कि बोर्ड के मासिक और वार्षिक खातों को ठीक से तत्काल संकलित किया गया है,

(ङ) व्यय की प्रगति के लिए आवश्यक समय–समय पर रिर्टन प्राप्त करें, स्वीकृत मात्रा के खिलाफ प्रगति की समीक्षा करें और समीक्षा करें और ऐसे निर्देशों को जारी करें, जो बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक हो।

(च) अनुपूरक अनुदान के लिए प्रस्तावों की जांच और बोर्ड को उपयुक्त सलाह,

(छ) लेखा परीक्षा के आपत्तियों और लेखा परीक्षा के निरीक्षण रिपोर्टों और उनके प्रारम्भिक निपटान के साथ नियमित रूप से स्वयं को बनाए रखें।

(ज) बोर्ड और ऋण और ब्याज के पुर्नभुगतान के लिए देय राशि की वसूली पर कडी नजर रखने के लिए,

(झ) बोर्ड के खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा,

(ञ) भंडार और स्टॉक के समय–समय पर रिर्टन और अधिकारियों से उनका मूल्य प्राप्त करें और उनकी समीक्षा करें और ऐसे खातों पर अपनी टिप्पणी दें और बोर्ड के सामने रखें,

(ट) बजट, लेखा और लेखा परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर बोर्ड द्वारा बुलाए जाने वाले किसी भी जानकारी और आंकडे प्रस्तुत करें,

(ठ) समय–समय पर बोर्ड के खातों के आंतरिक लेखा–परीक्षा की व्यवस्था करें और ऐसे लेखा–परीक्षा के दौरान ध्यान में रखते हुए किसी भी दोष को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं,

(ड) बोर्ड के पास सभी मामलों के बारे में नियमों और विनियमों के विपरीत भुगतान किए गए मामलों सहित, जहां बजट अनुमानों में से किसी भी प्रावधान के अभाव में भुगतान किया जाता है

(19) बोर्ड, वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक और सम्भावित व्यय को ध्यान में रखते हुए, के दौरान संशोधित अनुमान तैयार कर सकते है।

63. बोर्ड का बजटः–

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर वर्ष मे **प्रपत्र–34** में आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक बजट है की वित्तीय वर्ष के लिए और जगह बोर्ड के समक्ष 31 दिसम्बर तक के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय दिखां, तैयार करते है।

(2) बोर्ड बजट प्रस्ताव की छानबीन करेगा और आवश्यक होने पर उपयुक्त संशोधन करेगा और 31 जनवरी से पहले सरकार को इसकी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

(3) इसके लिए अग्रेषित बजट प्राप्त होने पर, सरकार उसी की जांच करेगी और इस तरह के बदलाव, सुधार या संशोधनों का सुझाव देती है, जिसमें फिट किया जा सकता है और इसके विचार के लिए बोर्ड को ऐसे सुझावों को आगे बढाया जा सकता है।

(4) सरकार से सुझाव प्राप्त होने पर, अगर बोर्ड किसी भी संशोधन, सुधार या बजट में सरकार द्वारा किए गए परिर्वतन के साथ सहमत नही है, बोर्ड को तत्काल परिवर्तन, सुधार के सम्बन्ध में सरकार को लिखा प्रतिनिधित्व कर सकते है या संशोधन सरकार ने सुझाव दिया है।

(5) सरकार बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर विचार करेगी और इस मामले में अंतिम आदेश पारित करेगी और इस तरह के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपने फैसले का संचार करेगी।

(6) सरकार की ओर से और सुझाव प्राप्त होने पर यदि कोई प्रतिनिधित्व ऐसे सुझाव के लिए बोर्ड द्वारा किया गया है या सरकार अपने निर्णय के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नही भेजी गई है, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा बनाए गए बोर्ड, अपने बजट में शामिल नही होगी सभी परिवर्तन, सुधार, संशोधन के अन्त में सरकार ने सुझाव दिया है और बजट इसलिये सही किया या संशोधित बदल दिया है, बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा।

(7) पारित किए गए बजट की प्रति सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और यदि पन्द्रह दिनों के भीतर सरकार से कोई आपत्ति नही मिलती है, तो बजट अंतिम रूप में घोषित किया जाएगा।

(8) अगर, वर्ष के दौरान, बोर्ड को बजअ में दिखाए गए आंकडों की प्राप्ति के सम्बन्ध में दर्शाने वाले आंकडों को बदलना आवश्यक है और बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न सेवाओं पर खर्च की जाने वाली राशि का वितरण, पूरक या संशोधित बजट इन नियमों में प्रदान किए गए तरीके से तैयार किए गए और स्वीकृत हो सकते है और इसके प्रतियां सरकार को भेजी जा सकती है।

(9) बोर्ड द्वारा कोई भी राशि खर्च नही की जाएगी, जब तक इस तरह की राशि अधिनियम की धारा 78 के तहत स्वीकृत बजट अनुमानों में शामिल नही होती है और खर्च में खर्च किए जाने पर।

64. न्यायाधिकरण को आवेदन पत्र दाखिल करने की समय सीमाः–

(1) अधिनियम की धारा 40 के उप धारा (1) या उप–धारा (3) के तहत बोर्ड के फैसले से पीडित कोई भी पक्ष, फैसले की तारीख से तीस दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

(2) अधिनियम की धारा 54 की उप धारा (3) तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष उस आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर एक वाद संस्थित कर सकता है।

65. ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम और शर्तेः–

(1) अधिनियम की धारा 83 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति और खण्ड (ख) तहत सदस्य की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी, लागू प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अधीन पर होगा।

(2) एक व्यक्ति धारा 83 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) के तहत सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नही होगा, जब तक कि वह इस्लामिक अध्ययन, उर्दू, फारसी, अरबी या उर्दू और अरबी के ज्ञान वाले स्नातक कानून में परास्नातक डिग्री ना हो।

बशर्ते उम्मीदवार का अग्रेंजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(3) एक सदस्य के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में सरकार में अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट एक बोर्ड सचिव (कानून) की अध्यक्षता में ख्याती के एक इस्लामी विद्वान, और सदस्यों के रूप में बार काउन्सिल के अध्यक्ष/सदस्य में किया जाएगा।

(4) उप नियम (3) के तहत चुने गए सदस्य का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा, जो एक समय में आगे दो वर्ष के लिए बढेगा।

(5) उप नियम (3) के तहत चुने गए सदस्य की उम्र 50 वर्ष से कम होगी।

(6) उप नियम (3) में निर्दिष्ट सदस्य के वेतन का स्केल, 15,600–39,100 रूपये के रूप में 7,600 रूपये के ग्रेड वेतन के साथ–साथ समूह ग अधिकारियों के लिए स्वीकार्य रूप से सामान्य भत्ते के रूप में होगा।

(7) इस नियम के तहत विभिन्न प्रकार के सदस्यों को छोडकर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा।

(8) (क) अध्यक्ष और ट्रिब्यूनल के सदस्य की प्रतिनियुक्ति उप नियम (1) के लिए तीन वर्ष की अवधि है, जो सरकार के निर्देश पर दो वर्ष की अवधि के लिए आगे बढाया जा सकता है, के लिए किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष और सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु के उप नियम (1) में निर्दिष्ट महीने में जो अधिकारी बासठ वर्ष की आयु के अंतिम दिन किया जाएगा।

66. ट्रिब्यूनल से पहले सूट/अपील के लिए आवेदन पत्र दाखिल करना:–

(1) नियम 64 के तहत एक आवेदन **प्रपत्र–35** में किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के तहत ट्रिब्यूनल के सामने दर्ज आवेदन को आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के तहत दायर आवेदन के साथ दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, जिस पर याचिकाकर्ता निर्भर रहना चाहता है।

(4) आवेदक, आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां और दस्तावेजों के रूप में कई के रूप में उत्तरदाताओं की संख्या में है, आवेदन के साथ फाईल करेगा।

(5) ट्रिब्यूनल, अपने विवेक मे, एक आवेदन उप नियम (1), जो सभी दस्तावेजों में से किसी के साथ नही है, ऊपर उल्लेख के तहत सुनवाई के लिए स्वीकार कर सकते है।

(6) इस नियम के तहत दायर हर आवेदन तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण स्पष्ट रूप से और अलग और अलग–अलग सिरे के तहत निर्धारित करेगा, और तथ्यों और राहत के इस तरह के आधार पर उसमें दावा किया जाएगा, लगातार क्रमांकित किया जाएगा।

(7) अंतरिम राहत के लिए आवेदन आवेदक के कारण स्पष्ट रूप से और ठीक से किसी हानि को निर्धारित करेगा जो कि धन के अनुसार पर्याप्त रूप से मुआवजा नही किया जा सकता है।

(8) अधिनियम की धारा 89 के तहत दो महीने के नोटिस के अनिवार्स प्रावधान का पालन न करने वाले बोर्ड के खिलाफ मुकदमों से सम्बन्धित ट्रिब्यूनल से पहले किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

67. ट्रिब्यूनल द्वारा अनुसरण की जाने वाली अन्य प्रक्रिया:–

(1) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत इस अधिकारी ने प्रत्येक आवेदन, उस तारीख को जिस पर यह प्रस्तुत किया गया था और ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित होने की तारीख तय करेगी, और उस पर हस्ताक्षर करने पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक पंजीकृत आवेदन या रजिस्ट्रार या अधिकारी एक रजिस्टर में उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत द्वारा गिना जाएगा इस उद्देश्य के लिए रखा जाएगा।

(3) ट्रिब्यूनल ऐसे रजिस्टरों का रख रखाव करेगा जैसा कि नागरिक आदलतों में उपयोग के लिए निर्धारित के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

(4) आवेदन ज्ञापन की एक प्रति, ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल करने से पूर्व अन्य पार्टी पर सर्व की जाएगी।

बशर्ते कि अत्यधिक तात्कालिकता के मामलों में, ट्रिब्यूनल एक आवदेन पर, अगर ऐसा करने के लिए उपयुक्त समझता है, तो अन्य पक्ष पर आवेदन की प्रति की सेवा के साथ वितरण करें।

(5) प्रत्येक आवेदन, अपील की याचिका या ज्ञापन या निष्पादन के लिए आवेदन या अन्य आवेदन अदालत शुल्क के साथ किया जाएगा।

(6) आवेदन पत्र दाखिल करने की तारीख से 60 दिनों के बाद समाप्त होने के बाद, ट्रिब्यूनल से पहले पसन्द किये गये आवेदन के लिखित कथन का प्रतिवादी पर विचार नही किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी को साठ दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन को दाखिल करने के पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन का मनोरंजन कर सकता है, लेकिन उसके बाद नही।

(7) लिखित वक्तव्य दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों के समाप्त होने के बाद ट्रिब्यूनल से पहले लिखे गए लिखित बयान को उत्तर दें।

बशर्ते कि यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी को साठ दिनों की अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने के पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित कथन का मनोरंजन कर सकता है, लेकिन उसके बाद नही।

(8) आवेदक और प्रतिवादी द्वारा अधिकतम तीन आवेदनों को किसी भी आधार पर स्थगन के लिए अनुमति दी जाएगी और उसके बाद नही।

(9) ट्रिब्यूनल के सदस्यों के बीच विभाजन के मामले में, ट्रिब्यूनल के अधिकांश सदस्यों का निर्णय प्रबल होगा।

(10) किसी भी मामले की पूर्ण सुनवाई पूर्ण पीठ से पहले होगी।

बशर्ते तीसरे सदस्य की अनुपस्थिति में एक सदस्य या दो सदस्यों द्वारा अंतिम सुनवाई के अलावा अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

68. प्रतिवादी को नोटिस भेजे बिना आवदेन को खारिज करने की शक्तियां:—न्यायाधिकरण, आवेदन के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ओर आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई के बाद, उत्तरदाताओं को नोटिस भेजे बिना आवेदन को खारिज कर सकता है।

69. नोटिस की सेवा:—

(1) आवेदन में याचिकाकर्ता/उत्तरदाताओं क़ो हर नोटिस भेजा जाएगा और पावती के कारण पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।

(2) जहां ट्रिब्यूनल संतुष्ट हे कि सूचना सामान्य तरीके से सेवा नही की जा सकती है और इस बात पर विश्वास करने के लिए कारण हैं कि याचिकाकर्ता/उत्तरदाता नोटिस की सेवा से बचने के उद्देश्यों के लिए खुद को दूर रख रहे हैं, ट्रिब्यूनल नोटिस की वैकल्पिक सेवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 20 के आदेश 5 के प्रावधानों के अनुसार आदेश करेगा।

70. आवेदन की सुनवाई की तारीख, आदि:—जब तक ट्रिब्यूनल आवेदन को खारिज नही करता है, यह पक्षों को आवेदन की सुनवाई की तारीख और जगह आदि का सूचित करेगा।

71. सार्वजनिक करने के लिए खुली होने की कार्यवाही:—ट्रिब्यूनल से पहले की कार्यवाही जनता के लिए खुली होगी।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल हो सकता है, यह कार्यवाही कि जनता आम तौर पर या विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग नही करेगा या ट्रिब्यूनल के कमरे या ट्रिब्यूनल के कमरे में रहने के किसी भी चरण में फिट, आदेश सोचता है।

72. ट्रिब्यूनल के आदेश:—

(1) ट्रिब्यूनल के सामने दायर हर आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1905 का 5) और (उत्तराखण्ड) सिविल नियम संहिता में सूट और अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई और उसका निपटारा किया जाएगा।

(2) ट्रिब्यूनल का हर आदेश लिखित रूप में होगा और इसके मुहर के तहत हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

73. पक्षकारों को आदेश की प्रतियां की आपूर्ति:— आवेदन को खारिज या अनुमति देने वाले ट्रिब्यूनल के प्रत्येक आदेश को पक्षकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को मुफ्त में सूचित किया जाएगा।

74. कुछ मामलों में आदेश और दिशाऐं:—न्यायाधिकरण, पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के बावजूद, ऐसे आदेश दे सकता है और या न्याया के अंत को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या आवश्यक हो सकता है ऐसे निर्देश दे सकता है।

75. न्यायाधिकरण की भाषा:— ट्रिब्यूनल की भाषा अंग्रेजी होगी।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही करने वाली दलों ने हिन्दी या उर्दू या क्षेत्रीय भाषा में तैयार दस्तावेज/कार्यवाही फाइल कर दी हो, यदि वे चाहें तो,

बशर्ते कि हिन्दी/उर्दू/स्थानीय भाषा में इस तरह के सभी दस्तावेज/कार्यवाही के साथ अंग्रेजी में इसका असली अनुवाद किया जाएगा।

बशर्ते कि ट्रिब्यूनल अपने विवके में, कार्यवाही में स्थानीष क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा।

76. ट्रिब्यूनल की मुहर:—ट्रिब्यूनल की अधिकारिक मुहर ऐसी होगी जैसे सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।

77. सिविल प्रक्रिया संहिता और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नियमों का पालन आम तौर पर किया जाता है:— अधिनियम या इन नियमों द्वारा विशेष रूप से प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न का निर्णय लेने में, ट्रिब्यूनल, जहां तक संभव हो,

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नियमों में निहित प्रावधान।

78. वार्षिक विवरण:—

(1) सरकार प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 1 दि न के बाद, प्रपत्र 36 में बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(2) बोर्ड प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष की गतिविधियों का विवरण देने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) सरकार सितम्बर के अंत तक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी और ऐसी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जाएगी या राज्य विधान सभा के दोनों सदन, जैसा कि मामला हो, उसके अगले सत्र में।

79. बोर्ड के द्वारा या उसके खिलाफ सूट:—

(1) अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वीकृति के लिए सक्षम होंगे:—

(क) सूट, रिट, अपील या न्यायालय/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी से पहले वक्फ के मामले/ सम्पत्ति से जुडी मामलों का दाखिल करना।

(ख) सूट, रिट, अपील या न्यायालय/कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकारी से पहले वक्फ मामले/ सम्पत्ति से जुडी मामलों का बचाव।

(2) अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी ट्रिब्यूनल/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण से पहले वक्फ के मामले/सम्पत्ति से जुडी सूट, रिट, अपील या किसी अन्य कार्यवाही की फाइल या बचाव करने के लिए कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए सक्षम होंगे।

(3) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या किसी अन्य व्यक्ति, न्यायाधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण से पहले वक्फ मामले/सम्पत्ति से जुडी मामलों या कार्यवाही में सूट, रिट, अपील और हलफनामा या प्रति उत्तर पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को अधिकृत करने के लिए सबूत निविदा या ट्रिब्यूनल/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष बोर्ड की ओर से रिकार्ड उत्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

प्रपत्र–1

[नियम–4 देखें]

सरकार के लिये सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट

1. राज्य में ऑकाफों की संख्या, शिया ऑकाफ और सुन्नी ऑकाफ के लिये अलग से।
2. प्रत्येक वक्फ की प्रकृति और वस्तु।
3. प्रत्येक वक्फ से सम्पत्ति की सकल आय।
4. प्रत्येक वक्फ के सम्बन्ध में भू–राजस्व, उपकर, दरों एवं करों के सम्बन्ध में देय की राशि।
5. प्रत्येक वक्फ की यदि कोई आय की प्राप्ति हो तो मुतवल्ली के वेतन और पारिश्रमिक आदि में खर्च।
6. प्रत्येक वक्फ से सम्बन्धित ब्यौर के रूप में दिया जाना।
   (क) वक्फ का नाम
   (ख) वाकिफ का नाम यदि कोई हो,
   (ग) वक्फ के निर्माण की तिथि या वर्ष,
   (घ) वक्फनामें का विवरण,
   (ड.) मुतवल्ली का नाम और उसका वेतन और पारिश्रमिक यदि कोई हो,
   (च) अचल सम्पत्ति की प्रकृति, स्थान, गांव या शहर में जहां नगर निगम या सर्वेक्षण नम्बर, क्षेत्र, और कार्यकाल के साथ–साथ स्थान का अनुमानित मूल्य।
   (छ) चल सम्पत्ति और उसका मूल्य का क्या है, और उसमें निवेश के ब्यौर विवरण सहित।
   (ज) वक्फ सम्पत्ति का साईट प्लान।
   (झ) ऋणभार यदि कोई हो, तो सम्पत्तियों पर वर्णित खण्ड (च)और (ज) का उल्लेख किया गया है।
   (ञ) वक्फ के प्रशासन के तरीके, कानून की अदालत द्वारा या किसी पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा तय हो चुका या कस्टम के उपयोग की स्थापना से है।
   (ट) वक्फ बोर्ड की सामान्य देख रेख में पहले से ही है।
   (ठ) सर्वेक्षण की कुल लागत।

हस्ताक्षर सर्वेक्षण आयुक्त

प्रपत्र–2

[नियम–6 देखें]

ऑकाफ की सूची का ब्यौरा

1. वक्फ सम्पत्ति के विवरण के साथ वक्फ का नाम (उदाहरण के लिये भूमि, भवन, कब्रिस्तान आदि)
2. वक्फ सम्पत्ति का स्थान, खसरा नम्बर, जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों और मौहल्ला, वार्ड, सड़क और शहरी सम्पत्ति के मामले में नगर निगम के संख्या में गांव।
3. वक्फ की प्रकृति और उद्देश्य
4. वक्फ सम्पत्तियों का विवरण, अचल सम्पत्ति यदि कोई हो।
   (क) क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र को अलग से दिखायें।
   (ख) सीमाऐं, तथा
   (ग) मूल्य
5. चल सम्पत्ति की प्रकृति और उसका मूल्य।
6. वक्फ के निर्माण का वर्ष या दिनांक।
7. वक्फनामें का विवरण।
8. सकल प्राप्तियां।
9. अनुदान प्राप्त किया।

10. प्रत्येक वक्फ सम्पत्ति की सकल आय शामिल करें।
11. भू–राजस्व, उपकर, दरों ओर करों ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय की राशि।
12. आय की प्राप्ति में किये गये खर्च।
13. प्रशासन का विवरणः–
    (क) रिवाज द्वारा/उपयोग,
    (ख) न्यायालय ने इस योजना को व्यवस्थित कइल,
    (ग) बोर्ड द्वारा प्रबन्धन की योजनाओं को मंजूरी दे दी,
14. मुतवल्ली का नाम और पता।
15. प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली का पारिश्रमिक भुगतान यदि कोई हो।

नोटः—शिया और सुन्नी ऑकाफ के लिये अलग से सूची तैयार की जायेगी।

प्रपत्र–3

[नियम—14(1) देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिये नोटिस

1. श्रेणी का नाम जिसके लिये चुनाव आयोजित किया जा रहा है।
2. **नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जायेगाः–**
    (क) अवधि के मध्य में,
    (ख) जगह,
    (ग) कार्यालय के पते पर,
3. **नामांकन पत्रों की जांचः–**
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
4. **नामांकन पत्रों की वापसीः–**
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
5. **मतदान आयोजित किया जायेगाः–**
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
6. **निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतगणनाः–**
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय
7. **परिणामों की घोषणाः–**
    (क) स्थान
    (ख) दिनांक
    (ग) समय

स्थानः–
दिनांकः–

(निर्वाचन प्राधिकरण)

प्रपत्र–4

[नियम–14(3) देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यालय के लिये सदस्यों के चुनाव के लिये नोटिस

सूचित किया जाता है कि:–

1. यह चुनाव उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिये आयोजित किया जा रहा है।
2. नामांकन पत्र का फार्म पूर्वोक्त समय एवं जगह से प्राप्त किये जा सकते है।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामाकन पत्र प्रातः 10.30 से 05:00 अपरान्ह तक उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक को दिया जा सकता है।
4. नामांकन पत्र जांच के लिये लिये जा सकते है.....
5. उम्मीदवारी वापस लेने हेतु उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय में.....से 3:00 अपरान्ह तक किया जा सकता है।
6. चुनाव होने की स्थिति में चुनाव लडा जा रहा है जो मतदान के बीच.....घण्टे पर..... ..पर आयोजित किया जायेगा

(जगह निर्दिष्ट करें जहां मतदान का आयोजन किया जा रहा है)

स्थानः–
दिनांकः– **(निर्वाचन अधिकारी)**

प्रपत्र–5

[नियम–16(1) देखें]

धारा–14 की उप–धारा–1 के खंड(ख) कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्य का चुनाव

नामांकन पत्र

मैं.....धारा–14 की उप–धारा–1 के खंड(ख) के अनुसार उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिये एक उम्मीदवार के रूप में मनोनीत करता हूँ।

1. उम्मीदवार का पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. मतदाता सूची में उम्मीदवार का क्रमांक संख्या
4. आयु
5. लिंग
6. व्यवसाय
7. पता

मेरा नाम उपरोक्त श्रेणी के लिय मतदाता सूची में (स्थगन का नाम) है।.....और उस..... ..... पर दर्ज किया जाता है।

उम्मीदवार की घोषणा

मैं.....घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा चुनाव हेतु दी गई आयु एवं समस्त जानकारी सत्य है। और में यह भी घोषणा करता हूँ कि:–

1. मैं एक मुसलमान हूँ।

प्रपत्र–7
[नियम–18 देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में सदस्य के पद के लिये.....श्रेणी अर्न्तगत अधिनियम की धारा–14(1)(ख) नामांकन की सूची के रूप में प्राप्त.....तिथि

नामांकन पत्र का क्रमांक उम्मीदवार	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	व्यवसाय और पता	मतदाता सूची का कोई	लिंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

नमांकन पत्र जांच के लिये ले जाया जायेगा प्रातः/अपरान्ह.....दिनांक.....एवं स्थान

स्थानः–हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी
दिनांकः– या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

प्रपत्र–8
[नियम–19 देखें]

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के चुनाव के लिये एक उम्मीदवार द्वारा शपथ की अभिपुष्टि दिये जाने के लिये

मैं.....अल्लाह/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के रिक्त सीट उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रृद्धा और निष्ठा रखूंगा। तथा में भारत की सम्प्रभुता और अखंडता को बनाये रखूंगा

दिनांकः– **(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)**

शपथ की पावती

.....आज.....दिनांक को समय.....पर उम्मीदवारी के लिये शपथ ले ली है।

निर्वाचन अधिकारी

.....

शपथ का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....आज.....दिनांक को.....समय मेरे सम्मुंख हस्ताक्षर किये और अभिपुष्टि के लिये शपथ पढा है।

(हस्ताक्षर)
निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी

प्रपत्र–9
[नियम–20(7)देखें]

प्रमाण पूर्वक मनोनीत उम्मीदवार की सूची

अधिनियम की धारा–14 की उप–धारा–(1) के खंड(ख) की श्रेणी.....में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिये चुनाव

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
शीघ्र		

स्थानः–निर्वाचन अधिकारी

दिनांकः

प्रपत्र–10
[नियम–21देखें]

एक उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन वापसी के लिये नोटिस दिया जाना
अधिनियम की धारा–14(1)(ख)

सेवा में,
निर्वाचन अधिकारी,

मैं.....,उम्मीदवार सप्रमाण उपरोक्त चुनाव में मनोनीत है, आपको अवगत कराना है कि मैं उक्त चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ।

स्थानः–
दिनांकः–हस्ताक्षर उम्मीदवार

यह नोटिस मेरे कार्यालय को दिनांक–.....समय .....के द्वारा.....
.....नाम से दिया गया है।

स्थानः–
दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी**

नाम वापसी के लिये नोटिस की रसीद
(व्यक्ति को नोटिस देने के लिए सौंप दिया जायेगा)

उम्मीदवार द्वारा अधिनियम की धारा–14(1)(ख) के अर्न्तगत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के चुनाव से आज दिनांक..... .....समय.....पर नाम वापसी का नोटिस प्राप्त किया।

स्थानः–
दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी**

प्रपत्र–11
[नियम–22(1)देखें]

चुनाव लड रहे प्रत्याशियों की सूची

अधिनियम की धारा–14(1)(ख) के अर्न्तगत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के.....श्रेणी के सदस्य का चुनाव

क्र0सं0 (1)	प्रत्याशी का नाम (2)	प्रत्याशी का पता (3)	मतदाता सूची (4)
1–			
2–			
3–			
4–			
5–			
आदि			

स्थानः–

दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी**

प्रपत्र–12
[नियम–22(1) एवं 37(1)देखें]

चुनावके परिणाम की घोषणा

वक्फ नियम, 2017.....नियम के अनुसार.....का, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्न प्रत्याशी को उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद पर विधिवत वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–14(1)(ख) के उपखंड.....की श्रेणी में चुना गया है।

नाम **पता**

1–

2–

स्थानः–

दिनांकः– **निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर**

प्रपत्र–13
[नियम–38 देखें]

निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं.....निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विधिवत सदस्य/सदस्या के रूप में श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी श्री.....को वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–14(1)(ख) उपखंड–.....की श्रेणी के अर्न्तगत विधिवत सदस्य/सदस्या निर्वाचित हुए है। और उसे उसकी प्रमाण स्वरूप चुनाव का प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया गया है।

स्थानः–निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः–

सचिव(.....)

उत्तराखण्ड शासन

प्रपत्र–14

[नियम–46(1) देखें]

बोर्ड के रिकार्ड के निरीक्षण के लिये आवेदन

आवेदन शुल्क के रसीद की नकल यहां लगायें

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

आवेदन का नाम.....पुत्र/पत्नी श्री.....निवासी–.....
.....
पत्रावली का विवरण जिसमें से रिकार्ड का निरीक्षण किया जा रहा है.....
किरायेदार का नाम (यदि कोई हो).....
दलों का नाम(यदि कोई हो).....
निरीक्षण के उद्देश्य.....

दिनांकः–आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आवेदन पर पारित आदेश.....

निरीक्षण का समय.....से.....अर्थात.....घंटे

निरीक्षण शुल्क का भुगतान

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया.....

दिनांकः– **निरीक्षण के पश्चात आवेदक के हस्ताक्ष**

प्रपत्र–15

[नियम–46(3) देखें]

प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिये आवेदन

छायाप्रति संलग्न करें:–
(क) आवेदन का शुल्क की रसीद,
(ख) राजपत्र अधिसूचना की प्रविष्टि के अनुसार प्रतिलिपि शुल्क की रसीद रू0 10 प्रति,
(ग) 100 शब्दों या उसक भाग के लिये रू0 20.00 प्रति,
(घ) निरीक्षण या उसके अंश के लिये रू0 20.00 प्रति घंटा

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

आवेदन का नाम.....पुत्र/पत्नी श्री.....निवासी.....

पत्रावली का विवरण जिसमें से प्रतिलिपि की आवश्यकता हो.....
सम्पत्ति का विवरण स्थान सहित.....
किरायेदार का नाम (यदि कोई हो).....
दलों का नाम(यदि कोई हो).....
मामले की प्रकृति.....
राजपत्र का विवरण या अभिलेख का नाम जिसकी प्रतिलिपि की आवश्यकता है.....
क्या निजी इस्तेमाल के लिये अथवा किसी न्यायालय में दाखिल करने के लिये आवश्यक है अर्थात जिस उद्देश्य के लिये प्रतिलिपि आवश्यक हो.....

दिनांकः– **आवेदक के हस्ताक्षर**

नकल रजिस्टर में आवेक की संख्या.....

शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन की प्रतिलिपि बनाना.....

आदेश पारित.....

दिनांकः–मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपिकार के हस्ताक्षर

नकल प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र–16

[नियम–48(2) देखें]

नोटिस

जबकि यह सीखा है/सूचित/सूचना दी की वक्फ.....अस्तित्व के लिये या वस्तुओं या भागों में नीचे अनुसूची में दिखाया कि अस्तित्व समाप्त हो गया है या रह गया है।

क्र.सं.	मौजूद नही रह गये वह नाम जो वक्फ/वक्फ सम्पत्ति है	जंगम सम्पत्ति का विवरण	अचल सम्पत्ति का विवरण					धन का विवरण यदि कोई हो, तो किसी भी
			सर्वे सं. क्षेत्र/सीमा	गांव	नगर	शहर	प्रयोग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–39(2) के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति की जांच करते हुए सम्पत्ति से प्राप्त धन उपयोग की वसूली करने के लिये आदेश को अधिसूचित किया गया है।

जब जांच की जायेगी तब इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति दिनांक.....(समय/स्थान)..... ..पर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जायेगा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
अधिकृत अधिकारी

सेवा में,

_____

_____

प्रपत्र–17

[नियम–49(1) देखें]

बोर्ड के सीधे नियंत्रण में वित्तीय वर्ष–20.....से 20.... के लिये ऑकाफ और मुतवल्ली के लिये प्रत्यक्ष अलग बजट निर्धारित

अनुमानित प्राप्तियां	अनुमानित व्यय
किराये की सम्पत्तियों से प्राप्तियां	कर्मचारियों के वेतन
दान/योगदान	विविध रसीद, यदि कोई हो
सम्पत्ति व्यय का रखरखाव	विवरण के साथ विविध व्यय

व्यय की अधिकता रसीद से अधिक व्यय पर प्राप्त होने के अतिरिक्त

2–चालू वर्ष के लिये वास्तविक

3–पूर्ववर्ती वर्ष के लिये वास्तविक प्रस्तावित

दिनांकः–

स्थानः–

प्रपत्र–18

[नियम–50(1) देखें]

20.....20.....के लिये वक्फ के वार्षिक बजट का अनुमान

विवरण

20....20..... के लिये वास्तविक	चालू वर्ष 20...20... के लिये स्वीकृत अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान		कुल बजट 20...20... के लिये अनुमान
		8 माह के लिये वास्तविक	4 माह के लिये सम्भावित या अपेक्षित व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रारम्भिक शेष.....

कुल योग.....

प्राप्तियां (विवरण–1).....

कुल योग.....

खर्च (विवरण–2).....

जमा शेष.....

कुल योग.....

विवरण–1 (प्राप्तियां)

क्र.सं.	विशिष्टियां	वास्तविक पिछले वर्ष के लिये	वास्तविक वर्ष के लिये प्रतिवेदन	वर्ष में संशोधित बजट सुनिश्चित करने के लिये	बजट अनुमान	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. प्रारम्भिक शेष
2. बैंक में नकदी

3. हाथ पर (नकद, चैक एवं डी डी)
4. किराये से आमदनीः–
   (क) निवास
   (ख) कार्यालय परिसर की,
   (ग) दुकानें,
   (घ) स्कूल,
   (ड.) शादी महल,
   (च) अन्य

योगः–

5. सुरक्षा जमा
6. सद्भावना
7. हुण्डी से आय
8. कृषि भूमि से आयः–
   (क) कृषि फसलों की बिक्री
   (ख) पेडों की बिक्री(फसल से आय)
   (ग) पेड की बिक्री
   (घ) वार्षिकी
   (ड.) तसदीक भत्ता
   (च) नकद भुगतान

योगः–

9. **(अ) विविध प्राप्तियांः–**
   (क) नजर/प्रस्तुत
   (ख) सदस्यता शुल्क
   (ग) मिलाद/रमजान दान
   (घ) निकाह शुल्क
   (ड.) त्वचा का छिपाने
   (च) गोलकों से आय

योगः–

9(ब) प्राप्तियों सेः–
   (क) अनुदान सहायता
   (ख) ऋण वसूली
   (ग) वेतन और त्यौहार की अग्रिम वसूली
   (घ) बैंक से ब्याज
   (ड.) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई–दिल्ली से ऋण
   (च) सावधी जमा रसीदें
   (छ) रॉयल्टी/ई.एम.डी.

योगः–

10. कोई अन्य प्राप्तियां

कुल योगः–

क्र.सं.	विशिष्टियां	वास्तविक पिछले वर्ष के लिये	वास्तविक वर्ष के लिये प्रतिवेदन	वर्ष में संशोधित बजट सुनिश्चित करने के लिये	बजट अनुमान	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. **सामान्य प्रशासन**
   1. वेतन
   2. यात्रा भत्ता

3. कार्यालय व्ययः–
   (1) फर्नीचर क्रय
   (2) स्टेशनरी और प्रपत्रों की खरीद
      (क) मुद्रण प्राप्तियां
      (ख) मुद्रण/लेखा बहियों की खरीद
   (3) डाक प्रभार
   (4) टेलीफोन शुल्क
   (5) जल प्रभार
   (6) विद्युत व्यय
   (7) कार्यालय अग्रदाय राशि
   (8) वाहन खरीद
   (9) इलैक्ट्रोनिक और मशीनरी वस्तुओं की खरीद
   (10) बैठक व्यय

योगः–

4. विधिक व्यय
5. लेखा परीक्षा व्यय
6. नगर/निगम/भूमि कर
7. वक्फ बोर्ड के लिये अंशदान

योगः–

2–पूंजीगत व्ययः–
   (क) निर्माण व्यय
   (ख) अग्रिम की अदायगी/ऋण
   (ग) बिल्डिंग लायसेंस/निर्माण का शुल्क
   (घ) रायल्टी
   (ड.) बयाना राशि
   (च)

योगः–

3–धर्मार्थ के लिये व्ययः–
   (क) छात्रवृत्ति
   (ख) चिकित्सा व्यय
   (ग) शादी का खर्च

योगः–

4–महोत्सव व्ययः–
   (क) मिलाद
   (ख) शबे–ए–मिलाद
   (ग) शबे–ए–कदर
   (घ) शबे–ए–बारात
   (ड.) ईदगाह/मस्जिद/व दरगाह के खर्च
   (च) उर्स
   (छ)

योगः–

5–विविध व्ययः–
   (क)
   (ख)

योगः–

कुल योगः–

प्रपत्र–19

[नियम–50(2) देखें]

वक्फों की सूची

धारा–45 के अर्न्तगतप्रत्यक्ष प्रबन्धन के रूप में वक्फों की सूची.....बजट तैयार करना।

क्र0सं0	वक्फ का नाम	प्रशासक का नाम	सीधे प्रबन्धन की अवधि का आदेश एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

दिनांकः–

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रपत्र–20

[नियम–50(2)(ख) देखें]

सीधे प्रबन्धन वाले वक्फों का बजट प्रस्ताव तैयार करना

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।

सेवा में,

_____

_____

_____

विषयः–सीधे प्रबन्धन वाले वक्फों का बजट प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा–45 के अनुसार .....वक्फ को आदेश संख्या... .....दिनांक–.....के द्वारा.....अवधि के लिये सीधे नियंत्रण में लेते हुए, वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–45 के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र पर अनुमानित प्राप्तियां एवं आय–व्यय तथा वक्फ के बेहतर प्रबन्ध हेतु बजट प्रस्ताव तैयार करने का कष्ट करें।

31 दिसम्बर.....(वर्ष) बज़ट तैयार करते हुए हस्ताक्षर हेतु पहुँच जायेगा।

दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
प्राधिकृत अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

प्रपत्र–21

[नियम–50(3)देखें]

सीधे प्रबन्धन वाले ऑकाफों के आय में वृद्धि के विवरण की अभिव्यक्ति

नाम वक्फः– जनपदः–

क्र0सं0	आय के श्रोतों का विवरण	पिछले वर्ष–19..... की लेखा परीक्षा का संक्षिप्त विस्तार	प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत पदभार संभालने के आदेश संख्या एवं तिथि	प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत पदभार सम्भालने के बाद अचल सम्पत्ति में वृद्धि का विवरण	यदि किसी भी आय में वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)

(2)

(बजट की प्राप्तियों में अपनाये जाने से वक्तव्य विवरण)

बेहतर प्रबन्धन के लिये लिया गया कदमः–

1–
2–
3–

परिणामः–

1–
2–
3–

प्रशासक के हस्ताक्षर

प्रपत्र–22

[नियम–52(4)देखें]

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–52 की उप–धारा–(1) के अर्न्तगत अचल सम्पत्ति की वसूली के लिये धारा–51 के उल्लंघन करने पर धारा–56 के अर्न्तगत जिलाधिकारी को हस्तान्तरित करना

1. वक्फ सम्पत्ति का विवरण।
2. वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तांतरण विलेख का विवरण, यदि कोई हो।
3. व्यक्ति का नाम और विलेख को क्रियान्वित करने का विवरण, यदि कोई हो।
4. उस व्यक्ति का पूर्ण विवरण जिसने सम्पत्ति हस्तांतरित किया हो।

5. वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–37 के अर्न्तगत बनाये गये ऑकाफ रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ सम्पत्ति विवरण की तुलना का परिणाम।
6. खण्ड 51 के तहत अपेक्षित स्थानांतरण के लिए मंजूरी के अभाव के बारे में बोर्ड के रिकार्ड से जांच का परिणाम या वक्फ अधिनियम की धारा–56 के उल्लंघन में अंतरित किया गया।
7. अनुरोध प्राप्त करने और बोर्ड को सम्पत्ति का अधिकार देने के लिये और आदेश पारित करने के लिये।

स्थानः–
दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

प्रपत्र–23
[नियम–52(5)देखें]
वक्फ सम्पत्ति का अधिकार देने के लिये जिलाधिकारी का आदेश

सेवा में,

श्री.....

.....

जहां तक एक मांग अर्ध–नियम (2) के अधीन.....के नियम–61 के तहत श्री..... .....द्वारा आपके पक्ष में नीचे दिए गए अनुसूची में विस्तृत वक्फ सम्पत्ति के हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्राप्त की गई है। उत्तराखण्ड वक्फ नियम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से,.....वक्फ बोर्ड से वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–51 या धारा–56 के उल्लंघन में।

अब, इसलिये, उस अधिनियम की धारा–52 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं.. .....जिलाधिकारी, जिला.....के माध्यम से इस आदेश की सेवा में विफल रहने के बाद आप के खिलाफ निष्कासन कार्यवाही शुरू की जाएगी। यदि आप आदेश से व्यथित है, तो आप इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते है। यदि आप इस आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते है और निर्दिष्ट समय के भीतर अपील नही करते है, तो कहा सम्पत्ति इस उद्देश्य के लिए जरूरी हो सकती है, या इस तरह के बल का प्रयोग करके उचित रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा, और इस बोर्ड को सौंपें।

दिनांकः–

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर सहित

प्रपत्र–24
[नियम–53(1)देखें]
वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–54 की उप–धारा–1 के तहत नोटिस का प्रारूप

सेवा में,

श्री.....

.....

जबकि मैं,.....नीचे दिए गए आधार पर अधोहस्ताक्षरी, राय का हूँ, कि आप नीचे दिये गए कार्यक्रम में उल्लिखित वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणक है और आपको उस परिसर को खाली करना चाहिए।

आधार

.....

.....

अब, इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–54 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, मैं आपको.....ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए,

और अधिनियम की धारा–54 की उप–धारा (3) के अनुपालन में, मैं आपको उस व्यक्ति के साथ या किसी विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष पेश होने के लिए पेश करता हूँ, जो सबूतों के साथ जुडे सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम है। कारण बताए गए कारणों के समर्थन में उत्पादन करने का इरादा है..... व्यक्तिगत सुनवाई के लिए.....में यदि आप उस तिथि और समय पर प्रकट होने में विफल रहते है, तो यह माना जाएगा कि आप वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं और कानून के अनुसार आपके निष्कासन के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी।

अनुसूची:–

वक्फ सम्पत्ति का विवरण:–

दिनांक:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रतिलिपि:–मुतवल्ली।

प्रपत्र–25

[नियम–54(6)देखें]

वक्फसम्पत्ति के कब्जे को हटाने के लिये आदेश

जबकि, मैं अधोलिखित, नीचे दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट हूँ श्री/श्रीमती/कु0..... .....नीचे दी गई सम्पत्ति पर अवैध कब्जे पर है।

कारण:–

अनुसूची:–

वक्फ सम्पत्ति का विवरण:–

अब, इसलिए, वक्फ अधिनिमय, 1995 की धारा–54 के तहत अधिसूचना, इस प्रकार श्री/श्रीमती/कु0.....और सभी व्यक्ति जो वक्फ सम्पत्ति के अनाधिकृत कब्जे में है या किसी भी भाग को खाली करने के लिए आदेश देते हैं इस नोटिस की सेवा के 15 दिनों के भीतर परिसर में कहा। उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश के इंकार करने या अस्वीकार करने की स्थिति में, मामले को उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा।

दिनांक:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रपत्र–26

[नियम–54(10)देखें]

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–55 के अर्न्तगत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के लिये आवेदन

सेवा में,

श्रीमान कार्यकारी मजिस्ट्रेट,

.....

जबकि वक्फ अधिकरण ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–54 की उप–धारा (4) के तहत एक आदेश दिनांक–.....(अनुलग्नित प्रति) के तहत पारित किया गया है।

जबकि श्री/श्रीमती/कु0.....भूमि, भवन, अंतरिक्ष या अन्य खाली सम्पत्ति को खाली करने में विफल रहा है, जिसमें आदेश सम्बन्धित है, क्रम में निर्दिष्ट समय के भीतर,

जबकि वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–55 के तहत आपसे अनुरोध किया जाता है कि वह अतिक्रमण करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने, भूमि, भवन, अंतरिक्ष या अन्य सम्पत्ति को खाली करने के लिए और उसके पास कब्जा करने के लिए अतिक्रमणकारी को निर्देश देकर श्री.....मुतवल्ली/सम्पत्ति के प्रबन्ध समिति के सचिव/वक्फ बोर्ड आदेश के अनुपालन के लिए, पुलिस के सहयोग से वक्फ परिसर से इस आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर अतिक्रमण को हटा दें या अतिक्रमण को हटा दें।

जबकि आपका ध्यान वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित) की धारा–7 के उप–धारा (6) के लिए प्रावधानों के लिए तैयार किया गया है।

दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

प्रपत्र–27
[नियम–56(1)देखें]
पूछताछ के आवेदन के लिये नोटिस

मुतवल्ली/सचिव को नोटिस.....(वक्फ संस्था) वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64 (3) जांच करने के लिए जबकि, आप श्री.....पुत्र श्री.....को मुतवल्ली/सचिव (वक्फ संस्था) के रूप में नियुक्त किया गया था बोर्ड के आदेश संख्या.....अवधि के वर्षों के लिए और जबकि, यह अब स्थापित है कि आपने वक्फ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, 1995 की धारा के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी 64(1) किसी के लिए/नीचे दिए गए एक से अधिक कारणों के लिए (जो भी उपयुक्त हो, टिक करें)।

(क) वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–61 के तहत दंडनीय अपराध के एक बार से अधिक बार सजा सुनाई गई है।

(ख) ट्रस्ट के अपराधिक उल्लंघन या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक विषमता शामिल है, और इस तरह के विरोध को उलट नही किया गया है और उसे इस तरह के अपराध के सम्बन्ध में पूर्ण क्षमा नही दी गई है, या

(ग) अस्वस्थ मन का है या किसी अन्य मानसिक या शारीरिक दोष या दुर्बलता से पीडित है जो उन्हें कार्य करने और मुतवल्ली के कर्त्वयों को निर्गत करने के लिए अयोग्य प्रदान करता है, या

(घ) एक निर्धारित दिवालिया है, या

(ङ) शराब या अन्य भावनात्मक तैयारी पीने के आदी हो गये है, या किसी नशीली दवाओं के लेने के आदी है, या

(च) वक्फ की ओर से या उसके खिलाफ भुगतान कानूनी व्यवसायी के रूप में कार्यरत है, या

(छ) बिना किसी उचित बहस के लगातार दो वर्षों के लिए नियमित खातों को बनाए रखने में विफल हो गया है या लगातार दो वर्षों में, धारा–46 की उप–धारा (2) के अनुसार जरूरी खातों का सालाना बयान, या

(ज) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी मौजूदा पट्टे में, या किसी भी अनुबन्ध के साथ या किसी भी काम के लिए किया जा रहा है, वक्फ या किसी भी राशि के सम्बन्ध में उसके बकाए में है ऐसे वक्फ, या

(झ) वक्फ के सम्बन्ध में या किसी भी पैसे या अन्य वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी गलतफहमी, दुराग्रहों के दुरूपयोग/गलत इस्तेमाल या ट्रस्ट को अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर लेता है या प्रतिबद्ध करता है, या

(ञ) इस अधिनियम या नियम या इसके तहत बनाए गए आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा जानबूझकर और लगातार वैध आदेशों का उल्लंघन किया।

(ट) वक्फ की सम्पत्ति के साथ गलत तरीके से या गलत तरीके से निपटाया।

(ठ) बोर्ड के सामने सूचना/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/रिपोर्ट के अनुसारः–

1.
2.

इसलिये, धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–64 (3) नोटिस के अनुसार, यह जांच की जाती है कि.....के नियम 66 के उप–नियम (1) के तहत जांच की जाएगी। वक्फ नियम 1996, उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड।

इसलिये आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, सात दिनों के भीतर, अपने आपत्तियों को अगर कोई पूछता है, फाइल करने के लिए कहा जाता है। यदि आप अपने आपत्ति दर्ज करने में विफल रहते है तो बोर्ड, जांच के साथ आगे बढेगा और वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 64 के तहत निर्णय लेगा।

दिनांकः– **मुख्य क़ार्यपालक अधिकारी**

प्रतिलिपिः–अवैध कब्जेधारक।

प्रपत्र–28

[नियम–56(3)देखें]

नोटिस

(मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के निलंबन (वक्फ संस्था)
वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64(5) के अर्न्तगत

जबकि धारा–64 (1) के तहत कार्यवाही आपके विरूद्ध श्री.....पुत्र श्री..... मुतवल्ली/वक्फ संस्था की प्रबन्धकीय समिति का विचार है।

जबकि,.....राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64(3) एक जांच की है। इसलिए इस कार्यालय में जारी रखने से जांच की कार्यवाही में बाधा आ सकती है। अब इसलिए, धारा–64(4) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली/कार्यालय के प्रबन्ध निदेशक (वक्फ संस्थान) के कार्यालय से आपको निलंबन करने का फैसला किया है।

इसलिए आप को यह बताने के लिए कहा जाता है कि आपको निलंबन के तहत रखने के आदेश जारी नही किए जाने चाहिए। यदि आप एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहते है, तो बोर्ड, कानून के अनुसार आगे बढेगा और आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको मुतवल्ली के कार्यालय/ उपर्युक्त संस्था के प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय से वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–64(3) के अर्न्तगत निलंगन किया जाएगा।

दिनांकः– **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

श्री.....
मुतवल्ली/सचिव
.....
.....
प्रतिलिपि–सम्बन्धित को।

प्रपत्र–29

[नियम–57देखें]

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–65 के अर्न्तगत बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत वक्फ संस्थानों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन।

1. वक्फ संस्था का नाम।
2. धारा–37 के अर्न्तगत वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण का विवरण।
3. प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत संस्थानों में ले जाने का आदेश संख्या एवं तिथि।
4. सरकारी/वक्फ संस्था के प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति का नाम।

5. पूर्ववर्ती वर्ष के लिये वक्फ की आय।
6. प्रशासक द्वारा उठाये कदमों से वक्फ की आय में सुधार होगा।
7. **मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के द्वारा वक्फ का प्रबन्ध नही ठीक प्रकार से नही करने के कारण वक्फ को सीधे नियंत्रण में उस अवधि के लिये किया जायेगा।**
8. अचल सम्पत्ति से आय का विवरण।
9. प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत संस्था लेने के इरादे से परियोजना का विवरण।
10. संकल्पों की संख्या जो प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत संस्थान लेने के बाद किये।
11. लीज राशि/किराये पर के माध्यम से बकाया राशि आदि की वसूली का विवरण।
12. वक्फ के अंशदान का भुगतान के विवरण।
13. बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्धन में बने रहने के सम्बन्ध में।

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

प्रपत्र–30
[नियम–58(2)देखें]

कारण बताओ नोटिस

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67 (1) के तहत.....को पर्यवेक्षण,'प्रबन्धन (वक्फ संस्था) के पर्यवेक्षण/प्रबन्धन के लिए एक समिति का अधिग्रहण करने के लिए,.....काल की अवधि के लिए खंड–67 के उप–धारा (2) के तहत कारण बताओ नोटिस दिखाऐं बोर्ड क्योंकि समिति इतनी गठित की गई है कि कारणों के लिए वक्फ के हित में इस मुद्दे को निष्पादित/प्रबन्ध नही किया जा रहा है:–

(1)
(2)
(3)
(4)

(ऊपर दिखाए गए कारण शिकायत और उसी के बारे में लिखित आपत्तियां, निरीक्षण के दौरान गलत तरीके से प्रबन्धन और दुरूपयोग का निरीक्षण किया जाएगा, विशेष रूप से सूचित किया जाएगा)

अब इसलिए..... के साथ दिए गए अधिकारों के आधार पर वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67 की उपधारा (2) के अनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि समिति के दमन का आदेश क्यों नही पारित किया जाना चाहिए, इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर यह बताने के लिए कहा जाता है। यदि निर्धारित समय के भीतर आपके पास कोई उत्तर प्राप्त नही होता है, तो बोर्ड, वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67 की उपधारा (2) के तहत आदेश पारित करने के लिए आगे बढेगा।

दिनांकः–

बोर्ड की आज्ञानुसार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,
सचिव/अध्यक्ष,
प्रबन्ध समिति

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समिति।

प्रपत्र–31
[नियम–58(5)देखें]

कारण बताओ नोटिस

वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(6) के अर्न्तगत एक समिति से हटाने के लिए किसी सदस्य को कारण बताओ नोटिस।

जबकि श्री.....पुत्र श्री.....की नियुक्ति समिति (वक्फ संस्था) के सदस्य के रूप में वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(1) के तहत.....में, अब पर्याप्त साक्ष्य है के कारण उपयुक्त समिति के श्री.....सदस्य ने इस तरह के सदस्य में अपनी स्थिति को दुरूपयोग किया है या जानबूझकर निम्नलिखित के लिए वक्फ के हितों के लिए पूर्ववर्ती तरीके से कार्य किया है।

(सामग्री शिकायतों से ली जा सकती है, प्रबन्धन समिति की बैठकों में सदस्य के गलत व्यवहार की रिपोर्ट, मुतवल्ली/समिति के सचिव द्वारा रिपोर्ट, जो विशेष रूप से सत्यापित हो)

अतः उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(6) के द्वारा श्री..... द्वारा इस कारण से यह बताने का आहवान किया गया है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर उपर्युक्त समिति की सदस्यता से आपको हटाने के लिए एक आदेश क्यों नही दिया जाना चाहिए? यदि कोई उत्तर प्राप्त नही होता है, तो बोर्ड वक्फ अधिनियम–1995 की धारा–67(6) के तहत कानून के अनुसार आगे बढेगा।

दिनांकः–

बोर्ड की आज्ञानुसार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,
श्री.....
सदस्य
प्रबन्ध समिति

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समिति।

प्रपत्र–32
[नियम–59(1)देखें]

नोटिस
(वक्फ सम्पत्तियों का समुचित प्रबन्ध करने हेतु प्रबन्ध सम्बन्धी नियम बोर्ड द्वारा स्वीकृत कराने हेतु मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति की ओर से अधिनियम की धारा–69 उपधारा (1) के अर्न्तगत नोटिस)

जबकि, वक्फ़ एक्ट 1995 की धारा 69 के उपखण्ड (1) के तहत, प्रबंधन की एक मॉडल योजना किसी भी वक्फ़ के लिए निर्धारित की जाती है, जबकि उपरोक्त उपखण्ड में निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुतवल्ली/ प्रबन्ध निदेशक (वक्फ़ संस्था).....के साथ प्रबन्ध की योजना तैयार करने का प्रस्ताव करना आवश्यक है

.....(वक्फ़ संस्थान) की मन्शा–ए–वाकिफ के सन्दर्भ में।

इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त धारा के उप–धारा (1) के तहत मुतवल्ली/ आवेदक वक्फ़ अधिनियम, 1995 के धारा–69, के तहत इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर प्रबन्ध समिति/सामान्य निकाय के संकल्प के साथ उस योजना को प्रस्तुत करेगें ।

दिनांकः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,
मुतवल्ली/प्रार्थी
प्रबन्ध समिति

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, जिला वक्फ सलाहकार समिति।

प्रपत्र–33
[नियम का उल्लेख–61(2)]

(वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का प्रत्येक वर्ष के माह 15 जून, तक दिये जाने वाला अंशदान)

1. वक्फ का नाम
2. आय का मूल्यांकन और लेखों का विवरण
3. धारा–75 की उप–धारा–1 के अनुसार आय से कटौती।
   (क)
   (ख)
   (ग)
   (घ)
   (ड.)
4. शुद्ध लाभ वक्फ से निकाली गई है
5. वक्फ बोर्ड को देय 7% अंशदान

मुतवल्ली के हस्ताक्षर/
सचिव, प्रबन्ध समिति

सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड,
देहरादून।

अथवा

प्राधिकृत अधिकारी,
.....
.....

प्रतिलिपिः– मा0 अध्यक्ष, डी0डब्लू ए सी.....

प्रपत्र–34
[नियम–63(1)देखें]

(भाग–क)
वित्तीय वर्ष–20.....–20..... के लिये आय व्यय के बजट का अनुमान
विवरण

आय व्यय

आय का प्रमुख	वास्तविक वर्ष के ठीक पहले	चालू वर्ष के लिये बजट का	चालू वर्ष के लिये संशोधित	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का	वर्ष के प्रमुख व्यय	वास्तविक वर्ष से ठीक	चालू वर्ष के लिये बजट का	चालू वर्ष के लिये संशोधित	अगले वित्त वर्ष के लिये बजट क

		अनुमान	अनुमान	अनुमान		पहले	अनुमान	अनुमान	अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. धारा–72(1) के अर्न्तगत ऑकाफ से अंशदान					1. पिछले वर्ष के घाटे				
2. अन्य आयः–									
(क) निवेश और अग्रिम पर ब्याज					(क) बोर्ड और समिति के अध्यक्षों और सदस्यों के भत्ते				
(ख) दस्तावेजों की आपूर्ती के लिये शुल्क, और अन्य वस्तुऐं।					(ख) (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वेतन				
(2) बोर्ड कार्यालय के प्रतिष्ठान का वेतन									
(ग) भूमि और भवन के किराये के भत्ते									
(घ) नकद अनुदान एवं सुविधाऐं					(ग) (1) यात्रा भत्ता (2) अन्य				
(घ) (1) किराया									
					(2) डाक				
					(3) लेखन समाग्री				
					(4) पुस्तकों एवं पत्रिकाओं				
					(5) टेलीफोन व्यय				
					(6) मुद्रण पर व्यय				
					(7) फर्नीचर				
					(8) विविध				
(ड.) प्रतिभूतियां, शेयर, ऋण–पत्र या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री पर शुल्क					(ड.) (1) अधिक्वता का शुल्क				
					(2) ऋण और अग्रिम				
(च) अचल सम्पत्ति की बिक्री					(च) (1) ऋणों पर ब्याज				
					(2) अग्रिम और ऋण				
(छ) अन्य प्राप्तियां					(छ)(1) अनुदान और छात्रवृत्ति				
					(2) भूमि और भवन पर पूंजीगत व्यय				
					(3) मरम्मत और रख रखाव पर				
					(4) प्रतिभूतियों की खरीद				
					(ज)(1) वाहनों के लिये ईधन				
					(2) वाहनों का रख रखाव				
कुल									
अगले वित्तीय वर्ष.....के अंत में घाटा/अधिशेष।									

(भाग–ख)

वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्ति और भुगतान के बजट का अनुमान

आय का मद	चालू वर्ष के ठीक पहले वास्तविक	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	भुगतान की मदें	वास्तविक वर्ष से ठीक पहले	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

पिछले वर्ष से नकद संतुलन

(1) आमदनी

(1) खर्च

(2) ऋण (2) ऋण का भुगतान**

वर्ष के अन्त में नकद संतुलन***

*ऋण या आय पर, आदि के संतुलन पर आय के अधिशेष से जब कोई अधिशेष नही है।

* अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता और अधिवक्ता की फीस भी शामिल है।

(भाग–ग)

चालू वर्ष के ठीक पहले वास्तविक	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	परि सम्पत्तियों की मद	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	देनदारी की मदें	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के लिये संशोधित अनुमान	चालू वर्ष लिये बजट अनुमान	वास्तविक वर्ष से ठीक पहले
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये

नकदी शेष*ऋण

वर्ष के अन्त में घाटे/अधिशेष

*** अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता एवं अधिवक्ता की फीस भी शामिल है।**

(भाग–घ)

वास्तविक वर्ष के ठीक पहले	चालू वर्ष के लिये बजट का अनुमान	चालू वर्ष के संशोधित अनुमान	अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट का अनुमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अगले वित्तीय वर्ष.....के अंत में घाटा/अधिशेष।

प्रपत्र–35

[नियम–66(1)देखें]

न्यायाधिकरण के समक्ष.....

बीच में (क) नाम एवं पूर्ण पता .....वादी

बनाम

(ख)(ग) और(घ) .....प्रतिवादी

आवेदन का ब्यौरा

1. आदेशों का विवरण जिसके विरूद्ध आवेदन किया गया है। आवेदन निम्न आदेश के विरूद्ध किया जाता है:–
   (क) आदेश संख्या
   (ख) दिनांक
   (ग) द्वारा पारित
   (घ) संक्षिप्त में विषय
2. (क) मामले के तथ्य
   (ख) न्याय के समर्थन में प्रासंगिक कानूनी प्राविधानों सहित न्याय के लिये आधार है।
3. योजित प्रकरण किसी न्यायाधिकरण/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित नही है। यदि आवेदक घोषणा करता है कि इस याचिका सं पूर्व कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में नही की है। यदि आवेदक द्वारा पहले से कोई याचिका दयार की है तो निर्णय की प्रति आवश्यक है।
4. राहत/प्रार्थना

सत्यापनः–1 (आवेदक का नाम).....पुत्र श्री.....पत्नी श्री.....
.....पुत्री श्री.....आयु.....व्यवसाय.....
निवासी.....मेरे द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा संख्या–1 से 4 तक मेरी निजी ज्ञान में सत्य एवं सही है कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है।
(नोटः–आवेदन न्यायालय द्वारा रू0 500–00 शुल्क के साथ किया जायेगा।)

स्थानः–
दिनांकः– **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

प्रपत्र–36
[नियम–78 देखें]
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के प्रशासन पर और ऑकाफ .....के प्रशासन पर काम हो रहा है

सूचकांक

धारा–1 प्रशासन और प्रबन्ध
धारा–2 वित्तीय स्थिति
धारा–3 लाभकारी उद्यमों
धारा–4 अतिक्रमण हटाना, वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा और पट्टे पर दिया जाना
धारा–5न्यायाधिकरण और अदालतों के निर्णय पर वादों की स्थिति के साथ उनका पूर्ण विवरण तथा कितने वाद योजित किये/बचाव किया है।
धारा–6 विकास कार्य
धारा–7 मस्जिदों एवं धार्मिक स्थलों रख रखावसहित धार्मिक कार्य
धारा–8 दान पूण्य
धारा–9 शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों और केन्द्रों को अनुदान
धारा–10 अन्य किसी गतिविधि

धारा–1 प्रशासन और प्रबन्ध

1. अधिकार क्षेत्रः–
   (1) मुस्लिमों की आबादी और क्षेत्र।
   (2) ऑकाफ की संख्या।
   (3) वृत्त ओर शाखाओं की संख्या, यदि कोई हो।
   (4) मुतवल्लियों की संख्या।
   (5) वक्फ संस्थानों की संख्या।
   (6) वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण की स्थिति।
   (7) वर्ष के दौरान पंजीकृत नई वक्फ संख्या।
2. **कार्मिकों कोः–**
   (1) बोर्ड के सदस्यों की संख्या और नाम।
   (2) चुनावी कालेजों के साथ–साथ चुनाव से सदस्यों और उनके नामों की संख्या।
   (3) सदस्यों की संख्या और उनके नाम श्रेणी के आधार पर नामांकन।
   (4) नाम–अध्यक्ष और चुनाव की तिथि।
   (5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी–नाम और पदावधि।
   (6) अन्य अधिकारियों के नाम (कार्यालय और क्षेत्र)।
3. **बैठक और उपस्थितिः–**
   (1) बोर्ड की साधारण बैठक और महत्वपूर्ण बैठक तथा स्थगित बैठकों की संख्या।
   (2) बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की बैठकों में उपस्थिति के आयोजन में नियमितता।
   (3) क्या बोर्ड की बैठकें नियम और विनियम के अनुसार आयोजित की। यदि नही, तो क्या कारण है?
   (4) एजेन्डे की सूचना और प्रस्ताव के प्रस्ताव संख्या के बारे में।

(क) वर्ष के दौरान पेश,
(ख) पारित किया,
(ग) पर चर्चा की और वापस ले लिया,
(घ) बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा फिर से भेजा,
(ड.) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने राज्य सरकार को भेजा, और
(च) गिरा दिया।

4. समितियां:–
   (1) स्थायी समितियां, उनके नाम के साथ–साथ उनके कार्यों की संख्या।
   (2) प्रत्येक समिति, औसत उपस्थिति और स्थायी समितियों के सम्बन्ध में बोर्ड की टिप्पणियों के काम का सामान्य सारांश।
5. वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय में या कहीं और आयोजित अन्य बैठकों का सारांश।
6. बोर्ड की वार्षिक आम बैठक का विवरण और तिथि।

धारा–2 वित्तीय स्थिति

1. वर्ष के दौरान खातों का सारांश

खाते की मद	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	शेष जमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ऑकाफों के खाते				

2. निवेश, ऋण और अनुदान: पूंजी निवेश का विवरण, ऋण और अनुदान दिया जा सकता है।
3. लेखा परीक्षा:–
   (1) धारा–80 के अर्न्तगत जिस अवधि के लिये लेखा परीक्षा पूर्ण किया गया है, और उस परीक्षण विवरण पर कार्यवाही की गई।
   (2) उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम–1995 के प्राविधानों के अर्न्तगत धन की हेरा फेरी के मामले में वक्फ संस्थाओं पर विनियोजन के प्रकरण पर कार्यवाही।
   (3) किसी भी वक्फ के वित में सुधार के मामले, कि क्या प्रत्यक्ष प्रबन्धन के तहत है।
   (4) बोर्ड के कर्मचारियों के विरूद्ध सर्तकता के मामले।

धारा–3लाभकारी उद्यम

1. वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिये बोर्ड के धन अथवा ऋण प्रपत्र से केन्द्रीय वक्फ परिषद या अन्य किसी संस्थान से वक्फ का विकास के द्वारा आय में वृद्धि की जा सकती है।
2. बोर्ड द्वारा उठाए गये किसी भी अन्य वाणिज्यिक परियोजना का विवरण।

धारा–4 अतिक्रमण हटाना, वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा और पट्टे पर दिया जाना।

1. क्या अतिक्रमणकारियों की सूची बोर्ड द्वारा बनाई गई है और एक कार्यक्रम वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिये यदि हां, तो तत्सम्बन्धी का ब्यौरा क्या है?
2. अतिक्रमण हटाने के लिये वक्फ अधिनियम–1995 के प्रासंगिक प्राविधानों के कार्यान्वयन में प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेजी वक्फ सम्पत्तियों से अवैध कब्जेधारकों को हटाने तथा उनकी की बहाली के लिये आदेश और प्रार्थना पर क्रियान्वयन विस्तार
3. से कार्यवाही के साथ दिया जायेगा। आदेशों को लागू करने में बोर्ड को पेश आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। अतिक्रमण को हटाने के लिये जानकारी निम्न तालिकानुसार दी जा रही है:–

क्र0सं0	वक्फ की श्रेणी	अतिक्रमण की संख्या का पता चला	अतिक्रमण की संख्या को हटाया	मामलों की संख्या जहां कार्यवाही लम्बित हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. वक्फ सम्पत्तियों के पट्टे—वक्फ सम्पत्तियों के कुल पट्टों की संख्या, पट्टे के लिये प्रस्तावों की संख्या प्राप्त की और बोर्ड द्वारा उसको निपटाया। पट्टे की राशि, दान आदि के विवरण में दिये जाने को मिली।

धारा–5 वादों की स्थिति

1. आवेदन पत्र, सूट और रिट याचिका विभिन्न न्यायालयों में लम्बित का विवरण दिया जायेगा। अधिवक्ता को शुल्क के माध्यम से किये गये व्यय रिपोर्ट में दिया जायेगा। अधिवक्ताओं के पैनल की दक्षता मामलों में बोर्ड के पक्ष में आदेश पारित कर रहे है की संख्या की जांच करके जांच की जानी।
2. ट्रिब्यूनलों में बचाव के आवेदनों और अन्य न्यायालयों में वर्ष के दौरान सूट और रिट दायर किये। वर्ष के दौरान अधिवक्ता की फीस और कानूनी मामलों में अन्य व्यय पर व्यय दिया जायेगा।
3. न्यायाधिकरण के बारे में, अपील और आवेदनों की संख्या दायर प्रत्येक ट्रिब्यूनल द्वारा उनके निपटाने की समीक्षा की जा सकती है। न्यायाधिकरण (एस) के मामलों के निपटाने में पेश आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला जा सकता है। ट्रिब्यूनल शुल्क एकत्र की है और वक्फ फण्ड के लिये अपनी प्रेषण की जांच की जाय।

धारा–6 विकास कार्य

1. वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय में इमारतों और शाखा कार्यालयों और उनके अनुमान और व्यय के साथ स्कूलों आदि के निर्माण का विवरण।
2. अनुमान और रख रखाव पर व्यय दिये जाने की पैरा–1 में ऐसे सभी इमारतों के रख रखाव उल्लेख है।
3. वर्ष के दौरान अनुमान और लागत से वक्फ सम्पत्ति का रख रखाव जैसे विकास और चारदीवारी आदि (धार्मिक नही)है।

धारा–7 धार्मिक कार्य

1. अनुमान और लागत के साथ मस्जिद के निर्माण का ब्यौरा।
2. मस्जिदों के रख रखाव के खर्च का विवरण, दरगाह आदि बिजली के बिल की राशि के साथ।
3. उर्स और अन्य त्यौहारों पर खर्च की गई राशि।
4. विभिन्न श्रेणीयों में संख्या के साथ इमामों और मौज्जनों के वेतन का विवरण।
5. मस्जिदों को अनुदान का विवरण।

धारा–8 दान पुण्य

1. विधवाओं और अनाथों की संख्या और पैंशन की राशि का जनपद वार विवरण।
2. सेवानिवृत इमामों की पेंशन की राशि विवरण के साथ।
3. अन्य दान की राशि, दूसरों की तरह गरीब लडकियों की शादी।
4. वर्गों के साथ छात्रों की संख्या और छात्रवृत्ति की राशि।
5. कोई अन्य व्यय।

धारा–9 शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों और केन्द्रों के लिये अनुदान

1. बोर्ड द्वारा सीधे नियंत्रण में लिया गये विद्यालयों के अध्यापकों का नाम एवं उनकी संख्या आदि पर व्यय का विवरण।
2. निजी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक संस्थानों के नाम के साथ कॉलेज, स्कूल आदि को अनुदान आवर्ती का विवरण।
3. मदरसा के लिये अनुदान आवर्ती उनके नाम के साथ स्थान का विवरण।
4. संस्था का नाम, उनके पते और अनुदान की राशि के साथ स्कूलों, कॉलेजों, मदरसा आदि में एक मुश्त अनुदान की जानकारी।
5. व्यवसायिक केन्द्र के अनुदान का विवरण।
6. उर्दू को बढाया देने या गतिविधियों पर व्यय के साथ विवरण।

धारा–10 कोई अन्य गतिविधि

1. गणमान्य व्यक्तियों की मुलाकात और पता।
2. बोर्ड के सुचारू प्रशासन में बोर्ड और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बीच सम्बन्ध।
3. वक्फ समितियों, वक्फ संस्थाओं का निरीक्षणमुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के अनुपालन के लिये कहा।
4. सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर कार्यवाही कर समीक्षा पर लिया।

निष्कर्ष

बोर्ड और वक्फ संस्थानों के सामान्य प्रशासन अन्य किसी महत्वपूर्ण को प्रभावित करने।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

आज्ञा से,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण हैं, प्रवर्गो का विवरण

(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

वक्फ बोर्ड कार्यालय में वक्फ बोर्ड के गठन के पश्चात ऐसे दस्तावेज है जो कि गोपनीय प्रवृति के न होने के कारण सर्व सुलभ है। वक्फ बोर्ड स्तर पर कोई गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बोर्ड में नियुक्त महानुभवों / अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली निम्नवत है।

1.
2.
3.

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी
देहरादून।

(138) (95)

मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण हैं, प्रवर्गों का विवरण

(A statement of th 4e categories of documents t hat are held by it or under its control)

वक्फ बोर्ड कार्यालय में वक्फ बोर्ड के गठन के पश्चात ऐसे दस्तावेज हैं जो कि गोपनीय प्रवृति के न होने के कारण सर्व सुलभ हैं। वक्फ बोर्ड स्तर पर कोई गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बोर्ड में नियुक्त महानुभावों/अधिकारियासें/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली निम्नवत हैं।

1. मा0 अध्यक्ष महोदय से सम्बन्धित पत्रावली।
2. मा0 सदस्यों से सम्बनिधत पत्रावली।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावली।
4. श्री मौहम्मद अली, वक्फ निरीक्षक से सम्बन्धित पत्रावली।
5. श्री सोहन सिंह रावत, रिकार्ड कीपर से सम्बन्धित पत्रावली।
6. श्री आलिम खान, कनिष्ठ लिपिक से सम्बन्धित पत्रावली।
7. श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत, अनुसेवक से सम्बन्धित पत्रावली।
8. जनपदवार वक्फ (सर्वे) से सम्बन्धित पत्रावली।
9. वक्फ से सम्बन्धित जनपदवार जनरल पत्रावलियॉ।
10. जनरल पत्रावलियॉ।
11. जनपदवार वक्फ दफा–37 रजिस्टर
12. जनपदवार डिमान्ड रजिस्टर
13. डिस्पैच रजिस्टर
14. पत्र प्राप्ति रजिस्टर
15. कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित रजिस्टर
16. कैश बुक
17. वेतन बुक
18. वेतन रजिस्टर
19. मुकदमों से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।
20. अन्य पत्रावलियॉ।

उक्त सभी पत्रावलियॉ मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अभिरक्षा में कार्यालय में मौजूद हैं।

मैनुअल संख्या 7

(किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं)

(Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relations to the formulation of its policy or implementation thereof)

बोर्ड के गठन हेतु जारी राज्य सरकार के राजपत्र में निहित व्यवस्था ही लागू हैं जनता के सदस्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसलिए किसी व्यवस्था की विशिष्टियों के सम्बन्ध में जनता द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठता है। अतः उक्त धारा से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

मैनुअल संख्या 8

(ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारें में सलाह देनें के प्रयोजन के लिये गठन किया जाता है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी)

(A statement of the boards councils, committees and other bodies consistion of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meeting are accessible for public)

लागू नहीं

उत्तराखएड सरकार द्वारा मुस्लिम औकाफों के हितों की रक्षा के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में मा0 अध्यक्ष एवं 08 सदस्यों को नामित किया गया है। महानुभावों के नाम/पदनाम निम्नवत् हैं–

क0सं0	नाम	पदनाम	भर्ती का श्रोत
1.	हाजी मौ0 अकरम	अध्यक्ष	वक्फ अधिनियम की धारा14
2.	श्रीमति नजमा खान	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
3.	श्रीमति नाजमा शेख	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
4.	श्री अयाज अहमद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
5.	श्री सैयद ... मियॉ	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
6.	श्री सै0 अली हैदर जैदी	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
7.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
8.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
9.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
10.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14

(98)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(A Directory of its Officers and employees)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी
देहरादून।

****

मैनुअल संख्या 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
(A Directory of its Officers and employees)

बोर्ड में नियुक्त महानुभावों के नाम/पदनाम निम्नवत् हैं–

क0सं0	नाम	पदनाम	भर्ती का श्रोत
1.	हाजी मौ0 अकरम	अध्यक्ष	वक्फ अधिनियम की धारा14
2.	श्रीमति नजमा खान	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
3.	श्रीमति नाजमा शेख	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
4.	श्री अयाज अहमद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
5.	श्री सैयद ... मियॉ	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
6.	श्री सै0 अली हैदर जैदी	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
7.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
8.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
9.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
10.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में प्रतिनियुक्ति/सम्बद्ध अधिकारी/ कर्मचारी निम्नवत हैं–

1.	श्री मु0 अब्दुल अलीम अंसारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतिनियुक्ति

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में बोर्ड द्वारा नियुक्त निम्न कर्मचारी कार्यरत है :–

1.	श्री मौहम्मद अली	वक्फ इंस्पैक्टर कम आडिटर पर
2.	श्री वाजिद हुसैन	वक्फ इंस्पैक्टर कम आडिटर पर
3.	श्री सोहन सिंह रावत	रिकॉर्ड कीपर
4.	श्री आलिम खॉ	कनिष्ठ लिपिक
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त	कनिष्ठ लिपिक

100

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की
धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

(monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

(monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations)

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में नियुक्त महानुभावों को देय मासिक परिलब्धियों (माह जून 2018 के अनुसार) का विवरण निम्नवत है–

क0सं0	नाम	पदनाम	भर्ती का श्रोत
1.	हाजी मौ0 अकरम	अध्यक्ष	वक्फ अधिनियम की धारा14
2.	श्रीमति नजमा खान	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
3.	श्रीमति नाजमा शेख	सदस्या	वक्फ अधिनियम की धारा 14
4.	श्री अयाज अहमद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
5.	श्री सैयद ... मियाँ	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
6.	श्री सै0 अली हैदर जैदी	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
7.	श्री मुनव्वर अली	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
8.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
9.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14
10.	रिक्त पद	सदस्य	वक्फ अधिनियम की धारा 14(1)(बी)(III) के तहत

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारियों को देय मासिक परिलब्धियों (जुन, 2018 के अनुसार) का विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	नाम	पदनाम
01.	श्री मु0 अब्दुल अलीम अंसारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड में तैनात कर्मचारियों को देय मासिक परिलब्धियों (जून, 2018 के अनुसार) का विवरण निम्नवत् है–

क0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान
01	श्री वाजिद हुसैन	व0इं0 कम आडिटर	44900–142,400
02.	श्री मौहम्मद अली	व0इं0 कम आडिटर	35400–1,12,400
03.	श्री सोहन सिंह रावत	रिकॉर्ड कीपर	29200–92300
04.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त	कनिष्ठ लिपिक	21700–69100
05.	श्री आलिम खान	कनिष्ठ लिपिक	21700–69100

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टो की विशिष्टयां उपदर्षित करते हुए अपनें प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(Buget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टयां उपदर्षित करते हुए अपनें प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(Buget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made)

उत्तराखएड वक्फ बोर्ड को शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटित बजट एवं व्यय विवरण का ब्यौरा संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 2018–19 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के तहत निम्न मदों में धनराशि स्वीकृत की गई।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के तहत निम्न कार्मिकों की नियुक्ति संविदा पर की गई :–

1. श्री मामून रशीद, असि0 डेवलपर
2. श्रीमति अक्शिमा, तलवार लेखा सहायक
3. श्री नदीम आलम खान, ऑफिस कम लीगल असि0

(105)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी
देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

(Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

ऐसा कोई कार्यकम लागू नहीं है जिसमें आवंटन प्राप्त और व्यय किया जाता हो। अतः उक्त धारा के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–13

अपनें द्वारा अदुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
(Particulars of receipents of concessions, permits or authorization granted by it)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–13

अपनें द्वारा अदुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
(Particulars of receipents of concessions, permits or authorization granted by it)

उक्त धारा का उत्तराखएड वक्फ बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

(110)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।

(Details in respect of the information, available to or held by it's, reduced in and electronic from)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

(11)

मैनुअल संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो
उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।
(Details in respect of the information, available to or held by it's, reduced in and electronic from)

बोर्ड सम्बन्धी समस्त विवरण इन्टरनेट पर उपलब्ध ..... पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन
कक्ष के यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित है या कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

1. सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागत कक्ष में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देनें की व्यवस्था की गई है।

2. सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागत द्वार पर सूचना का अधिकार सम्बन्धी सूचना पट लगाया गया है।

3. सूचना कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(13)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

(Names, designation and other particulars of the Pubic Information Officers)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी देहरादून।

****

(114)

मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

(Names, designation and other particulars of the Pubic Information Officers)

विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री मु0 अब्दुल अलीम अंसारी
पदनाम	मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
लोक सूचना अधिकारी का नाम	श्री मौहम्मद अली
पदनाम	वक्फ निरीक्षक
दूरभाष एवं फैक्स नं0	मोबाईल 9012345786
सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	श्री आलिम खान
पदनाम	कनिष्ठ लिपिक
दूरभाष एवं फैक्स नं0	मो0 9634763148

(15)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4(1) ख (I)

मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

(Any other information to be included)

****

कार्यालय– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलानी
देहरादून।

****

मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय
(Any other information to be included)

भारत सरकार और राज्य सरकार से मुस्लिम कल्याण के लिए प्राप्त सुचनाओं को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के लिए विहित किया जाता है तथा अन्य सूचनाएं मैनुअल 01 से 16 में निहित हैं।